खण्ड-220, अंक-10
मंगलवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1883
(28 मार्च, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवर सिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ ,श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती श्रीमती, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदी लाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद, वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती

रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २८ मार्च, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

खीरी जिले के कुछ गजटेड अधिकारियों का स्थानान्तरण न होने पर आपत्ति

**१—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मुख्य मंत्री दिनांक १६-३-६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २९–३० के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे किस-किस विभाग और पद के अधिकारी हैं, जिनकी संख्या ८ बताई गई है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—वांछित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

**२—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मुख्य मंत्री उपर्युक्त तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के संदर्भ में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वे किस-किस विभाग और पद के अधिकारी हैं, जिनका स्थानान्तरण अभी लोकहित में ठीक नहीं बताया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वांछित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

**३—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या उपर्युक्त तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह एक अधिकारी किस पद पर है जिसका स्थानान्तरण तीन वर्ष के भीतर अनिवार्य नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सूचना में जिन अधिकारियों का नाम नम्बर २ और ३ पर है उनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं हुआ और अब भी न होने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह जो नम्बर २ पर हैं यह कुष्ट रोग के विशेषज्ञ हैं। साधारणतया इस तरह के विशेषज्ञ लोग मिलते नहीं। इन के तबादले के सम्बन्ध में जून में विचार करेंगे। नम्बर ३ पर जो सिविल सर्जन साहब हैं, इनका ट्रांस्फर जनवरी में ड्यु था। जनवरी में, बीच में ट्रांस्फर होता नहीं है। अप्रैल में इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों का जिक्र इसमें किया गया है कि ट्रांस्फर लोकहित में नहीं है, एक में लिखा है कि इस अधिकारी का स्थानान्तरण ५ वर्ष बाद होता है, तो क्या यह सही है कि जिन का स्थानान्तरण ५ वर्ष लिखा है, इनको ८ वर्ष हो चुके है और स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पांच वर्ष बाद तो ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर का है।

श्री शिव प्रसाद नागर—नम्बर ८ पर।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। १९५७ से वहां हैं, तो ८ वर्ष तो अभी नहीं हुए हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री को उस आदेश के पैरा ५ की जानकारी है, जिसमें लिखा है—

"These orders will, however, not apply to officers serving in particular projects of Irrigation and Public Works Departments regarding whom orders already exist limiting their stay to five years and in case of need to periods even beyond that."

इसके आधार पर वही लोग पांच वर्ष के बाद रखे जा सकते हैं जो लोग किसी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या इर्रीगेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स में लगे हों। इसमें जिन अधिकारियों का नाम दिया हुआ है, उनका रखना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ऐसा कोई अधिकारी हमारे जिले में नहीं है जिसको पांच वर्ष बाद रखा जा सके।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह जो डेवलपमेंट आफिसर्स हैं। नये नियमों के अनुसार, इनकी बदली पांच वर्ष के बाद होती है। दूसरे जो अधिकारी हैं वह मैंने बता दिया कि स्पेशल कारण से हैं। अगर आप किसी के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन द्वारा रोमन अंक प्रयोग करने की सिफारिश

**४—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में हिन्दी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करने का कोई आदेश जारी किया गया है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

**५—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि उपर्युक्त आदेश के विरोध में, राज्य सरकार के पास प्रदेश के प्रमुख हिन्दी साहित्यसेवियों, सार्वजनिक संस्थाओं और प्रदेश के अन्य प्रतिनिधियों ने अपनी राय भेजते हुए उक्त आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को हिन्दी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई आदेश दिये हैं?

श्री अध्यक्ष—क्या दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हैं? वह तो कहते हैं कि हमने आर्डर नहीं दिया है। फिर क्यों आप पूछते हैं?

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि हिन्दी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों को प्रयोग करने के निश्चय पर राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने माननीय मुख्य मंत्री के पास कोई विरोध-पत्र भेजा है? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, टंडन जी ने क्या पत्र भेजा है उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है लेकिन जैसा मैंने उत्तर दिया है राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। यह बात जरूर है कि सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन की बैठक हुई थी। उन्होंने जरूर प्रस्ताव पास किया है कि यह रोमन लिपि में लिखा जावे बजाय नागरी के। लेकिन अभी राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स यहां मन्त्री जी के पास आया है कि रोमन लिपि रखी जाय तो क्या सरकार उस रोमन लिपि के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि वह उसे रखना चाहती है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह भ्रम न हो क्योंकि केन्द्रीय सरकार से कोई चीज नहीं आयी है। मैंने इसी वजह से स्पष्ट कह दिया था कि सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन जो हैं उनका एक प्रस्ताव था। राज्य सरकार ने उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को, वाराणसी से हिन्दी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से जो केन्द्रीय ऐडवाइजरी बोर्ड के प्रस्ताव पर क्षोभ प्रकट किया गया है, उसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बिलकुल आपने नया प्रश्न उठा दिया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उन्होंने कहा कि सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा। अभी वाराणसी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय सम्पूर्णानन्द जो भी उसके उद्घाटन में गये थे। सम्पूर्णानन्द जी ने भी कहा कि मैं रोमन लिपि के अंकों को यहां व्यवहार करने का विरोधी हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस समय सरकार के पास प्रदेश में कहां-कहां से रोमन लिपि के विरोध में बातें आ रही हैं और सरकार उन पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह नया प्रश्न है। बात यह है कि उन्होंने जवाब यह दिया कि यह सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया, तो सैकड़ों जगहों से उसके ऊपर पत्र आया होगा और इस तरह से एक-एक के बारे में पूछने की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने जो सिफारिश रोमन अंकों को लिखने के बारे में की है वह किन-किन सम्बन्धों में की है और क्या पाठ्य पुस्तकें भी उसमें सम्मिलित हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उन्होंने तो इतना ही प्रस्ताव किया है कि नागरी के बजाय रोमन में ये लिखे जावें। हम लोगों ने तो इसके सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिये पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन का जो प्रस्ताव हुआ है उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कहा कि सरकार ने कोई कार्यवाही उस पर नहीं की है, तो कार्यवाही तो नहीं की है लेकिन सरकार ने उसके सम्बन्ध में अपना कोई मत निश्चित किया है और अपना कोई मत सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड के पास भेजा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त तो नागरी अंकों में लिखा जाता है। जब हम उसको बदलने के ऊपर विचार करेंगे तब उस पर विचार किया जायगा। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि उस पत्र में क्या लिखा है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि राजर्षि टंडन जी ने इस सम्बन्ध में कोई पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में तो मैंने निवेदन कर दिया और अध्यक्ष महोदय ने भी कह दिया कि ऐसे बहुत से विरोध पत्र आये हैं। लेकिन हम उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

पहाड़ पर जाने का विचाराधीन प्रश्न

**६—श्री शिवप्रसाद नागर तथा श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष गर्मियों में प्रदेशीय सरकार के कार्यालय पूर्णतया या अंशतः नैनीताल जा रहे हैं या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा— गर्मियों में पहाड़ पर जाने (Hill recess) का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री शिवप्रसाद नागर— क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह प्रश्न पहाड़ पर जाने का इस समय तक विचाराधीन है तो यह किस दृष्टिकोण से—मितव्ययिता के दृष्टिकोण से या किसी और दृष्टिकोण से है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)— इस प्रश्न पर तो बहुत से पहलुओं से विचार करना पड़ता है तथा जो माननीय सदस्य उधर बैठते हैं उनसे भी सलाह लेनी पड़ती है जैसे नारायणदत्त जी हैं या प्रताप सिंह जी हैं, बिना उनसे सलाह लिए हुए जो कि उस क्षेत्र के हैं, यह मसला कैसे तय हो सकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर— क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी उत्तर दिया कि इस मामले में, इधर के और उधर के लोगों से सलाह लेनी पड़ती है, तो क्या इस मामले में सलाहकार समिति बैठाने की जरूरत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— इस पर सलाहकार समिति बैठाने की जरूरत नहीं है। यह जो पहाड़ जाने का प्रश्न है बहुत जमाने से बराबर चला आ रहा है। इसमें दो राय हैं। जो उस क्षेत्र के निवासी हैं और उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनकी एक राय है और कुछ लोगों की दूसरी राय है। तो इन दोनों रायों के ऊपर विचार करके ही निर्णय लेने की बात है। जब इस प्रश्न पर निर्णय हम ले लेंगे तभी हम बता सकेंगे कि हमारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है। इसीलिये उत्तर में यह निवेदन किया गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–५—श्री गौरीशंकर राय—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

[२८ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)–[१५ मार्च, १९६१ को प्रश्न ११–१३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*४–५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)— [२९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मंझौली सागर की मरम्मत

*६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)— क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्रांस राप्ती क्षेत्र, बस्ती में मंझौली सागर पर एक फाटक पहले था जिसे नहर विभाग ने तोड़वा दिया और दूसरा फाटक इस वर्ष बनवाया है ? यदि हां, तो तोड़वाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और नया फाटक बनाने पर कितना खर्च हुआ ? क्या नया फाटक भी इस वर्ष वर्षा में टट गया जिससे सागर का पानी निकल गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं, मंझौली सागर का निर्माण लगभग ७५ वर्ष पूर्व जमींदारों ने कराया था। जमींदारी उन्मूलन के बाद यह सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा ले लिया गया। इस सागर के स्केप नं० २ की सन् १९५८–५९ में मरम्मत कराई गई थी। मई और जून, १९५९ में स्केप के फर्श पर ५,१८८ रु० का कार्य हुआ। पिछले साल फरवरी व मार्च में स्केप के ऊपर लकड़ी के पुल के बजाय पक्का पुल बनाने में और पायों की मरम्मत में ६,६०० रुपये और खर्च हुए, जुलाई, १९६० में यह स्केप बैठ कर बेकार हो गया। सागर में पानी रोकने के लिये टूटे स्केप को घेर कर एक मिट्टी का बांध बनाया गया है। यह बांध करीब-करीब पूरा हो गया। इस पर ४,५०० रु० खर्च होंगे।

श्री ऊदल—जैसा उन्होंने बतलाया कि यह बांध ७५ वर्ष से बना है तब भी टूटा नहीं है और इसके बाद स्केप नम्बर २ की मरम्मत सन् १९५८–५९ में की गई जिस पर ५,१८८ रुपया खर्च हुआ, पिछले साल उसी स्केप पर एक पक्का पुल सरकार के इंजीनियरों ने बनाया जिस पर ६,६०० रुपया खर्च हुआ और फिर वह पुल पिछली जुलाई में टूट गया; तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब दो बार इसकी मरम्मत की गई तब भी यह टूट गया तो क्या उस वक्त सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने उस स्केप की जांच की थी और अगर वह खराब था तो फिर क्यों उस पर पुल बनाया गया?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि ७५ वर्ष पुराना यह स्केप बना हुआ था। उसमें ज्यादा पानी नहीं भरा जाया करता था और उससे ज्यादा आबपाशी भी नहीं हुआ करती थी। यह समझ कर कि इसका फर्श बिल्कुल खराब है उसकी कुछ मरम्मत करा दी गई थी और उससे कुछ आबपाशी का काम भी हुआ था। लोगों को आने-जाने में दिक्कत और तकलीफ होती थी इसलिये लकड़ी के बजाय पक्का पुल बना दिया गया था। ७५ साल पुराना होने की वजह से यह कहना बड़ा मुश्किल था कि यह कब टूट जायगा लेकिन काम चलता रहा। अब जब एक दफा टूट गया तो मिट्टी का बांध बना दिया गया ताकि उससे आबपाशी का काम जारी रहे। इस साल भी आबपाशी का काम कुछ हुआ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी जिन इंजीनियरों ने उस स्केप की दो बार मरम्मत की और पक्का पुल बनाया और उसके बाद तीसरी बार पुल बह गया, उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिये कार्यवाही करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी पाई जाय उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री राम मूर्ति—यह मैंने अर्ज किया कि यह बहुत पुराना काम था। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात नहीं थी। उसकी मरम्मत हुई थी। मरम्मत की वजह से किसी इंजीनियर के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाय, यह गैर-मुनासिब बात है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुल कब बनाया गया था और आखिरी बार जो मरम्मत हुई थी वह कब हुई थी? उस पर कितना खर्च हुआ था जिसको पुराना बतलाया जाता है?

श्री राममूर्ति—मैंने तो बतला दिया कि यह जमींदारों के जमाने का स्केप और रिजर्वायर था। इस तरह के १२ छोटे-मोटे रिजर्वायर उस जिले में हैं और वे जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने ले लिये थे। मैंने जो उत्तर पढ़ कर सुनाया उसे शायद आपने सुना नहीं।

*७–८—श्री ऊदल तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

भांडेर नहर के साइफन में पिचिंग तथा पैरापेट में दरार

*१२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भांडेर नहर (झांसी) के २१वें मील पर ग्राम चकौरा व २४वें मील पर ग्राम पीपरी के पास जो साइफन बने थे वे टूट गये हैं और बी० आर० जी० ब्रिज में दरार पड़ गई है? यदि हां, तो उक्त साइफन व ब्रिज कब बने थे और उनके बनने में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ था?

श्री राममूर्ति---केवल २१वें मील पर बने साइफन की पिचिंग में क्षति हुई तथा २१ वें मील पर बने बी० आर० जी० पैरापेट में दरार पड़ गई तथा पिचिंग में भी क्षति हुई।

साइफन तथा ब्रिज १९५६-५७ में बने थे। ब्रिज के बनने में १८,९०० रु०, २१वें मील पर बने साइफन पर ६.१० लाख रुपये, तथा २४वें मील ३ फर्लांग के साइफन के बनने में ८.५३ लाख रुपये व्यय हुआ।

*१३---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त भांडेर नहर डिवीजन में नहरों के बनने में एस्टीमेट से बहुत अधिक रुपया व्यय हो जाने के सम्बन्ध में गत वर्ष कोई जांच कमेटी नियुक्त की गई थी? यदि हां, तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है?

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी जल्दी साइफन की पिचिंग उखड़ जाने या पैरापेट में दरार पड़ जाने के कारण जो नुकसान हुआ है और उसे बनवाने में जो खर्च होगा उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति---यह भांडेर कैनाल माताटीला बांध की योजना का एक हिस्सा है और नदी के पेट में जो हिस्सा या पिचिंग है वह १९५८ के बाद से कुछ डैमेज हो जाया करता था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी मरम्मत आदि में कुछ रुकावट डाल दी थी, इसलिये बीच में काम रुका रहा, बाद में जब उनकी इजाजत मिल गयी तो मरम्मत शुरू हुई और करीब २,००० रुपये के इसमें खर्च हुए हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात इसमें नहीं है। यह सब किसी-किसी काम में हुआ ही करता है और कभी-कभी खराब काम भी हो जाते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि ये निर्माण-कार्य हैं और इसमें कभी साइफन टूट जाता है, कभी बांध बह जाता है और इसका कारण आम तौर पर यह होता है कि उसमें सीमेंट और बालू का सही अनुपात नहीं होता, या फिर कच्ची ईंट लगा दी जाती है, किसी निर्माण-कार्य के पूरा हो जाने के बाद उसकी जांच कराती है? यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं, तो उसके लिये कोई योजना बनाने का सरकार विचार रखती है?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, काम जब बना करता है तो यह जानना मुश्किल होता है कि उसमें चोरी हुई या नहीं, क्या गलत काम उसमें हो गया? जब किसी काम के खराब होने की वजह से टूट फूट हो जाती है या इस किस्म की कोई बात होती है तो वह मामला पब्लिक की नोटिस में आता है और उसकी जांच होती है। ऊपर के अफसर जांच करते हैं और उनकी रिपोर्ट में ही, अगर कोई जिम्मेदार होता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर वह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जिम्मेदार है और इसे सजा मिलनी चाहिये तो सजा दी जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता कि जो इमारत बन कर तैयार हो उसकी जांच यह की जाय कि यह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बन कर तैयार हुई है अथवा नहीं, सीमेंट और ईंटा ठीक लगा है या नहीं, और ऐसा कोई तरीका अभी तक नहीं निकला है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष हो जाने के बावजूद भी कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने का क्या कारण है और उसके कब तक प्रस्तुत हो जाने की संभावना है?

श्री राममूर्ति---कमेटी ने जांच कर ली है और कागजात फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं। वहां उनकी जांच हो रही है।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि किसी निर्माण-कार्य के पूरे हो जाने के बाद उसमें ईंट ठीक लगी है या नहीं, और सीमेंट और बालू ठीक अनुपात से प्रयोग में लायी गयी है या नहीं, इस सब की जांच कराने के लिये उसके किसी हिस्से को तोड़ कर उसकी केमिकल जांच करा ली जाय?

श्री राममूर्ति---वैसे तो मान्यवर, जब कोई काम तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसकी जांच चीफ इंजीनियर या उसके नीचे के सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर किया करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इस तरीके की कोई जांच, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने बतलायी है, वे करते हैं या नहीं, लेकिन यह मुनासिब है और मैं समझता हूं कि वे जिम्मेदार अफसर हैं, उनको अपने संतोष के लिये और सरकार के फायदे के लिये ऐसा करना चाहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो अपने उत्तर में बतलाया कि दो हजार रुपये की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती और इसलिये उन्होंने दो हजार रुपये के नुकसान को अधिक नहीं माना, तो वे कितने रुपये तक के नुकसान को नुकसान मानते हैं और कितने तक को नहीं?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, ध्यान तो हर पैसे पर दिया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि एक भी पैसे का नुकसान न हो। देखने को इतनी बात रह जाती है कि जो काम टूटता है उसमें किसी आफिसर की नेग्लीजेन्स तो नहीं थी? अगर उसमें किसी की नेग्लीजेन्स होती है, उस कारण कोई काम टूटता है, तब तो उसमें सीरियस नोटिस भी लिया जाता है, किन्तु जब किसी की नेग्लीजेन्स नहीं पायी जाती तब उस पर दूसरी तरह से विचार किया जाता है।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भांडेर नहर के कई पुल टूट गये हैं और जो साइफन थे उसमें दरारें पड़ गयी हैं और उससे कई लाख रुपये की क्षति हुई है? क्या वे इसकी जांच के लिये जिलाधीश तथा वहां के स्थानीय विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनायेंगे जो उसकी पूरी जांच कर सके?

श्री राममूर्ति---यहां पर जिन साइफनों का जिक्र किया गया है वह तो टूटे हैं नहीं और दूसरों के बारे में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की कमेटी द्वारा जांच करवाने का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि इस किस्म की कमेटी से कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि हम लोगों को कोई टेक्निकल जानकारी नहीं होती है।

*१४-१५—श्री मदन पांडेय—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१७—श्री शिवप्रसाद नागर—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८-१९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

*२२-२४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२६—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

कुनी नाले की जल निकास योजना

*२७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री को देवरिया के एक विधायक द्वारा देवरिया जनपद में देवरिया सलेमपुर तहसील सीमा पर स्थित कुनी नाले की जल निकासी योजना को लागू करने की मांग फरवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह में मिली है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। जांच कराई जा रही है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास कब तक आ जायेगी ?

श्री राममूर्ति—कुछ समय बतलाना तो कठिन है, किन्तु जब माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के द्वारा ध्यान आकर्षित किया है तो निश्चय ही कार्य में जल्दी तो होगी ही।

*२८-३०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

टांडा पम्प केनाल में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*३१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ के किसानों को टांडा पम्प कैनाल में पड़ने वाली जमीन का कुल मुआवजा कितना था और अब तक कितना बट चुका है ?

श्री राममूर्ति—(क) कुल मुआवजा लगभग १,२५,००० रु० था।

(ख) २६ मार्च, १९६१ तक रुपया ७८,८५३.७४ नये पैसे मुआवजा बांटा जा चुका है।

*३२—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टांडा पम्प कैनाल द्वारा आजमगढ़ की सदर तहसील के पूर्वीय भाग की सिंचाई कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—१९६१-६२ की रबी तक आशा की जाती है ।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर के लिये जमीन कब ली गई और मुआवजा देने में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---जब नहर बनाने का काम शुरू हुआ था तभी जमीन ली गई थी और तभी से बराबर यह कोशिश की जा रही है कि कागज जल्दी से तैयार हो जायं । अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक बात यह है कि नहरों के निकालने में अगर समूचे खेत मिल जायं तब इतनी दिक्कत न हो, किन्तु होता यह है कि किसी खेत की थोड़ी जमीन मिल गई, कहीं का एक टुकड़ा मिल गया, तो इस कारण भी बड़ा टाइम लग जाता है । पहले इस कार्य के लिये ३--४ आफिसर्स ही थे, अब २८ आफिसर्स इस काम को करते हैं और यह कोशिश की जाती है कि जो भी जमीन ली जाये उसके मुआवजे की कार्यवाही पहले ही कर ली जाय । पहले यह होता था कि काम शुरू कर लिया जाता था और मुआवजे की कार्यवाही बाद को होती रहती थी और इस कारण उसमें देरी होती थी ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जमीन १० वर्ष पहले ली गई थी तो उसका मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है ? अब तक वह उनको क्यों नहीं मिल पाया ?

श्री राममूर्ति---मैंने कारण बतलाये, कोई नई बात बतलाने की नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो ऐसी जमीनें बहुत पहले से ले ली गई हैं, जिनका मुआवजा नहीं दिया गया है, उन जमीनों के सम्बन्ध में माल विभाग को लिखेंगे कि उनकी मालगुजारी न ली जाय ?

श्री राममूर्ति---पहले रिवाज था कि मालगुजारी ली जाया करती थी लेकिन जब मुआवजा मिलता था तो उसमें मालगुजारी भी वापस करदी जाती थी । उसके बाद में कुछ आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जो जमीनें ले ली गई हैं उनका जब तक मुआवजा न बटे उस वक्त तक मालगुजारी न ली जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मेरा ९ साल का तजुर्बा है कि आपने भी सरकार से कई बार कहा और माननीय मुख्य मंत्री ने भी जुलाई के शुरू में आश्वासन दिया था कि बिना मुआवजा दिये, बिना एक्वायर किये किसी के खेत पर कोई निर्माण-कार्य नहीं शुरू होना चाहिये लेकिन फिर भी इस तरह के मामले आते हैं । मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चय करे . . . .

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतलाया कि यह मामला ८--१० साल पहले का है । उन्होंने अगर कोई वायदा इस बीच में किया और आप सवाल पुराना पूछेंगे तो फिर उसका जवाब पुराना ही मिलेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, बीसों बार इस सदन में आश्वासन दिया जा चुका है . . . .

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह घटना तो दस साल पहले की है ।

श्री राजनारायण---जब कानून में यह मौजूद है कि सरकार नहर या नलकूप के लिये बिना नोटिस और मुआवजा दिये किसी जमीन पर कार्य शुरू कर सकती है तो फिर सरकार उस व्यवस्था को पहले हटाये । जब कानून बनता है तब तो हम सोते रहते हैं ।

*३३--३४---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न ९४--९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३५--३६---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

घोसी तहसील में घाघरा क पेटे वाले गांवों को ऊंचा करने की प्रार्थना

*३७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ३ अगस्त, १९६० का कोई पत्र मिला है, जिसमें घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के लगभग ४३ गांवों को जो घाघरा नदी के पेटे में बसे हुये हैं ऊंचा करने के लिये लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में ४३ ग्रामों में से २ ग्रामों को ऊंचा करने का कार्य हो रहा है । तृतीय योजना में बाढ़ निरोधक कार्यों की सीलिंग अधिक कम हो जाने के कारण अब यह नहीं कहा जा सकता कि शेष ग्रामों को ऊंचा किया जा सकेगा या नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४३ ग्रामों में से किन-किन को ऊंचा किया जा रहा है और उस पर सरकार का कितना रुपया व्यय हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि सिर्फ दो गांव ऊंचे किये जायेंगे । अमूमन एक गांव को ऊंचा करने में, जैसा कि तजुर्बा बतलाता है, करीब १० हजार रुपया खर्च हुआ करता है । ग्रामों का नाम बरोहा और सिसवा है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गांव जो ऊंचे किये जा रहे हैं वह अगले वर्ष यदि बाढ़ आये उसमें बहें नहीं, इसके लिये कोई पक्की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ से कटाव को रोकने के लिये ऐसा किया जाता है कि उसमें सरकंडा वगैरह लगा दिया जाता है, इस से बचाव होता है इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय योजना में बाढ़ निरोधक कार्यों के लिये सरकार ने कितनी धनराशि मुकर्रर की थी और अब कितनी धनराशि रह गई है क्योंकि सीलिंग कम की गई है, ऐसा उत्तर में संकेत है ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमने १० करोड़ रुपये की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार से कुछ ऐसा आश्वासन भी हो गया था कि शायद इतना रुपया मिल जाय । बाद में जब प्लान के रुपये में कमी की गई तो ५ करोड़ ७५ लाख रुपया रखा गया । अब हमारे पास ४ करोड़ ९५ लाख रुपये से काम होना बाकी है ।

श्री गौरीशंकर राय—तृतीय पंचवर्षीय योजना में गांवों को ऊंचा करने की योजना क्या कुछ ही जिलों व गांवों तक सीमित रहेगी ?

श्री राममूर्ति—बहुत कम गांव ऐसे होंगे जिनको उठाये जाने की योजना बनाई जा रही है । रुपये की कमी के कारण इस स्कीम को बन्द-सा ही कर दिया गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि सरकंडा कोई टिन की किस्म है या लकड़ी की ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य तो ऐसी जगह से आते हैं जहां सरकंडा काफी होता है, गंगा के किनारे जाकर देख लें । वह सेंठे की किस्म है जिसमें पत्ते भी होते हैं ।

*३८-४०—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

हरदोई जिले में नहर की पटरी का काटा जाना

*४१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में पिछली गर्मी की वर्षा में कितने स्थानों पर नहरें काटी गईं और कितने स्थानों पर नहर के कारण पानी एकत्र होकर गांवों, घरों के गिरने का कारण बना तथा जनता द्वारा निकास बनवाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री राममूर्ति—हरदोई जिले में पिछली वर्षा में बरसाती पानी निकालने के लिये २७४ स्थानों पर नहरों की पटरियाँ काटी गईं ।

नहर के कारण पानी एकत्र हो कर गांवों तथा घरों के गिरने की कोई सूचना नहर विभाग को नहीं मिली ।

इस सम्बन्ध में ८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की गई ।

*४२—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३-४४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६-४७—श्री जंगबहादुर वर्मा—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८-४९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०-५१—श्री विश्रामराय—[आठवें बुधवार के लिये प्रश्न ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५२—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी जिले में नलकूप लगाने की योजना तथा लाखीताल की पानी निकास व्यवस्था

*५३—श्री लोकनाथसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कटेहर, जिला वाराणसी में चोलापुर बाजार के पश्चिम तरफ लाखीताल के पानी के निकास की पूरी व्यवस्था वे कब तक कर सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—ऐसे एक प्रस्ताव की जांच-पड़ताल हो रही है और आशा की जाती है कि यह कार्य आगामी वर्षा काल से पहले ही समाप्त हो जायगा ।

*५४—श्री लोकनाथ सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कटेहर, सुलतानीपुर व परगना जाल्हूपुर, जिला वाराणसी में कितने ट्यूबवेल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लग जायेंगे और कहां-कहां ?

श्री राममूर्ति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परगना कटेहर में २४ नलकूप और परगना जाल्हूपुर में ११ नलकूप लग जायेंगे । जिन स्थानों पर यह नलकूप लगेंगे उनकी सूची संलग्न है ।

परगना सुलतानीपुर में कोई नलकूप नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६९ पर)

श्री लोकनाथसिंह—चूंकि दूल्हीपुर इत्यादि ये तीन गांव जाल्हूपुर परगने के नहीं हैं, इसलिये मंत्री जी ३ नाम जाल्हूपुर परगने के जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें तो मैं देख लूंगा ।

श्री लोकनाथ सिंह—मैं तहसील चंदौली का रहने वाला हूं, इसलिये तो बहुत करीब से जानता हूं । ये ३ ट्यूबवेल मवई परगने के हैं, तो जाल्हूपुर परगने में तीन और ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—लिखकर बतावें तो मैं लगवाने की कोशिश करूं ।

लखनऊ में सैयद अली जहीर के मकान के रखरखाव पर राज्य सम्पत्ति विभाग का व्यय

*५५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि लखनऊ में अपनी निजी इमारत में रहने वाले उसके एक अधिकारी ने अभी कुछ समय हुआ हाउस रेन्ट के साथ इमारत में कुछ रद्दोबदल व इजाफा करने के लिये कई हजार रुपया राज्य सम्पत्ति विभाग से वसूल किया और बाद में इमारत को बेच दिया ? यदि हां, तो उन्होंने कितना रुपया किराये व इमारत की रद्दोबदल तथा इजाफे के रूप में लिया था और क्या वह अब भी सर्विस में हैं ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। किसी भी सरकारी अधिकारी के निजी मकान का ऐसा मामला राज्य सम्पत्ति विभाग में नहीं हुआ है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या भूतपूर्व मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ मंत्री ने इस प्रकार की कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । सम्भवतः माननीय सदस्य का इशारा सैयद अली जहीर साहब से है । अगर माननीय अध्यक्ष इजाजत दें तो मैं बताऊं ।

श्री अध्यक्ष—जब आपने नाम ही ले दिया तो बताना ही होगा ।

श्री राममूर्ति—जब सैयद अली जहीर साहब मंत्रिमंडल में आये सन् १९५१ के बाद, सन् १९५२ में, तो मंत्रियों के वास्ते सरकारी मकानों की कमी थी । सेंट्रल गवर्नमेंट में साहबजादा लियाकत अली खां की श्रीमती के नाम एक मकान था। सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने उसे सरकारी मकान मान कर उसका किराया देना शुरू कर दिया । इस प्रीसीडेंस को लेकर सैयद अली जहीर साहब का मकान लेकर उसको वित्त मंत्री साहब के लिये दे दिया गया । ३०० रुपये महीना उसका किराया दिया गया और २ महीने का किराया हर साल मरम्मत वगैरह में इस्तेमाल कर लिया जाता था ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से उसकी मरम्मत और तब्दीली में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री राममूर्ति—२ पुराने पंखे ११६ रुपये के लगाये, ५ आयरन आर्चेज ३५० रुपये के, सुरक्षा हेतु बिजली का इन्तजाम ३५० रुपये में हुआ । स्थायी गैराज की व्यवस्था ठीक कराई गई जिसमें ७५१ रुपये लगे । २ महीने के किराये में यह सब रुपया मुजरा कर लिया गया । केवल १०५ रुपये गैराज के फर्श पर सरकार के खर्च हुये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सन् १९५२ से मरम्मत में खर्च हुये रुपये की वसूली के लिये क्या तरीका अपनाया गया और वह अब भी राज्य सम्पत्ति है ?

श्री राममूर्ति—जब अली जहीर साहब मिनिस्टर थे तो उन्होंने वह मकान बेच दिया और पंचबंगलिया में एक मकान म वह चले गये ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जो ग्रान दरीबे में अपने निजी मकान में रहते हैं उनका बंगला भी सरकार द्वारा लेकर उन्हें किराया दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। उसकी मरम्मत पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—भूतपूर्व वित्त मंत्री ने वह मकान कितने में बेचा, पहले वह कितने का था और मरम्मत होकर कितने का रेट बढ़ गया ?

श्री अध्यक्ष—भाव बढ़ने का जवाब वह कैसे दे सकते हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या वर्तमान मुख्य मंत्री के मकान के बारे में यह निर्णय उन्होंने स्वयं लिया है या उनके लिये प्रार्थना नहीं है ?

श्री राममूर्ति—मुख्य मंत्री जी ने किराया लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—यह देखते हुये कि माननीय मुख्य मंत्री जी का मकान बहुत छोटा है और जरूरत पूरी नहीं होती, तो क्या सरकार उसे बड़ा कराने की स्कीम रखती है ?

श्री राममूर्ति—शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बेचलर हैं और अकेले हैं। अगर माननीय सदस्य को कभी जरूरत हो तो वह भी एक-आध कमरे में जाकर रह सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या बेचलर मंत्रियों के पास मिलने-जुलने वालों की तादाद कम होती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतायेगी कि जो एम० एल० ए० क्वार्टरों में रहते हैं उनमें से कुछ एक-एक क्वार्टर में दो-दो रहते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—इसके दो कारण हैं—(१) मेम्बरों की आपस की मुहब्बत और (२) मकानों की कमी ।

*५६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७-५८—श्री मेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५९-६०—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[११ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२-६४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५-६६—श्री लक्ष्मणराव कदम—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७-६८—श्री जंगबहादुर वर्मा—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६९—श्री लक्ष्मणराव कदम—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०—श्री रामस्वरूप वर्मा—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

नारायणी नहर

१—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री नारायणी नहर के सम्बन्ध में निम्न सूचना देने की कृपा करेंगे :—

(१) नहर का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होगा ?

(२) नहर का मुख्य मार्ग किन-किन स्थानों से होकर जायेगा ?

(३) उत्तर प्रदेश में नहर की लम्बाई क्या होगी ?

(४) जिला देवरिया तथा गोरखपुर नहर से कितने एकड़ की सिंचाई होगी और नाली में कितनी भूमि निकलेगी ?

(५) नहर की मुख्य-मुख्य शाखायें कितनी होंगी और उन शाखाओं का नाम क्या होगा तथा उनको कहां से निकालने का सर्वेक्षण किया गया है ?

(६) नहर का काम कब तक पूरा होगा तथा उस पर कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य का अभिप्राय वास्तव में गंडक नहर से प्रतीत होता है जिसके संबंध में सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७० पर)

२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सिंचाई मंत्री के पास ग्राम डोमा खंड, जिला गोरखपुर के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय का कि उक्त गांव के सामने नहर का पूर्व सर्वेक्षण बदल कर और नीचे किया जा रहा है, इस वर्ष भेजा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । उसकी छानबीन की जा रही है ।

खीरी उपनिवेशन योजनान्तर्गत सम्पूर्णनगर क्षेत्र में भूमि वितरण

३—श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या सरकार खीरी उपनिवेशन योजना, क्षेत्र सम्पूर्णनगर, जिला खीरी द्वारा भूमि वितरण के बारे में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :

(१) इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार (Educated unemployed) अथवा अशिक्षित भूमिहीनों (Uneducated landless) को कब से भूमि देना आरम्भ किया गया ?

(२) इस योजना द्वारा अब तक प्रति वर्ष कितनी भूमि शिक्षित बेरोजगारों को दी गई और कितनी अशिक्षित भूमिहीनों को ?

(३) इस योजना द्वारा क्या इसके निकटवर्ती क्षेत्र के अथवा बाहर के प्रतिष्ठित व्यवसाइयों को भी भूमि दी गई है ? यदि हां, तो कितनों को ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—

(१) सन् १९५५ से ।

(२) वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	शिक्षित बेरोजगार	अशिक्षित भूमिहीन	दी गई भूमि (एकड़ों में)
१९५५	४	२८	३६०
१९५६	२३	१०७	१,५३०
१९५७	२८	३२३	३,७९०
१९५८	१४	१२७	१,५५०
१९५९	८	२६	४२०
योग	७७	६११	७,६५०

(३) जी नहीं ।

मथुरा जिले के भूरीसिंह कांस्टेबिल को थानेदार रकाबगंज द्वारा गोली से मारे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—आज नियम ५२ के अनुसार जो प्रश्न उठाये गये हैं उनमें से श्री टीकाराम पुजारी का आज मैं ले रहा हूं । वह इस प्रकार है:—

"भूरी सिंह, पुत्र छेदासिंह कांस्टेबिल जो मथुरा जिले का निवासी था रकाबगंज आगरे में ड्यूटी पर था । रात्रि के आठ बजे बतारीख ९-३-६१ को थानेदार रकाबगंज ने उक्त कांस्टेबिल को गोली मार दी और अस्पताल में दाखिल कर दिया । थानेदार और भूरीसिंह में कुछ भीतरी रंजिश थी जिससे भूरीसिंह की मौत का कारण यह थानेदार बना । उसकी स्त्री और भाई को अस्पताल में नहीं मिलने दिया, कहा कि टांके टूट जायेंगे और बिना पोस्टमार्टम के लाश को १५-३-६१ को जलवा दिया और कहा कि उसने खुद आत्महत्या कर ली है । मैंने मौके पर इसकी जांच की, बात बिलकुल सच्ची है । इस दुर्घटना से जनता में भय, आतंक तथा क्षोभ व्याप्त है ।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय तथा निश्चित प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।"

इस पर माननीय गृह मंत्री कब अपना वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, ३ अप्रैल को यह रख दिया जाय ।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला आजमगढ़ के ग्राम अदरी, में रविदास जयंती महोत्सव को भंग करने के संबंध में वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, इस संबंध में मेरा बयान इस प्रकार है :—

"ग्राम अदरी और उसके करीब गांवों में रहने वाले हरिजन लोग ग्राम अदरी में कुछ वर्षों से रविदास जयन्ती मनाते हैं । इस सिलसिले में वह महात्मा रविदास का विमान भी जलूस के साथ निकालते हैं । २६-२-६१ को यह जलूस रामरूप पोखरा से शुरू होकर नियत रास्ते से चला । अदरी ग्राम में जलूस वालों ने एक नये रास्ते से जो

[श्री रामस्वरूप यादव]

ग्राम के अन्दर होकर जाता था, जलूस को निकालना चाहा। इस रास्ते पर जामा मसजिद, इस्लामिया स्कूल और मुसलमानों के मकान हैं। मुसलमानों की ओर से इस नये रास्ते से जलूस ले जाने पर एतराज किया गया और इससे साम्प्रदायिक भावनायें उत्तेजित हुईं। जिलाधीश को टेलीफोन से इसकी सूचना मिली और उन्होंने एस० डी० एम० घोसी और पुलिस सर्किल आफीसर को तुरन्त ग्राम अदरी में भेजा। चूंकि जलूस के संयोजकों ने नये रास्ते से जलूस ले जाने की अनुमति नहीं प्राप्त की थी अतः इन अधिकारियों ने जलूस वालों से कहा कि वह जलूस को उसी रास्ते से ले जायं जिस रास्ते से जलूस पिछले सालों से निकलता आया है, परन्तु यह लोग राजी नहीं हुए और रामरूप पोखरा वापस चले गये।

११-३-६१ को श्री मुनेश्वर सिंह (जो प्रजासोशलिस्ट कार्यकर्त्ता हैं) एक हरिजन साधु दौलतदास को साथ लेकर जिलाधीश इंचार्ज (जिलाधीश छुट्टी पर थे) के पास आये और नये रास्ते से जलूस निकालने की इजाजत मांगी। जिलाधीश इंचार्ज ने यह इजाजत दे दी और साथ ही मैजिस्ट्रेट, पुलिस आदि का प्रबंध कर दिया। जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि रविदास जयन्ती का जलूस १६-३-६१ को नये रास्ते से निकाला जायगा तो उनमें काफी उत्तेजना हुई। श्री मुनेश्वर सिंह ने हरिजनों से कहा कि यदि मुसलमान लोग नये रास्ते से जलूस निकालने पर ऐतराज करेंगे तो उनको भी देख लिया जायगा। श्री मुनेश्वर सिंह के इस भाषण से साम्प्रदायिक उत्तेजना उभरी और पुलिस ने यह देखकर कि शांति भंग होने की आशंका है, श्री मुनेश्वर सिंह को धारा १५१ सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार कर लिया। रविदास जयन्ती के संयोजकों को कहा गया कि वह अपना जलूस नये रास्ते से निकालें, परन्तु श्री मुनेश्वर सिंह की गिरफ्तारी के कारण उन्होंने जलूस को नहीं निकाला।

कुछ दिनों बाद श्री मुनेश्वर सिंह को खुद अहसास हुआ कि उनको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये था जिससे साम्प्रदायिक नफरत बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि वह आयंदा ऐसा कार्य नहीं करेंगे। उनके ऐसा कहने पर मैजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ धारा ११७ सी० आर० पी० सी० की कार्यवाही को बंद किया और वह छोड़ दिये गये। २२-३-६१ को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अदरी ग्राम में सभा करना व पुनः जलूस निकालना तय किया। मैजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती ग्राम में कर दी गयी। पी० एस० पी० के कार्यकर्ताओं और उनके अनुयायियों की इस सभा में कुछ हरिजन तथा मुसलमानों ने भाग नहीं लिया और उन लोगों ने अपनी मीटिंग अलग की। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इस कार्य की भर्त्सना की कि वे राजनैतिक उद्देश्य से इस मामले में भाग ले रहे हैं। दौलतदास साधु ने, जिन्होंने कि जिलाधीश इन्चार्ज से जलूस निकालने की आज्ञा मांगी थी, पी० एस० पी० के रवैये पर असन्तोष प्रकट किया और कहा कि रविदास जयन्ती के मामले में राजनीति लाना उचित नहीं था। उन्होंने लिखित सूचना दी कि वह इस साल जलूस नहीं निकालेंगे। महात्मा रविदास का रथ अब भी रामरूप पोखरा पर रखा हुआ है और हरिजन स्वयं उसको निकालना नहीं चाहते हैं।

सरकारी अधिकारियों द्वारा जलूस निकालने में कभी कोई बाधा नहीं उपस्थित की गई, बल्कि जब-जब जलूस निकालने की सूचना मिली पुलिस तथा मैजिस्ट्रेसी की पूरी व्यवस्था की गयी। यह कहना निराधार है कि अधिकारियों द्वारा हरिजनों को किसी प्रकार की धमकी दी गयी। यह भी कहना ठीक नहीं है कि आस-पास के क्षेत्रों के हरिजनों और जनसाधारण में क्षोभ फैला हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थानापन्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हरिजनों को जलूस निकालने के लिये कोई लिखित आज्ञा प्रदान कर दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उन्होंने नये रास्ते से जलूस निकालने की इजाजत दे दी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आदेश दे रखा था तो जलूस न निकालने देने का क्या कारण उपस्थित हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---१६ मार्च को तो इस वजह से नहीं निकला कि श्री मुनीश्वर सिंह को दफा १५१ के अन्तर्गत इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया था कि कहीं झगड़ा न हो जाय, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को भी देख लेंगे। बाद में उनसे कहा गया कि वे नये रास्ते से जलूस निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने नये रास्ते से जलूस को नहीं निकालना चाहा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि श्री मुनीश्वर सिंह, अदरी गांव के पंचायत भवन में अलग बैठे हुए थे और वहां पर कोई भी और व्यक्ति नहीं था और न कोई सरकारी आफिसर ही था तथा उसी जगह से बुला कर उनको गिरफ्तार किया गया, तो किस से उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर रोकेंगे तो उनसे भी हम निपट लेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---गिरफ्तारी से पहले उन्होंने हरिजनों से ही कहा था कि जलूस निकालने की इजाजत तो मैं ले ही आया हूं, अब अगर मुसलमान रोकेंगे तो उनको भी देख लिया जायगा।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---क्या सरकार के पास या उसके अधिकारियों के पास वहां के स्थानीय मुसलमानों ने लिखित रूप में कोई इस तरह की शिकायत की थी कि वे जलूस नहीं निकालने देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन, यह कहना तो निश्चित नहीं है, लेकिन पहले दिन २६ फरवरी को जलूस निकालने पर उन्होंने आपत्ति की कि वे इस रास्ते से जलूस नहीं निकालने देंगे। जब इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मिली तो उन्होंने एस० डी० एम० को मौके पर भेजा। उन्होंने पुराने रास्ते से जलूस निकालने के लिये कहा, जिसके लिये वे तैयार नहीं हुए, इसीलिये जुलूस अभी तक रुका रहा।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करवायेंगे कि वहां पर कोई साम्प्रदायिक भावना पहले से नहीं थी और न किसी पार्टी द्वारा पैदा करायी गयी थी, बल्कि वहां के सरकारी अधिकारियों ने वहां साम्प्रदायिक भावना फैलायी जिससे इस तरह का टेंशन हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच की आवश्यकता नहीं है श्रीमन्, २६ फरवरी को जब जलूस को रोका गया तो वहां पुलिस नहीं थी पुलिस तो सूचना मिलने पर शाम को पहुंची। जलूस २६ फरवरी की दोपहर को ही निकला था, लेकिन जब मुसलमानों ने आपत्ति की और उसको रोका तो सूचना मिलने पर जिला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और यह कहा कि इस रास्ते से जलूस न निकालें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रविदास जयन्ती के प्रबन्धकर्त्ता नये मार्ग से जलूस निकालने पर क्यों जोर देते रहे और उसकी क्या खास बात थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो वही जान सकते हैं, लेकिन वह नये मार्ग से गांव के अन्दर होकर निकालना चाहते थे जिस पर कि जामा मस्जिद और इस्लामिया स्कूल भी हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास इस आशय की कोई शिकायत आई या नहीं कि वहां कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ और वहां जो भी गड़बड़ी हुई वह वहां के अधिकारियों द्वारा, उनके ही कारण हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो कुछ इस विषय को उठाया गया है वह तो स्वयं एक शिकायत है ही और इसके अलावा श्री मुनीश्वर सिंह ने स्वयं कहा कि मैं महसूस करता हूं कि मैंने गलती की है और आगे ऐसा न होगा और इसी पर अदालत ने उनको छोड़ दिया और मामले को खत्म कर दिया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी जानकारी है कि रविदास जयन्ती के जो जलूस हर वर्ष छोटे-छोटे गांवों में निकलते हैं उनके लिये कोई मार्ग पहले से निश्चित नहीं होता और इसी प्रकार इस गांव में भी पुलिस के रिकार्ड में कोई मार्ग निश्चित नहीं था और यकायक जलूस को रोक कर नये पुराने मार्ग का मामला पैदा कर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—५-६ साल से जलूस जिस रास्ते से निकल रहा था उससे निकाले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, जिस नये रास्ते से वह इस वर्ष निकालना चाहते थे उस पर आपत्ति थी और पुलिस को यह अधिकार है कि वह रास्ता निश्चित करे। लेकिन बाद में जिला मैजिस्ट्रेट ने ११ मार्च को इजाजत दे दी कि जलूस नये मार्ग पर भी निकाला जा सकता है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस नये रास्ते से जलूस निकालने का निश्चय किया गया था उसकी सूचना पहले से सरकार को दे दी गई थी और उस रास्ते में कोई जामा मस्जिद पड़ती थी या यों ही इन्कार कर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—नये रास्ते की सूचना नहीं दी थी, नये रास्ते पर जामा मस्जिद, इस्लामिया पाठशाला और कुछ मुसलमानों के मकान पड़ते थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह जलूस का पुराना रास्ता किस कागज में दर्ज है या किस तरह से वह उसको पुराना रास्ता बतलाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे वह पुराना रास्ता जरूर है, लेकिन वह पुलिस के कागजात में दर्ज होगा यह सूचना नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जिस रास्ते को मंत्री जी नया रास्ता कहते हैं और जिस पर जामा मस्जिद और इस्लामिया पाठशाला है, उसी रास्ते पर १५ दिन पहले क्या महाबीर जी का एक बड़ा साम्प्रदायिक जलूस निकला था और उस पर वहां के मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जलूस नये रास्ते पर निकलने को हुआ तो क्या वहां के मुसलमानों ने कोई लिखित आपत्ति स्थानीय अधिकारियों के सामने की थी और जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बाद में कलेक्टर ने फिर आज्ञा दे दी कि नये रास्ते से भी जलूस निकाला जा सकता है, तो वहां के मुसलमान जिन्होंने कि पहले आपत्ति की थी वह कैसे राजी हो गये जलूस निकलवाने के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसका उत्तर तो मैंने दिया कि मुझे सूचना नहीं है कि लिखित आपत्ति की या नहीं की। बाकी कहा जरूर था और इसी सम्बन्ध में जिला अधिकारी वहां गये भी थे। बाद में मुसलमान राजी कैसे हुये? तो इसमें राजी होने का सवाल नहीं है जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार है रास्ता बदलने का, उन्होंने इजाजत दे दी और प्रबन्ध कर दिया कि वहां पुलिस रहे और ऐसी कोई घटना न घटे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---मंत्री जी ने कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट को रास्ता बदलने का अधिकार है और यह सत्य है कि स्थानापन्न जिलाधीश ने नये रास्ते से जलूस निकालने की इजाजत दे दी और मैजिस्ट्रेट भी मौके पर थे और पुलिस की भी उचित व्यवस्था थी तो उस मौके पर जलूस के न निकलने देने का क्या कारण था और मुसलमानों ने जो आपत्ति की तो किस मुसलमान ने किस से आपत्ति की और कोई तहरीरी चीज आई या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो यही निवेदन किया है कि जब मैजिस्ट्रेट ने इजाजत दी नये रास्ते से निकालने की, उसके बाद से आज तक कोई रोक इस बात पर नहीं है कि वह नये रास्ते से जलूस न निकालें। किस मुसलमान ने दरख्वास्त दी या आपत्ति की, उसका नाम तो मेरे पास इस वक्त है नहीं।

श्री राजनारायण(जिला वाराणसी)---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि रविदास जयन्ती की कोई एक निश्चित तारीख होती है या जिस तिथि को चाहें उस तिथि को मनाई जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--- जो मनाते हैं वह मेरे खयाल में निश्चित तारीख पर ही मनाते हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संभवतः ३१ जनवरी रविदास जयन्ती मनाने की तिथि है ?

श्री अध्यक्ष---आप उसका मतलब बतलाएं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जयन्ती कहीं २६ फरवरी को, कहीं १६ मार्च को, कहीं २४ मार्च को मनाई जाती है, तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह रविदास जयन्ती थी या कोई और जलूस था।

श्री अध्यक्ष---वह तो रविदास जयन्ती बता ही रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी तकलीफ है। २१-२२ को विश्रामराय जी और हम और कुछ दूसरे लोग मौके पर गये। यह बिलकुल गलत है कि मुसलमानों ने रोका। वहां के प्रधान से बात हुई। किसी ने नहीं रोका। जो मुनीश्वर सिंह जी गिरफ्तार हुए, एक मील पर जलूस था, न उन्होंने कोई लेक्चर दिया, न कुछ किया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुक्म के बावजूद परगना हाकिम ने मुनीश्वर सिंह को क्यों गिरफ्तार किया जबकि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ और यह भी ग़लत है कि दूसरी सभा हुई, कोई दूसरी सभा नहीं हुई. . .

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मेरा प्रश्न यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुक्म के बावजूद परगना हाकिम ने क्यों मुनीश्वर सिंह को गिरफ्तार किया और हरिजनों के जलूस को क्यों रोका ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिलाधीश की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। मैंने कई बार निवेदन किया कि इजाजत दे दी गई कि नये रास्ते पर जलूस जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि गिरफ्तार किया गया। वह दूसरी चीज है। कानून बना हुआ है, सी० आर० पी० सी० की धारा है। अगर वह समझते हैं कि इससे झगड़ा होने की संभावना है तो गिरफ्तार कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने मुनासिब समझा गिरफ्तार करना ताकि साम्प्रदायिक दंगा न हो जाय, इसलिये गिरफ्तार किया गया।

सेकेन्डरी एजूकेशन कमीशन के बारे में चर्चा की तारीख की जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। रूल ५३ के मुताबिक आपने आज्ञा दी थी कि किसी दिन सेकेन्ड्री एजूकेशन कमीशन के बारे में चर्चा होगी। उसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तो सरकार बताये कि किस तारीख को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष---सरकार के बताने का सवाल नहीं है। वह तो नेता सदन और मुझ से बात होकर तय हो सकता है। मैं समझता हूं कि कल उपाध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया था और उसमें यह था कि बजट में कई शनिवार भी ले लिये गये हैं, तो या तो बजट के बाद इस पर विवाद हो या यह निश्चय कर लिया जाय कि किसी रोज एक-दो घंटे ज्यादा बैठ जायं, पांच बजे के बाद, तो उस रोज हो। उसके लिये आप आपस में चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस रोज बैठने के लिये तैयार हों उस रोज समय दे दिया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ५४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट है कि यदि अध्यक्ष उसको अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण मानें तो शीघ्रातिशीघ्र नेता सदन से परामर्श करके उसके लिये समय निश्चित करेंगे। तो आपने इसे अविलम्बनीय प्रश्न समझा और महत्वपूर्ण समझा और अब अगर यह होगा कि बजट के बाद डिस्कस करेंगे तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। श्रीमन्, इसमें यह भी है कि आप स्वयं परामर्श करके समय निर्धारित कर दें। तो मेरा निवेदन है कि जिस दिन से ३१ तारीख से, हम ग्रान्ट्स पर बहस कर रहे हैं, उन पर बहस करने से पहले आप जो भी समय निर्धारित करें उस वक्त वह हो जाय, अन्यथा देर होगी।

श्री अध्यक्ष---यह बात सही है कि इसको समय जरा जल्दी मिलना चाहिए और कम से कम जो शिक्षा विभाग का अनुदान आयेगा उसके पहले इस पर बहस हो जाय तो शिक्षा विभाग के बजट के वक्त लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। मैं इसके लिये बातचीत कर लूंगा।

१९६१-६२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---कल आम बहस पर श्री अब्दुल लतीफ नोमानी भाषण दे रहे थे। उनके १० मिनट बाकी हैं।

***श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सिंचाई के सिलसिले में जो छूट वापस ली गई है, यह सही है कि वापस न ली जाती तो अच्छा था, लेकिन वापस लेने पर यह तर्क देना कि सिंचाई वापस ले ली गई तो १९६२ के चुनाव में किसान इसका बदला लेगा, या यह कहना कि इसकी वापसी से पैदावार पर असर पड़ेगा, दोनों बातें मेरी नजरों में गलत हैं। किसी भी कारोबारी आदमी पर अगर कोई खर्चा बढ़ता है, टैक्स के रूप में या और किसी दूसरी तरह से तो वह अपनी पैदावार को बढ़ाता है, घटाता नहीं। और अगर किसी पर टैक्स लग जाय और वह उसका चुनाव में बदला लेने लगे इस नुक्ते नजर से अगर सरकार काम करेगी तो सरकार को देश की तरक्की के लिये कभी कोई टैक्स लगाना नामुमकिन हो जायगा।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि देश की तरक्की के लिये हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। एक तो खेती की तरक्की हो और हमारे यहां जो कारोबार हैं उनको बढ़ावा दिया जाय। खेती की तरक्की के लिये सरकार जितने इंतजामात करती है, खाद, बीज, आबपाशी या और दूसरी चीजों का जो इंतजाम है, यह तो सरकार का फर्ज है और वह उसे कर रही है, इन तमाम बातों के बाद भी खेती की पैदावार बढ़ाने का काम उस तबके का है जो खेती करता है

†२७ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उन लोगों को इस बारे में समझाने की कोशिश करनी चाहिये, जो कि देश सेवा में अपने आप को मशगूल रखना चाहते हैं। हमारे यहां किसान सभायें हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने, गांव सभा या पार्टियों ने, किसानों को पैदावार बढ़ाने की, इस सिलसिले में उनकी रहनुमाई करने की कोशिश की है? और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ेगी।

सनअतों के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि बड़ी सनअतें हमारे यहां कम हैं, छोटी सनअतें जरूर हैं, जिनमें से एक बड़ा काम हैन्डलूम का है। इस काम के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां मऊ, जिला आजमगढ़ में, लगभग दो करोड़ रुपये का सूत मिल का खपता है और कपड़ा लगभग ४ करोड़ रुपये का बनता है और बाहर जाता है। अगर इस काम का ठीक तरीके से इंतजाम किया जाय तो इसमें मुल्क की बेकारी हल करने की बड़ी ताकत है। आज मऊ और उसके आसपास के गांवों में हजारों आदमी ऐसे हैं जो आज से ५ साल पहले कपड़ा बुनने का काम नहीं करते थे लेकिन अब करते हैं, उसमें हरिजन, पिछड़ी जाति तथा उच्च जाति के आदमी लगे हुए हैं जो अपनी बेकारी को दूर कर रहे हैं। हमारे यहां इस बात की जरूरत है कि इस बड़े काम के लिये जिसमें २ करोड़ रुपये का मिल का सूत खपता है, मऊ के आस-पास एक सरकारी सूत का मिल होना चाहिये जो करघे वालों को सूत दे। पहले सुना जाता था कि मऊ के आसपास सरकारी सूत की मिल खुलने वाली है, लेकिन अब खामोशी है। अब यह चल रहा है कि श्री जयपुरिया एक मिल खोलेंगे और उनको इजाजत दे दी गई है। लेकिन अच्छा होता अगर सरकारी तौर पर सूती मिल खुलती और वहां के लोगों की मदद करती। पब्लिक सेक्टर में अगर मिल खुलती तो अच्छा होता, इससे बुनकरों को और सरकार, दोनों को फायदा होता है।

दूसरा सवाल यह है कि हमारे मुल्क की आबादी का लगभग ५२ फीसदी हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाता है। पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह बिलकुल नाकाफी है लेकिन अफसोस है कि वह छात्रवृत्ति साढ़े ११ लाख के बजाय अब ९ लाख ९ हजार कर दी गयी है, यानी बजाय इजाफा करने के कम हो गयी है। तो कैसे यह तालीम जारी रख सकेगा और उन्नति कर सकेगा?

एक बात यह गुजारिश करनी है कि हमारे मुल्क में पिछड़े वर्ग के अलावा इससे भी ज्यादा पिछड़ा तबका है हरिजनों का। हरिजनों की उन्नति के लिये इस सरकार ने तै किया था कि सरकारी मुलाजिमतों में १८ फीसदी जगहें उनके लिये मखसूस कर दी जायं। लेकिन १८ फीसदी की जगह १२ या १० फीसदी जगहें भी उनको सरकारी मुलाजमतों में नहीं मिल सकीं। तो जिन लोगों के लिये जगहें मखसूस हैं उन्हीं का कोटा जब पूरा नहीं हो सका तो पिछड़े वर्ग के लिये जब जगहें मखसूस नहीं हैं और उनके आदमी अगर सरकारी नौकरियों में नजर नहीं आते तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमारे सूबे के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी मुलाजमतों पर खर्च किया जाता है और हमारे मुल्क का ५०, ७५ फीसदी हिस्सा नजरन्दाज कर दिया जाता है। बड़े पदों को छोड़कर सरकारी मुलाजिमों में चपरासियों का जो तबका है, निचला वर्ग, उसमें भी उनके लिये कोई स्थान नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि जब ७५ फीसदी हमारी आबादी का तबका तरक्की से वंचित रहेगा, आसानियों से अलैहदा रहेगा तो हम अपने समाज को किस तरह तरक्की दे सकेंगे, किस तरह से नातबके वाला समाज बनाने में कामयाब हो सकेंगे और कैसे सोशलिज्म हमारे देश में कामयाब होगा?

इस सिलसिले में मुझे एक बात और गुजारिश करनी है कि हमारे यहां हरिजनों तथा पिछड़े तबके के अलावा एक और नया पिछड़ा तबका पैदा होता चला जा रहा है और मुझे अफसोस है कि हमें उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, वह है मुसलमानों का तबका। जमींदारी खत्म हुई, ताल्लुकेदारी खत्म हुई, मुलाजमतों के दरवाजे उनके लिये बन्द हैं, कारोबार में कोई हिस्सा नहीं। आम तौर पर देहातों तथा शहरों में मुसलमान खानदान इस कमजोरी की हद तक पहुंच गये हैं

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

कि अगर उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया तो यह तबका हमारे मुल्क के लिये बोझ बन जायगा। इसलिये सरकार सरकारी नौकरियों में उनकी तरफ भी ध्यान दे।

एक बात यह भी गुजारिश करनी है और पहले भी इसका जिक्र किया गया था कि एक फिरके के लोगों का असर होता जा रहा है। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसका असर लाजमी तौर पर सरकारी आदमियों पर भी पड़ता है। जब एक ही फिरके के लोग, एक ही खयाल के लोग पुलिस में भी, सी० आई० डी० में भी और हर मुलाजमत में होंगे तो इसका नतीजा यह होता है कि दूसरे तबके के सही हालात गवर्नमेन्ट को मालूम नहीं हो सकते। गवर्नमेन्ट को जब सही हालात मालूम न हों तो ऐसी सूरत में गवर्नमेन्ट मुल्क का ठीक तौर पर इन्तजाम कर सकेगी, यह उसके लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये मुल्क की बहबूदी के खयाल से यह बात बड़ी अहम है कि सरकारी नौकरियों में, पुलिस तथा सी० आई० डी० में मुसलमानों को भी मुनासिब स्थान मिलना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस (ध्वनि विस्तारक यंत्र) में आवाज नहीं रह गयी है।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---आपकी तो बिना आवाज के ही आवाज है।

श्री राजनारायण---ठीक है, जब मानवकृत मशीन फेल हो गयी है तो जो कुदरती है उसी से काम लिया जायगा।

श्रीमन्, मैं वर्तमान बजट की समीक्षा करने के पूर्व किस प्रकार किसी वस्तुस्थिति का अंकन होना चाहिये इस पर कुछ महर्षियों की वाणी को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करूंगा।

"सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समंजसम्।
अब्रुवन् विब्रुवन वापि नरो भवति किल्विषी।।"

विधान निर्णय की सभा में पहले तो आना ही नहीं चाहिये, प्रवेश करने पर न्यायपूर्ण ही बोलना चाहिये, लेकिन जो लोग सभा में जाकर अन्याय होने पर बोलते ही नहीं या असत्य पक्ष लेते हैं वे सभासद् पापी हैं।

यह एक महर्षि की पवित्र वाणी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत कर दी और इस निवेदन के साथ कि जब हमारे यहां बोलने का यही क्रम रहेगा कि सत्य और असत्य बातों पर जहां परदा पड़ता रहे तो उसको खोलने की भी कोशिश हमारे द्वारा होगी। अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ ठेस पहुंचे तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हुआ जा रहा हूं।

"राज्ञः सत्वे असत्वे वा विशेषो नोपलक्ष्यते।
कृषिबलविनाशे तु जायते जगतो विपत।।"

राजा रहे या न रहे, इससे कुछ विशेष हानि नहीं है। मगर यदि राष्ट्र के किसानों का विनाश हुआ तो जगत पर विपत्ति आ जायगी।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---श्रीमन्, सुनायी नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप जरा बीच में टोकें नहीं।

श्री राजनारायण---सुनायी न दे तो दूसरी बात है, लेकिन अगर समझ में न आये तो मैं समझा सकता हूं।

तो उससे जग पर विपत्ति आ जाती है। चाहे माननीय संपूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री के रूप में अपनी सरकार चला रहे हों, चाहे माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त मुख्य मंत्री के रूप में अपनी सरकार चला रहे हों इसमें विशेष भेद नहीं पड़ेगा, मगर लेकिन यदि प्रदेश के किसानों पर मुसीबत आती है तो वह विपत्ति असह्य हो जाती है। उस विपत्ति का मुकाबला होना चाहिये ऐसे लोगों के द्वारा जो सत्पथ गामी हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट निश्चित रूप में प्रदेश के किसानों के लिये हितकर नहीं है, वह बजट निश्चित रूप में प्रदेश के मजदूरों के लिये हितकर नहीं है, वह बजट निश्चित रूप में प्रदेश की मेहनतकश जनता के लिये हितकर नहीं है, वह बजट निश्चित रूप में जो प्रदेश की बढ़ती हुई गरीबी और बेकारी है, उसको दूर करने में अनुपयुक्त है। एक वाक्य में यह कहा जाय तो यह बजट सर्वग्रासी भावना को लेकर चलने वाला पूंजीवादी बजट है।

श्रीमन्, सरकार का क्या कर्त्तव्य होता है? सरकार का कर्त्तव्य है समाज की सेवा करना, समाज की सुरक्षा करना। अगर सेवा और सुरक्षा को देखा जाय तो मैं निश्चित रूप से इस नतीजे पर आया हूं कि दोनों दृष्टिकोणों से सरकार पूर्णतया नाकामयाब हुई। चोरी और डकैती, पहले मैं इसी को ले लेना चाहता हूं। अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत जब इस प्रदेश में कायम थी तो सन् ४५-४६ में कुल ४८१ राहजनी के कांड हुए थे, नकबजनी के १९,५९६, हत्या के १०१९, कत्ल के साथ डकैती के ३७ और हथियारबन्द डकैती के २८१ कांड हुए थे। आज जरा देखा जाय कि इस सरकार ने जो आंकड़ों की किताब भेजी है उसके द्वारा डकैती हो गई है ८४९, लूटमार ५०४, हत्या १६९४। श्रीमन्, यह १९५९ के आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अब मैं श्रीमन्, १९५८ के भी आंकड़े पढ़ दूं ताकि ज्ञात हो जाय कि हमारे प्रदेश में डकैती कितना विकासोन्मुख हो रही है। हत्या कितनी विकासोन्मुख हो रही है। कितना लूटमार विकासोन्मुख हो रहा है। आंकड़े १९४५-४६ के पढ़ दिये हैं, १९५९ के भी पढ़ दिये हैं। अब १९५८ के और पढ़ दूं ताकि विश्लेषण हो जाय। १९५८ में डकैती ८२५ थीं जो बढ़कर १९५९ में ८४९ हो गई, लूटमार के १९५८ में ४७७ केसेज थे जो १९५९ में ५०४ हो गये, इसी तरह से ५८ में हत्या १६३७ थीं जो बढ़कर १९५९ में १६९४ हो गई। यह इस सरकार के कार्यकाल में डकैती, हत्या और लूटमार बढ़ रही है। अब इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य देखें कि जिस राज्य में डकैती बढ़ाव पर हो, हत्या बढ़ाव पर हो और लूटमार बढ़ाव पर हो तो वह राज्य अच्छा कहा जायगा या बुरा कहा जायगा। निश्चित रूप में यह राज्य बुरा है और जन-कल्याण में जितनी जल्दी हटाना संभव हो सके, हटाया जाना चाहिये।

श्रीमन्, हमारे सामने योजनाओं के संबंध में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं कि पंचवर्षीय योजना सरकार चला रही है। दो पंच वर्षीय योजनायें इस सरकार की बीत चुकी हैं और तीसरी आ रही है इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य आंकड़ों का जरा विश्लेषण करके देखें कि क्या हमारे देश और प्रदेश में जो हमारे साधन हैं, देश की संपत्ति को बढ़ाने के लिये, उनका सदुपयोग हो रहा है या नहीं? अगर नहीं होता है तो सरकार की भर्त्सना होनी चाहिये।

श्रीमन्, इस समय देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया है इस को अच्छी तरह से समझना होगा और यह भी देखना होगा कि यह खर्चा कहां खर्च हो रहा है? कर्जे का ज्यादातर खर्चा रक्षा पर खर्च होता चला जा रहा है और एक वाक्य में कह दूं कि ४८-४९ में जितना खर्चा हो रहा था उसके आंकड़े हैं, १४,६०६ लाख रुपया और लगातार रक्षा के खर्चे में वृद्धि होती चली गई है और इस समय ५९-६० में २४,२६८ लाख रुपया खर्च हो रहा है। केवल ५६०.४७ करोड़ रुपये का रक्षा पर खर्चे का भार सन् ४८ के बाद बढ़ गया है। तो यह सोचा जा सकता है कि जब लगातार खर्चे का भार बढ़ता चला जायगा तो उससे कितने जन कल्याण के काम हो सकते हैं? जन कल्याणकारी योजनाओं को देखा जाय तो मालूम होगा कि ५ गुना रक्षा का भार बढ़ गया है। इसी के साथ-साथ जो आमदनी होती है, वह कितनी खर्च होती है, उसको

[श्री राजनारायण]

भी देखना चाहिये। १९४७-४८ सिविल प्रशासन पर जहां १४६६ लाख रुपया खर्च हो रहा था वहां १९५८-५९ में २०,०४४ लाख रुपया खर्च हो रहा है ? यानी यह भी रकम १५ गुना बढ़ गयी है।

अब श्रीमन्, देखना यह है कि कर्जा हमारे यहां कितना हुआ है। श्रीमन्, हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो १५-८-४७ को २१८९ करोड़ रुपये का कर्जा था और पौन्ड पावना १३३१ करोड़ था। इस तरह से शुद्ध कर्जा ८५८ करोड़ रुपया रहा १५-८-४७ को।

इसके अतिरिक्त हम देखें कि बिना ऐसेट (सम्पदा) बढ़ाये हुए ऐसेट के ऊपर ११ अरब रुपये का कर्जा हो गया है। हमारे सदन के सम्मानित सदस्य हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। जरा हम सोचें कि हमारे पास ऐसेट नहीं है तो कर्जा हम देंगे कहां से ? ११ अरब रुपये कर्जा, ऐसेट के ऊपर, हमारे देश में हो गया है।

श्री अध्यक्ष—आप क्या लोक सभा में खड़े हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अपने सूबे पर आ रहा हूं। अपने सूबे को देखा जाय तो ४ अरब ७० करोड़ का कर्जा है। सारे देश को देखा जाय तो हमारे सूबे का अनुपात १/४, १/५ आता है ? पंचवर्षीय योजना के नाम पर, समाज-विकास के नाम पर देश और प्रदेश पर कर्जे का भार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम जा कहां रहे हैं ? भोजन पर देखें कि हमारे एक-एक आदमी को कितना भोजन की पौष्टिक शक्ति मिल पा रही है, तो हिन्दुस्तान की गणना दुनिया के सबसे निम्नतम देशों में आयेगी। अगर हम केवल कैलोरी को ही ले लें तो मिस्र में २५६० कैलोरी, अमेरिका में ३१०० कैलोरी, कैनाडा में ३१९० कैलोरी और भारत में १८८० कैलोरी प्रति व्यक्ति है। तो कैलोरी में हमारा देश निम्नतम आता है। और आंकड़े में छोड़ देता हूं, क्योंकि समय नहीं है।

सरकार कहेगी कि हम लोहे के कारखाने खोल रहे हैं, फैक्टरी खोल रहे हैं, हम सीमेंट फैक्टरी खोल रहे हैं, तो लोहा, सीमेंट, बिजली, शक्ति के बारे में हमारी विवेचना हो जानी चाहिये। अगर यह देखा जाय कि विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति शक्ति की खपत का क्या औसत है, तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान करीब-करीब सबसे पिछड़ा हुआ है। जहां कैनाडा में शक्ति ८.२५ टन कोयला वार्षिक खर्च होता है, अमेरिका में ८.५८ है, वहां भारत में ७.१२ टन कोयला है। अब आप इसको जरा खयाल करें कि इस प्रकार से जो खपत औद्योगिक औसत में शक्ति की हो रही है वह हमारे देश में सबसे कम है। (शक्ति का अर्थ गैस, तेल, अणपन बिजली और कोयला द्वारा उत्पादित सब शक्ति को बराबर कोयला में बदल दिया)।

अगर हम चीनी को देखें तो हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति औसत खपत हमारे प्रदेश में कम है। बम्बई में २२.४ किलोग्राम, बंगाल में १७.२ किलोग्राम, पंजाब में १९.१ किलोग्राम, बिहार में ७ किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में ६.५ किलोग्राम, यह क्या मामला है ? कहां सरकार जा रही है ? इसके बारे में भी अगर पूरे आंकड़े रखें तो आंख खुल जायगी।

आपको मालूम होगा कि प्रोफेसर कोलडार को भारत सरकार ने हिन्दुस्तान की टैक्सेशन की स्थिति की जांच करने के लिये निमंत्रित किया था। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार आय-कर में ४८० करोड़ की चोरी की जा रही है। ४८० करोड़ की चोरी हो रही है और यह सरकार हमारे ऊपर बिक्री कर और सिंचाई कर बढ़ा रही है। इसका विवेचन बाद में होगा।

उसी के साथ-साथ मेरा निश्चित मत है कि इस सरकार के बजट को पूंजीवादी बजट कहा जाना चाहिये। क्योंकि छूट किसको होती है ? छूट होती है पूंजीपतियों को। आज

जो सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक बड़े-बड़े उद्योगधन्धों को बढ़ावा दिया जा रहा है--अभिनवीकृत मशीन अथवा नये उद्योगों का उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात् लगातार ५ वर्ष तक देश में आयकर कानून के अन्तर्गत जितना टैक्स उन पर बनेगा उसमें से २५ प्रतिशत उने पूंजीपतियों को डेवलपमेंट रिबेट (विकास के लिये छूट) दिया जायगा। तो यह २५ प्रतिशत की छूट उन पूंजीपतियों के लिये है और जनता को क्या मिलेगा?

जनता के लिये श्रीमन्, आज जरा सीमेंट का जो रोजगार चल रहा है उसको देखें। सीमेंट के रोजगार में नार्मल कर के ऊपर ४ रुपया प्रति टन टैक्स इसलिये बढ़ाया गया जिसमें कि २ रुपया मिल मालिक अतिरिक्त लाभ के रूप में सरकार से ले। आज सीमेंट की कीमत बढ़ती जा रही है और जो कीमत सीमेंट की सरकार ने बढ़ायी है उसमें से दो रुपया प्रति टन वह मालिकों को दे रही है। फिर यह सरकार क्यों कहती है कि हम किसानों की सरकार हैं, फिर यह सरकार क्यों कहती है कि हम मजदूरों की सरकार हैं?

इसी प्रकार अगर आप यह देखें कि पूंजीवाद की वृद्धि हो रही है या नहीं तो उसके बारे में हमारा मत बिलकुल साफ है कि देश में पूंजीवाद की वृद्धि हुई है। समाजवाद की वृद्धि नहीं हुई है। जनतंत्र की वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि शुद्ध जनतंत्र ही समाजवाद होगा और शुद्ध समाजवाद ही जनतंत्र होगा। तो जहां इतनी बड़ी आर्थिक विषमता हो, जहां इस प्रकार से राक्षसी और सर्वग्रासी मनोवृत्ति को लेकर के योजनायें कार्यान्वित की जाती हों वहां पर कोई यह कहे कि जनतंत्र और समाजवाद की उन्नति होगी तो यह बिलकुल गलत है। सरकार जनतंत्र और समाजवाद को बराबर पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है। अगर इसी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का अवलोकन किया जाय जो इस सरकार ने अपने जीवनकाल में कानून बनाये हैं उनको देखा जाय तो अंग्रेजी शासन-काल से भी बुरे कानून बने हैं। यूनिवर्सिटी कानून को ले लिया जाय, या औद्योगिक कानूनों को ले लिया जाय, शिक्षा कानून को ले लिया जाय, सभी कानूनों में सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में ले रखी है। तो सरकार सारी ताकत अपने हाथ में रखे और उसके बाद भी यह कहे कि हम जनतंत्र की उन्नति चाहते हैं तो यह बिलकुल परस्पर विरोधी बातें हैं। कदम दूसरी ओर है और चर्चा होती है दूसरी ओर।

श्रीमन्, योजना से पहले हमारे यहां छोटे उद्योग, खेती और रहने के मकानों को छोड़कर कुल पूंजी १४७५ करोड़ रुपये थी (व्यक्तिगत)। इसमें उत्पादक पूंजी केवल ७५० करोड़ की थी। प्रथम योजना में ३०४ करोड़ की वृद्धि हुई और द्वितीय योजना में ६३० करोड़ की वृद्धि हो गई। अर्थात् १० वर्षों में ९६० करोड़ की उत्पादक पूंजी बढ़ी। यानी योजना के पूर्व ७५० करोड़ थी, योजना के बाद उसमें ९६० करोड़ की और वृद्धि हो गई। इस तरह से १३८ प्रतिशत पूंजी की वृद्धि हुई। तो १३८ प्रतिशत पूंजी की वृद्धि दस वर्षों में हो और इस तरह से व्यक्तिगत पूंजी की वृद्धि हो, व्यक्तिगत पूंजीपतियों के हाथ में सारे साधन जायं, तो कैसे समाजवाद आयेगा, कैसे जनतंत्र आयेगा, इसके बारे में कभी सरकार ने सोचा है?

हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। श्रीमन्, चाहे वह आपका सर्वोदयवाद हो, चाहे समाज कल्याण की योजना हो, चाहे और कोई योजना हो, मगर जो अपने देश में बेकारों को काम नहीं मिल पा रहा है, उनकी श्रम-शक्ति की खपत नहीं हो रही है तो क्या यह राष्ट्रीय नुकसान नहीं हो रहा है? लगातार बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जिस देश में श्रम-शक्ति बेकार जाती हो, अनावश्यक ढंग से बेकार पड़ी रहती हो, उस देश की सरकार की योजना सारी की सारी निकम्मी है। आज जो इसके आंकड़े हमारे पास प्रस्तुत हैं, जरा सरकार उनका अवलोकन करे। ७ घंटे या ७ घंटे से कम प्रति सप्ताह काम करने वाले हैं १८९ लाख देहातों में और २० लाख शहरों में—कुल २०९ लाख। ७ से १४ घंटे प्रति सप्ताह काम करने वाले ५४ लाख देहातों में और ६ लाख शहरों में। १४ से २८ घंटे प्रति सप्ताह काम करने वाले १५९ लाख देहातों में और २० लाख शहरों में। २८ से ४२ घंटे प्रति सप्ताह

[श्री राजनारायण]

काम करने वाले २४१ लाख देहातों में और ३९ लाख शहरों में। तो एक सप्ताह में एक घंटे से लेकर चार घंटे रोज काम करने वाले कुल ४४८ लाख व्यक्ति हैं। उनको, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बेकारों की लिस्ट में रखा जायगा या उनकी यह संख्या कार्य रत संख्या मानी जायगी? हमारा कहना है कि आज हमारे यहां ४.४८ करोड़ लोग अर्ध बेकार हैं। उन बेकारों को जो खाने के लिये तरसते हैं, एक सप्ताह में ७ घंटे काम मिलता है, एक सप्ताह में १४ घंटे काम मिलता है, एक सप्ताह में २८ घंटे काम मिलता है। आप हिसाब लगाएं कि प्रति दिन का हिसाब उनका क्या आता है? वह ४ घंटे से अधिक हिसाब नहीं आता है। ये लोग कार्यरत नहीं माने जायंगे। इनको बेकारों की लिस्ट में जाना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९५२ के हमारे बजट भाषण को देखा जाय। १९५३ के हमारे बजट भाषण को देखा जाय। तब से लेकर आज तक बराबर हमने इस सदन में सुझाव दिया है कि सरकार श्रम सहकारिता की नीति लेकर काम करे। मगर यह सरकार अगर सहकारी नीति को भी चलाना चाहती है तो उसके लिये भी इसकी पूंजीवादी नीति है। इसलिये जितना काम यह सरकार सहकारिता के सम्बन्ध में करना चाहती है वह सब निरर्थक हो जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है। हम उनके शेयर को खरीद नहीं सकते हैं, तो फिर उन श्रमिकों के श्रम को ही पूंजी बनाने की योजना क्यों न बनाई जाय। यह सरकार उस श्रम को पूंजी बनाना नहीं चाहती है। यदि यह सरकार उस श्रम को काम नहीं दे सकती तो फिर यह सरकार जनता की सरकार नहीं हो सकती तथा गरीबी और बेकारी को मिटाने वाली सरकार नहीं हो सकती। यह बेकारी और गरीबी को बढ़ाने वाली सरकार होगी।

इस सरकार को योजना बनाते हुये १० साल हो गये, लेकिन क्या इसने अन्न सेना बनाई? शिक्षक सेना बनाई? अपने देश में परती जमीन पड़ी हुई है। पानी से भरा हुआ बहुत-सा इलाका है, बंजर का इलाका बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। यह अन्न सेना जाकर उस बंजर जमीन को तोड़े। कितने ही लोग अपने देश में इसके लिये तैयार हैं जो इधर-उधर भटकते फिरते हैं। बहुत से अनैतिक काम में लगे हुये हैं, उनको यह सरकार जमीन तोड़ने के काम में क्यों नहीं लगाती? उनके लिये खाने का इन्तजाम करे, उनके लिये पहनने का इन्तजाम करे। वह उस जमीन को तोड़ें और उस जमीन में अन्न पैदा करें। यदि उस जमीन में अन्न पैदा होगा तो वे अपने बच्चे ले जाकर वहां बस जायेंगे।

मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि इस सरकार की जो शिक्षा की योजना है वह शिक्षा के प्रसार की योजना नहीं है बल्कि वह शिक्षा को संकुचित करने की योजना है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे लोग हमारे प्रदेश में पड़े हुये हैं जो यह चाहते हैं कि अगर उनके खाने की व्यवस्था हो जाय, उनके लिये पहनने की व्यवस्था हो जाय और उनके लिये रहने की जगह की व्यवस्था हो जाय तो वे दस पांच गांवों को लेकर उनमें निरक्षरता दूर करने के लिये प्रयत्न करें। यदि उनका कुछ मूल्यांकन कर दिया जाय कि इतने समय में वे इतने गांवों को साक्षर कर दें, उनमें निरक्षरता को मिटा दें, तो इतना पुरस्कार दिया जायगा, तो थोड़े से ही पुरस्कार को लेकर वह गांवों में काम करने के लिये तैयार है। लाखों की तादाद में हमारे प्रदेश से ऐसे पढ़े-लिख नवयुवक निकल सकते हैं। मगर यह सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। यह सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने जा रही है। टैक्स और गरीबी को इसको घटाना चाहिये किन्तु यह इसमें जरा भी मदद नहीं कर रही है।

सरकार कहती है कि पानी से बिजली बनायेंगे। मगर मैं केवल गंगा के पानी की बात ही लेता हूं। एक प्रोफेसर थैकर ने सन् १९५८ में एक योजना दी। उनका कहना था कि हमारे देश में कुल नदियों की पानी की क्षमता १३५७ मिलियन एकड़ फीट थी। उसमें हमारे प्रदेश में जो गंगा नदी है, उसकी क्षमता ४०० मिलियन एकड़ फीट पानी की है। उसके पानी का उपयोग ३० मिलियन एकड़ फीट का हो रहा है, ४०० मिलियन एकड़ फीट की क्षमता है। तो इस सरकार ने उसके उपयोग के लिये क्या योजना बनाई? इस सरकार

ने उसके पानी को इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं बनाई है। उसके पानी की योजना बनाकर बिजली उत्पादन करने के लिये देवप्रयाग में बांध बनाया जा सकता है। बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है कि देवप्रयाग में अगर बान्ध बनाकर बिजली पैदा करने की योजना बनाई जाय तो उससे प्रदेश का और पहाड़ी प्रदेश का बहुत भला हो सकता है। मगर सरकार उसके लिये कुछ नहीं कर सकती। उसके लिये हमारे पास कोई योजना नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह भाखरा की योजना कहां से आई। सन् १९०८ में पंजाब सरकार के गवर्नर वहां पर शिकार खेलने के लिये गये थे। तभी उसके लिये विचार किया गया था। यह सरकार जितनी योजना चला रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सारी की सारी योजनायें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व की योजनायें हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व की योजनाओं को यह सरकार आज चलाकर यशभागी बनना चाहती है। यह सरकार का उत्तर है हमारा नहीं है। देखा जाय कि अगस्त १५, १९४७ के पूर्व किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यहां निर्माण किये गये कार्यों में हैं, माताटीला बांध, नौगढ़ बांध, शारदा सागर, अर्जुन डैम, रंगवा डेम, चंद्रप्रभा बांध, ललितपुर बांध, अहरौरा डेम, सपरार डैम और नगवा डेम। यह तो दस बांध हैं, ये सब स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की योजनायें हैं और उनके आधार पर ही पूरी की गयी हैं। तो इन के लिये यह सरकार यश की भागी क्यों बने? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इनके लिये क्यों यश के भागी बनना चाहते हैं?

इसके अतिरिक्त मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जरा वस्तु-स्थिति का अंकन, अवलोकन करे। सरकार ईमानदार रहे, साथ-साथ मैं यह भी कहता हूं कि हम भी ईमानदार और सच्चे रहें। श्रीमन्, आप को मालूम होगा कि हमारे प्रदेश और देश में आज दो तरह की व्यवस्था चल रही है। हमारी कथनी और करनी में फर्क है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसका दोष अगर हम अपने ऊपर भी लें तो इसमें हमको कोई हिचक नहीं है, लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि हम जो कहें उसी के तदनुरूप काम भी करें।

अब देखा जाय। मुझे मालूम नहीं कि कांग्रेस पार्टी के चुने हुए जो सम्मानित सदस्य इस सदन में विराजमान हैं उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र का अवलोकन किया है अथवा नहीं, किन्तु अगर नहीं किया है तो मैं नम्रता के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पेज १२ पर क्या लिखा है, उसे वह देख लें। उसमें घोषणा-पत्र कहता है कि वर्तमान गैर-सरकारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का इरादा नहीं है। यह कांग्रेस की सरकार अपने चुनाव घोषणापत्र में कहती है कि जो गैर-सरकारी उद्योग धंधे चल रहे हैं उनका हम राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, तो समाजवाद कैसे आयेगा? तो जनतंत्र कैसे आयेगा? जन-कल्याण कैसे होगा? उन मजदूरों के हकों की हिफाजत कौन और कैसे करेगा? श्रीमन्, हम लिखते लिखते थक गये, मंत्रियों को लिखते लिखते हमारी लेखनी थक गयी, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं। मिर्जापुर में ऊन के कम्बल बनाये जाते हैं और मिलिटरी का विभाग उनको खरीदता है। एक महीना हो रहा है और वहां की मिल बन्द है। मालिक ने मिल में ताला लगा दिया है। यह सब इसलिये हुआ कि वे उस ऊन में सूत मिला देते थे। वहां का यह रेयन आया हुआ है, इसको सरकार देखे। जो कंट्रैक्ट (सामान देने की शर्तें हैं) उसमें प्योर ऊल (शुद्ध ऊन) देने की बात कही गयी है, लेकिन इसमें सूत मिला देने से मजदूर की मुसीबत आ जाती है। वह टूटता है और कम्बल बनाने में जब टूटने लगता है तो मालिक मजदूर की छंटनी करने लगता है। इसलिये मजदूर चिल्ला रहा है, लेकिन मजदूर चिल्लाये, कृषक चिल्लाये, यह सरकार कान में तेल डाले बैठी रहेगी। कानपुर में मिल मालिक और सरकार में साठगांठ हो गयी, वहां बैठकर वे चाय पानी कर आते हैं, चान्दी के वर्क लगे हुए चमचम और संदेश उड़ा आते हैं मजदूर के खून की कमायी पर, जो राष्ट्र के निर्माता हैं उनकी कमायी पर। वहां की मिल में ताला पड़ा हुआ है। मजदूर मुर्दे हो रहे हैं और उन किसान और मजदूरों के मुर्दों के बीच ये चन्द जिन्दे कव्वाली गा रहे हैं। मुर्दों के बीच में जिन्दों की कव्वाली नहीं चलेगी, अगर जनतन्त्र रहेगा तो। इसे हमें देखना

[श्री राजनारायण]

है। स्वदेशी मिल में क्या हुआ? मजदूर ८ घंटे वहां काम करता था। एक बार आता था और काम कर के चला जाता था। आज मिल मालिक कहते हैं कि पहले वह ८ से १२ तक काम करे और फिर ४ से ८ तक आकर काम करे। १२ बजे घर चला जाय और फिर तीन मील चल कर ४ बजे फिर आये काम करने के लिये। जो मजदूर ३, ४ मील चल कर आता है, वह इस सिस्टम में क्या करेगा? तो इस तरह से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। जो मजदूर तानाशाही व्यवस्था के सामने नतमस्तक नहीं होता, उसे निकाला जाता है। तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार के पास जनकल्याण की कोई योजना है तो उसे असहायों के लिये होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका आधा घंटा हो गया। आप कितना समय और लेंगे?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आधा घंटा और दे दें।

श्री अध्यक्ष—१० मिनट आप के लिये और हैं।

श्री एस० जी० दत्त—अपना समाजवाद तो बतलाइये कि क्या है?

श्री राजनारायण—अच्छा मैं श्रीमन्, दोहरा नहीं रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा, किन्तु थोड़ा समय और दिया जाय। (व्यवधान) अपना समाजवाद पढ़ाते पढ़ाते तो हम और आप दोनों बुड्ढे हो जांय तब भी आप नहीं सीख पायेंगे। आज कल सम्पूर्णानन्द जी को छुट्टी है। उन के कदमों में चले जाइये। अगर श्रीमन्, बजट को ठीक तरीके से देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा का स्तर बराबर गिरता चला जा रहा है। जितनी भी इसके लिये अबतक कमेटियां बनी हैं उन सब की यह राय है कि राज्य के बजट का २० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो, किन्तु आज कुल बजट का १३.५ शिक्षा पर खर्च हो रहा है। चिकित्सा पर ३.२, स्वास्थ्य पर २.२ रुपया खर्च होता है।

एक बात और आप देखें कि १५४ करोड़ के राजस्व व्यय बजट के साथ साथ ४१ करोड़ रुपये का पूंजी लेखा दिखाया गया है। इसमें योजनाओं पर केवल १० करोड़ रुपया खर्च होगा। यह इस प्रकार खर्च होगा कि जो बाद में आमदनी पैदा करने का साधन हो। बाकी रुपया राजस्व व्यय की मदों में जाना चाहिये। सरकार उसमें पूंजी व्यय इसलिये दिखाती है ताकि लोगों को भ्रम में रखा जाय और वे यह समझें कि यह रुपया ऐसे निर्माण के कार्यों में खर्च हो रहा है जो आमदनी के साधन हैं। इसलिये यह बजट लोगों को भ्रम में डालने वाला बजट है।

अब दो शब्द मैं हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये, पिछड़ी हुई जाति के लिये, मुसलमानों के लिये, औरतों के लिये, उनकी उन्नति तथा उत्थान के लिये, इस सरकार ने क्या किया? यह सरकार बराबर कहती रही है कि हम १८ फीसदी उन लोगों को जगह देंगे। मगर क्या उतने लोग सर्विसेज में लिये गये हैं। जो बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है, स्थानीय मंत्री जी उसे पढ़ें और देखें कि पेज १४० पर क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि सरकारी तथा स्थानीय निकायों में जो पहले दर्जे के कर्मचारी हैं उनमें वे २५ प्रतिशत रहें। दूसरे दर्जे के ३३ १/३ प्रतिशत रहें। तीसरे तथा चौथे दर्जे में ४० प्रतिशत हैं। मगर इस सरकार ने जो कोटा फिक्स (निश्चित) कर रखा है हरिजनों के लिये वह भी पूरा नहीं करती है। मेरे पास कुछ विभागों के आंकड़े हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के आफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्नीकल इन्सपेक्टर ४ हैं, जिसमें हरिजन शून्य हैं। रीजनल इन्सपेक्टर १० हैं, हरिजन शून्य हैं। असिस्टेंट रीजनल इन्सपेक्टर १० हैं, हरिजन शून्य हैं। असिस्टेन्ट पब्लिक प्राजिक्यूटर ६ हैं, हरिजन शून्य हैं। रोडवेज विभाग में देखिये-ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेंट २९ हैं, हरिजन शून्य हैं। हैडक्वार्टर्स पर—अपर डिवीजन क्लर्क ३१ हैं, हरिजन शून्य

हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क ५३ हैं, हरिजन शून्य हैं। सीनियर एकाउन्टेंट ४ हैं, हरिजन शून्य हैं। जूनियर असिस्टेंट ४ हैं, हरिजन शून्य हैं।

सिंचाई विभाग में–ओवरसियर ८९३ हैं, हरिजन एक है। इलैक्ट्रिकल ऐन्ड मैकेनिकल सुपरवाइजर्स २८७ हैं, हरिजन एक है। (शेम शेम)। रिसर्च सुपरवाइजर २२५ हैं, हरिजन १ है। मिनिस्टीरियल स्टाफ २५९, हरिजन शून्य। जिलेदार २४४, हरिजन शून्य। अमीन १२११, हरिजन शून्य। ट्यूबवेल आपरेटर्स ५३३९, हरिजन शून्य (शेम शेम)।

पुलिस विभाग में सिपाही ४७,४१६ हैं जिसमें हरिजन १३७२ हैं। इसके लिये तो कोई योग्यता की जरूरत भी नहीं होती। फिर हेड कान्सटेबिल ८२५८ हैं, हरिजन ९८ हैं। छोटे दरोगा ३२०९ हैं, हरिजन १११ हैं।

इन्सपेक्टर ४२२, हरिजन शून्य। उप पुलिस अधीक्षक २८५, हरिजन १२। २३ सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिजन २ और पुलिस अधीक्षक ९६ जिसमें हरिजन एक। माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने हरिजनों की यह दुर्गति कर रखी है। आज इस सूबे में जो एक हरिजन पुलिस अधीक्षक है उसको सरकार कोई बड़ा जिला नहीं देती है। फिर किस आधार पर सरकार कहती है कि वह हरिजनों के लिये है, पिछड़े हुये लोगों के लिये है। सरकार करोड़ों भूखे, नंगे और पीड़ितों के कीचड़ में चन्द मिल मालिकों के कमल खिलाना चाहती है। मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मुझे दुख है कि मैं सवर्ण परिवार में पैदा हुआ, उसकी संज्ञा सवर्ण है, अच्छा हो यदि यह शब्द मेरे साथ हटा दिया जाय। वह दिन खुशी का होगा जब मुझे हरिजन माना जाना लगेगा वैसे मैं तो अपने को हरिजन मानता ही हूं।

अब मैं कुछ कृषि व्यवस्था के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। इसके आंकड़े को देखा जाय। आज हमारे यहां एक अजीब मुसीबत फैली हुई है। एक करोड़ सात लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है लेकिन वह खेती के सहारे हैं। खेती के सहारे ही आज उनका सारा काम चल रहा है। सरकार उनके लिये क्या व्यवस्था कर रही है? यह रानीखेत का चुनाव नहीं है कि इधर-उधर से मिलकर जीत लिया जायगा। योजना को कार्यान्वित करने में क्षमता और सद्बुद्धि की जरूरत होती है। जब क्षमता और सद्बुद्धि होगी तभी योजना कार्यान्वित हो सकती है अन्यथा नहीं। अनेक प्रकार के उदाहरण इस सरकार की सेवा में उपस्थित किये गये कि गन्ना का किसान और मजदूर परेशान है। मैं इसी सरकार को ले रहा हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी पहले अपने हाथ में डेवलपमेंट का भार सम्हाले हुये थे तो गन्ने का दाम दो रुपया मन था। ४७–४८ म दाम एक रुपया दस आना था, ४८-४९ में एक रुपया दस आना ४९–५० में एक रुपया बारह आना और ५१–५२ में एक रुपया १२ आना था। मैं श्रीमन्, आपको बतला दूं कि यह सरकार बड़ी चालाक है। यह करोड़पतियों स लेती है नोट और उस नोट से गरीबों का खरीदती है वोट और फिर करोड़पतियों के नोटों की हिफाजत करती है।

श्री एस० जी० दत्त––अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रोटेस्ट है। सरकार वोट नहीं खरीदती है। मेरे प्रोटेस्ट को नोट कर लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री राजनारायण––श्रीमन्, सरकार की नीति से किसानों का नुक्सान हुआ है, उपभोक्ताओं का नुक्सान हुआ है। जो योजना किसानों की हड्डी पर चलाई जाय उस योजना को सरकार आज जिस ढंग से नियोजित करने जा रही है....

(लाल बत्ती होने पर)

मैं श्रीमन्, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े में ही आपसे निवेदन करूंगा।

[श्री राजनारायण]

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी क्या कहती है। इससे पहले मैं अपने मित्र श्री झारखंडेराय जी से डरते डरते कुछ निवेदन करने के लिये उद्यत हो रहा हूं और विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि वह अपने चुनाव घोषणा-पत्र का अवलोकन करें। उनके घोषणा पत्र के पृष्ठ १६ में लिखा हुआ है कि पार्टी का मत है कि बड़े और बुनियादी उद्योगों को तरजीह दी जाय। जब बड़े और बुनियादी उद्योगों को तरजीह दी जायगी तो फिर लघु और कुटीर उद्योगों का क्या होगा? किस प्रकार से बनारसी साड़ियां बनेंगी? कैसे छोटे-छोटे कम्बल बनेंगे? अलीगढ़ के ताले कैसे बनेंगे? चुनार के मिट्टी के बरतन कैसे बनेंगे? भारी उद्योग विकसित होंगे तो देश की जनता के साथ विश्वासघात होगा और पूंजीपतियों का भला होगा।

इसके बाद पेज १७ पर कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र में लिखा हुआ है—

"कम्युनिस्ट पार्टी यह मानती है कि हमारे विकास के मौजूदा दौर में देशभक्त पूंजीपति हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। पार्टी की यह इच्छा है कि देशी उद्योगों को विदेशी होड़ से बचाया जाय। पूंजीपतियों के तमाम उचित अधिकारों की रक्षा हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना को लागू करने में उसका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय।" जब पूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त करेगी कम्युनिस्ट पार्टी तो मजदूर किसान का भला उससे कैसे होगा?

अध्यक्ष महोदय, अब आपकी आज्ञानुसार एक वाक्य में मैं यह कह देना चाहता हूं और सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह सरकारी आमदनी का ऐसा निरूपण करे कि १०० से कम न हो और १,००० से ज्यादा न हो। माननीय गुप्ता जी में अगर हिम्मत हो तो इस योजना को लेकर चलें। उसका बटवारा, श्रीमन्, हमने निम्न प्रकार से रखा है—

परिवार				प्रतिशत	मासिक
					रु०
५९१६७५००	..	..	..	७८.९९	१००
११२५००००	..	..	..	१५	१५०
२२५००००	..	..	..	३	२००
१५०००००	..	..	..	२	२५०
३७५०००	..	..	..	.५	३००
२२५०००	..	..	..	.३	४००
१५००००	..	..	..	.२	५००
३७५००	..	..	..	.०५	६००
२२५००	..	..	..	.०३	७००
१५०००	..	..	..	.०२	८००
४५००	..	..	..	.००६	९००
२२५०	..	..	..	.००३	९५०
७५०	..	..	..	.००१	१०००

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार आज इस देश का भला नहीं कर पा रही है इसलिये इसको हटाया जाना अनिवार्य हो गया है और इसको हटाने के लिये जो भी पार्टी तैयार हो उसको हम आमंत्रित करते हैं कि वे एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपनी-अपनी पार्टियों के घोषणापत्रों का अवलोकन करें और हम उनके साथ शामिल होने के लिये तैयार हैं।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोग से जिस वित्तीय वर्ष के बजट पर इस सदन में विचार हो रहा है, वह आम चुनाव का वर्ष भी है और इसीलिये देश भर में और हमारे प्रदेश के बजट पर भी आम चुनावों की छाया है। इसका एक छोटा-सा प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शासन व्यय की नई मदें जिन्हें १९६२ के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है, के पृष्ठ ५४७ पर यह लिखा हुआ है—

"उर्दू साप्ताहिक पत्रों के लिये विज्ञापन आन्दोलन–इस योजना द्वारा उर्दू साप्ताहिक पत्रों में सरकारी कार्यों का प्रख्यापन कराया जायगा, जिससे कि उर्दू भाषी जनता भी सरकार द्वारा किये गये कार्यों से विज्ञ हो सके। प्रारम्भ में लगभग १० उर्दू साप्ताहिक पत्रों को, जिनका कि राज्य में अधिक प्रचार है, विज्ञापन देने की योजना है। प्रत्येक साप्ताहिक को प्रतिमास एक विज्ञापन दिया जायगा। वित्तीय वर्ष में सामान्यतः १० विज्ञापन जारी किये जायेंगे।" इसके लिये ५ साल में कुल लागत २०,००० रु० व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अंतिम आवर्त्तक व्यय का जो व्योरा है वह इस बजट की कापी के पृष्ठ ५४८ पर दिया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप और सदन तथा इस प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि मुझे उर्दू, हिन्दी किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है और जब मैं इस बात का उल्लेख करता हूं तो इसलिये नहीं कि मुझे इस बात पर कोई आपत्ति है कि उर्दू के लिये यह क्यों किया गया। आपत्ति यह है कि उर्दू के लिये विशेषता करने का कारण क्या था, अब तक क्यों नहीं किया जाता था और ऐन चुनाव के समय यह नयी बात और नयी मद क्यों लायी गयी? क्योंकि सवाल यह है कि अब तक जो मद मौजूद है उसी में सभी भाषाओं के पत्रों को विज्ञापन दिया जाता रहा है और सब भाषाओं के पत्रों में उर्दू पत्र को विज्ञापन देना भी रहा है, तो अब विशेष रूप से यह डिस्क्रिमिनेशन उर्दू पत्रों के पक्ष में क्यों किया जा रहा है और पहले क्यों नहीं किया गया? या यह कि अभी नोमानी साहब ने जो कुछ शिकायत की और सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, और साम्प्रदायिकता कितनी बढ़ रही है, तो उनके उस आंसू को पोंछने के लिये यह बात की गयी है तो मैं इतना संकेत कर दूं कि हमारे प्रदेश के बजट में भी आम चुनाव की छाया है और वह कई जगह लक्षित भी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सरकार के बजट के संबंध में कहा गया है कि वह आम चुनाव का मास्टर पीस है उसी तरह से प्रदेश का बजट भी चुनाव प्रचार के उद्देश्य से बना है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार का बजट कोशिश करने पर भी चुनाव प्रचार का मास्टर पीस नहीं बन सकता है। उसके दो कारण हैं।

पहला कारण तो यह है कि केंद्रीय सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि घाटे का बजट देश के लिये हानिकारक है, देश की जनता के लिये हानिकारक है और इसलिये इस वित्तीय वर्ष का बजट केंद्र ने घाटे का बजट नहीं बनाया। लेकिन हमारे प्रदेश में घाटे का बजट बनाया गया है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं अपने बजट भाषण में यह कहा है कि करीब ५ करोड़ रुपये का घाटा तो हम कर से पूरा कर लेंगे लेकिन फिर भी साढ़े ३ करोड़ रुपये का करीब घाटा है। कितने करोड़ का घाटा है, यह कोई खास बात नहीं, प्वाइंट तो यह है कि घाटे का बजट कितने दिनों से इस प्रदेश का बनता आ रहा है लेकिन अन्त में चल कर कभी वह घाटे का बजट रहता नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुयीं।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय अधिष्ठात्री जी, आपको भी यह अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले १४ वर्ष से हमारे देश और प्रदेश का बजट घाटे का बजट बनता रहा है और आप जानती हैं कि उससे कितनी मुसीबत जनता पर आती है तथा उससे कितनी हानि पहुंचती है लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात के आदी हैं कि जबतक कोई प्रमाण या कारण न दिये जायं तबतक वह जनता के किसी दुखदर्द को महत्व नहीं देते। इसलिये उनके संतोष के लिये मैं एक प्रमाण भी दिये देता हूं और वह प्रमाण यह है कि अर्थशास्त्र के एक बड़े आचार्य प्रोफेसर नोज (Nhobz) का कहना है कि "Most electioneering promises if implemented involve increased Government spending."

उनका तर्क बहुत स्पष्ट है, एक के बाद एक श्रृंखला सी होती है कि चुनावों के जो वादे होते हैं उनको अगर कार्यान्वित किया जाय तो उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और आगे है कि "More Government spending necessitates higher resources which must be obtained from the people" और अधिक खर्च का फल यह होता है कि आय के अधिक साधन चाहिये और वह आय जनता से ही आती है, गवर्नमेंट के घर से नहीं आती और इसीलिये कहा गया है कि "Administration will have to raise taxes and incur budget deficit." और उस आय को बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट को टैक्स लगाने होते हैं या घाटे का बजट बनाना पड़ता है और हमारे सूबे की सरकार ने उनकी दोनों बातों को पूरा कर दिया, टैक्स भी ५ करोड़ का लगा दिया और ३ करोड़ के घाटे का बजट भी बना दिया। उन्होंने दोनों साधनों से काम लिया है, उनकी दोनों बातों को अक्षरशः उन्होंने पूरा किया है। आगे उस में है कि "Deficit financing means inflation." अर्थात् महंगी घाटे के बजट से होती है और उसका कार्य कारण का सा संबंध है। तो सवाल यह होता है कि जिस महंगाई से जनता की हालत बद से बदतर होती जाती है और सरकारी कर्मचारी जिनका कि वेतन बंधा हुआ है जिनकी लाखों की संख्या है उन पर इसका सबसे अधिक बोझ पड़ता है। उस महंगाई के प्रश्न के प्रति सरकार इतनी उदासीन क्यों है? वह उदासीन है इस में तनिक भी संदेह नहीं है। अगर नहीं होती तो वह घाटे का बजट क्यों बनाती और आगे के लिये सरकार जो कहती है कि हम प्राइस लाइन को होल्ड करना चाहते हैं और कीमतों को कम करना चाहते हैं उनका यह दावा इतना ही गलत है जैसा कि श्री राजनारायण जी ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। मैं कहता हूं कि इस विषय में भी वही बात है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं और सत्य बात यह है कि महंगाई के कायम रहने में ही सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट है, महंगाई रहे, इनफ्लेशन रहे और इसके नाम पर कर्मचारियों में वेतन बढ़ाने का आन्दोलन चलता रहे और उस पर पे-कमीशन बैठे और इसी में वर्षों लग जायं और उस बीच में महंगाई के नाम पर आय बढ़ाने के लिये नये कर लगते रहें। महंगाई रहेगी तो वेतन भत्ते के हिसाब में कम देना होगा और इसी में सरकार अपनी बचत समझती है। इसलिये सरकार को महंगाई के कम करने के लिये कोई अनुराग नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि वह कम की जा सकती है लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिये कोई प्रयत्न नहीं है।

अगर आप "यू०पी० आंकड़ों के द्वारा सिंहावलोकन" के फिगर्स को देखें तो मालूम होगा कि चीनी का उत्पादन पिछले साल के बराबर पिछले ३ सालों में कभी नहीं हुआ। लेकिन चीनी के मूल्य में कभी कोई कमी नहीं होती और जब भी उसके दामों में कमी की बात की जाती है तो सरकार किसानों के बारे में, उत्पादकों के बारे में और मिलमालिकों को लाभ पहुंचाने के लिये फुसफुसा उठती है। वे कहते हैं कि अगर चीनी की कीमतों में कमी की जायगी तो

उत्पादकों को हानि होगी इसी तरह से यह भी सरकार मानती है कि जो जोनल सिस्टम है, जो नियंत्रण लगा हुआ है खाद्यान्नों के आवागमन पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक जोन से दूसरे जोन में, वह अगर हटा दिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि गल्ले का भाव सस्ता होगा, खाद्यान्न की कीमत गिर जायेगी--फिर किसानों का प्रेम आया---और उससे उत्पादकों को हानि होगी, इसलिये हम जोनल सिस्टम को अलग नहीं करते हैं, इस प्रतिबन्ध को नहीं हटाते हैं। अपने मतलब के लिये किसानों के प्रेम की दुहाई देने में सरकार संकोच नहीं करती लेकिन जब किसानों के हित की बात आती है तो वह किसानों की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती। कितनी ही मिसालें इस बात की दी जा सकती हैं। सबसे पहली मिसाल तो मैं यह दूं कि इसी सदन में कुछ दिन पहले एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार फसलों का बीमा कराने की कोई योजना बना रही है। यह सुझाव आज से चार वर्ष पहले मैंने इसी सदन में दिया था और उस समय के मुख्यमंत्री जी ने उस सुझाव का स्वागत किया था, ऐसा उनके भाषण में छपा हुआ है। लेकिन मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ जबकि जिन माननीय मंत्री महोदय को हम किसानों का हितैषी समझते थे उनके मुंह से यह शब्द निकले कि यह योजना नहीं पूरी की जा सकती, देश धनवान नहीं है। देश धनवान नहीं है तब बीमा नहीं हो सकता तो धनवान होने पर बीमे की क्या आवश्यकता है? सोशल सीक्योरिटी के लिये बीमा होता है, लेकिन जहां किसानों की सीक्योरिटी का सवाल आया फौरन कह दिया कि देश धनवान नहीं है, सरकार गरीब है, इसलिये नहीं हो सकता। मजदूरों का बीमा है। उनको सोशल सीक्योरिटी है। लेकिन देश और प्रदेश में आजकल हमारे कांग्रेस छाप समाजवाद में गांवों में रहना और खेती करना एक ऐसा जघन्य अपराध है कि उसकी सजा यह मिलनी चाहिये की जो लाभ मजदरों को मिलता है वह लाभ किसानों और गांव वालों को न दिया जाय।

उसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि मजदूरों को लाभ पहुंचा दिया जाय। लेकिन मुझे इस बात पर आपत्ति है और न्याय को मानने वाले हर व्यक्ति को होगी कि किसान वर्ग के हितों को इस बुरी तरह से ठुकराया जाय। केंद्र के खाद्य मंत्री महोदय ने जोनल सिस्टम के संबंध में, प्रतिबन्ध हटाने के संबंध में किसानों की दुहाई दी लेकिन जब न्यूनतम कीमत उनकी पैदावार की मुकर्रर करने के लिये कहा गया तो इंकार कर दिया कि नहीं कर सकते। वहां किसानों के हित का ध्यान नहीं रहा। तो न इसमें किसानों के हित का ध्यान रहा और न फसलों के बीमा करने में ध्यान रहा लेकिन पूंजीपतियों का ध्यान रहा कि एक्सेस प्राफिट टैक्स नहीं लगायेंगे। इसलिये यह कहना कि अगर हम जोनल सिस्टम को निकाल देंगे तो उससे उत्पादकों को हानि होगी, केवल बहाना है। सरकार ईमानदारी से किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है।

डेफीसिट फाइनेंसिंग के संबंध में आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी न किसी दिन यह इंफ्लेशन खत्म होगा और डिफ्लेशन आयेगा और जिस दिन डिफ्लेशन आया यानी महंगी के बजाय सस्ती जिस दिन हुई उस दिन यह जो पंचवर्षीय योजना के सरकार ने महल बना रखे हैं वह महल ताश के पत्तों के महल की तरह से अपने आप गिर जायेंगे और सरकार भी उसके साथ धड़ाम से गिरेगी। तो यह घाटे की योजना, महंगी को बढ़ाने की योजना जो इस बजट की नीति है मैं उसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय दोनों इस बात पर विचार करें कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि उन्हें घाटे के बजट की योजना को छोड़ देना चाहिये।

सरकार जिस नाम पर हमसे रुपया लेती है उसका काफी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में जाता है। माननीय राजनारायण जी ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है बहुत से आंकड़े दे करके। लेकिन मैं एक मोटी बात कहना चाहता हूं और वह यह कि सरकार का समाजवाद यहां भी दुरंगा है, यानी ऊंचे कर्मचारियों के लिये सुविधायें होती हैं लेकिन नीचे के कर्मचारियों के लिये, कम वेतन वालों के लिये, ड्राइवरों के लिये, चपरासियों के लिये, रोडवेज के ड्राइवरों के लिये सरकार का ध्यान नहीं जाता। इनके समाजवाद के माने यह

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

होते हैं कि जो धनी हैं उनको सुख सुविधायें पहुंचायी जायं और जो गरीब हैं, चाहे किसान हों, ड्राइवर हों, या चपरासी हो, उनके हितों की उपेक्षा की जाय। यह समाजवाद के माने मुझे मालूम होते हैं जो कि इन बातों से अच्छी तरह स्पष्ट हैं। कौन नहीं जानता कि ड्राइवरों को कम तनख्वाह मिलती है? रोडवेज के ड्राइवरों के ठहरने की कोई सुविधा नहीं है जब कि बाहर उनकी रात में ड्यूटी खत्म होती है, चपरासियों को सिटी एलाउंस कम मिलता है जो मुख्य मंत्री जी भी मानेंगे कि बहुत कम है, उनकी सहानुभूति उनके साथ होगी ही। लेकिन वह सहानुभूति कोरी होती है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने या उनके लिये क्वार्टरों का पूरा प्रबन्ध करने की सहानुभूति नहीं होती है।

आखिरी बात घाटे के बजट और मंहगाई के बारे में और कहनी है, और सही यह है कि सरकार ने वास्तव में इस मंहगी को ही, इस इनफ्लेशन को ही अपनी योजनाओं के आधार पर बना लिया है, इसको ही अपना हथियार और साधन बना लिया है, इन्हीं के नाम पर योजनायें चालू करी हैं जिसके परिणामस्वरूप एक विशस सर्किल पैदा हो गया है। पहली और दूसरी योजनायें समाप्त हो गईं जिनके बारे में माननीय राजनारायण जी ने ठीक ही कहा है कि यह दोनों विफल हुईं। तीसरी योजना चालू होने वाली है। माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को माननीय राजनारायण जी की बात पर आपत्ति हो, लेकिन मैं उन दोनों का ध्यान केन्द्रीय वित्त मंत्री के भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं, गवाही के रूप में। इसके पहले इतना जरूर कहना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण के चौथे पृष्ठ पर यह कहा है, और सत्य कहा है, स्वीकार किया है: "इसके कारण हमारे राज्य की प्रगति और प्रदेशों की अपेक्षा कुछ धीमी गति से होती रही है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि विकास के कार्य में खर्च होने वाली धनराशि बहुत ही कम रही और इसके फलस्वरूप राज्य की कुल आमदनी इतना नहीं बढ़ पाई कि प्रति व्यक्ति की आमदनी में सामान्य वृद्धि होने पर इसका कोई प्रभाव पड़ सके।"

दूसरी योजनाओं से प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, यह वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है। इसके विपरीत में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जो बातें कही हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने माना है कि पिछले १० सालों में टैक्स २५ फीसदी बढ़ गये। उन्होंने माना है कि औद्योगिक माल की कीमत एक साल में १० फीसदी बढ़ गई, उन्होंने माना है कि खाद्यान्नों का सूचकांक ११७ से १२७ हो गया है और हमारे प्रदेश में तो, पूर्व मुख्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में माना था कि, खाद्यान्नों की कीमत ३४.८५ प्रतिशत बढ़ गई है, यानी मोटे तौर पर ३५ प्रतिशत बढ़ गई है। तो २५ फीसदी टैक्स बढ़े हैं और ३५ फीसदी कीमतें बढ़ी हैं।

आमदनी कितनी बढ़ी है? अगर यह मान लिया जाय दूसरी पंचवर्षीय योजना में जैसा दावा किया गया २५ फीसदी आमदनी बढ़ी है तो २५ फीसदी टैक्स बढ़ गया। इस तरह से बराबर हो गया। लेकिन ३५ फीसदी कीमतें जो बढ़ी हैं तो जिसकी कीमत १०० रुपये है उसके लिये १३५ रुपये देने पड़ते हैं। तो गरीबी बढ़ी है या घटी है? इन दो योजनाओं के फलस्वरूप गरीबी बढ़ी है, घटी नहीं है। तीसरी योजना पर आशा दिलाई जाती है कि उसके पूरा होने पर स्वर्ग स्थापित हो जायगा और मृत्यु लोक नहीं रहेगा। लेकिन दो पिछली योजनायें एक भी काम को पूरा नहीं कर पाई हैं और तीसरी योजना भी नहीं कर पायेगी। अपनी आदत के अनुसार अपने शब्दों में नहीं कहूंगा, न विरोधी दल के नेता के शब्दों में कहूंगा, बल्कि माननीय वित्त मंत्री के शब्दों में ही कहूंगा। पृष्ठ ४ पर माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है "स्वतः उत्पादक अर्थ व्यवस्था बनाने के लिये काफी नहीं है और हमें इस बात की बड़ी आशंका है कि इस ४९७ करोड़ रुपये की लागत से भी हम आत्म निर्भरता की अवस्था से दूर ही रहेंगे।" तो यह बात सही है और स्वयं सरकार इस बात को जानती है और मानती

है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से भी कुछ होना नहीं है। यह सब बजट पूरा पूरा तीसरी पंचवर्षीय योजना से नियोजित है। नियोजित शब्द का प्रयोग मैं उस मानी में कर रहा हूं जिसका प्रयोग गीता में किया गया है। महाभारत में दुर्योधन ने यह कहा था कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती।

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।
केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोति।।

मेरे भीतर बैठा हुआ देवता जो कुछ कराता जाता है वह मैं करता जाता हूं। ठीक यही दशा हमारी सरकार की है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा:

"यद्यहंकारमाश्रित्य न योदय इतिमन्यसे
मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।"

अगर अहंकार में आकर तू यह कहेगा कि मैं नहीं लड़ूंगा तो तुम्हारी यह कोशिश बेकार होगी क्योंकि तुम्हारी प्रकृति तुम्हें नियोजित कर देगी, तुम खुद अपने आप करने लगोगे।

तो हमारी प्रादेशिक सरकार नियोजित है केन्द्रीय सरकार की ओर से। एक सज्जन जो केन्द्र में खाद्य मंत्री रहे हैं, सुनने में यह आ रहा है उनका नाम लिया जा रहा है यहां सूबा कांग्रेस कमेटी का सभापति बनाने के लिये और उनकी बड़ी चर्चा चल रही है, उनकी यह राय थी कि केन्द्र की जो कैबिनेट है उस केबिनेट के ऊपर एक सुपर केबिनेट है, उसका नाम प्लानिंग कमीशन है। उससे नियोजित वहां का मंत्रिमंडल है। तो यहां के मंत्रिमंडल की क्या दशा होगी? यह कौन नहीं जानता कि आज इन योजनाओं के कारण परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति, जनता और नागरिकों की स्वाधीनता तो खतरे में है ही, जनतंत्र भी खतरे में है।

प्रादेशिक सरकारों की आटोनामी आज खत्म हो गयी है। आज प्रादेशिक सरकार की हालत वही हो गयी है जो नगरपालिकाओं, महापालिकाओं, जिला परिषद् तथा टाउन एरियाओं की है। पैसे पैसे के लिये वह आप पर मोहताज हैं और आप पैसे पैसे के लिये केन्द्र पर मोहताज है। जैसे आप निलम्बित करते हैं किसी नगरपालिका, टाउन एरिया या जिला परिषद् को प्रकारान्तर से मुख्य मंत्री भी यहां निलम्बित होने लगे हैं। तो यह तो जो बजट है नियोजित है, उनका अपना बनाया हुआ नहीं है। इसलिये मैं वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री को दोष नहीं देता। लेकिन इतना मैं कहता हूं कि जिन नीतियों पर यह बजट आधारित है वे देश के लिये लाभकर नहीं हैं, हानिकारक हैं अव्यावहारिक हैं, अवास्तविक हैं और जन मंगलकारी न होकर जनता का अमंगल करने वाली हैं।

एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं और वह यह कि जब मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना या अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं का विरोध करता हूं तो इसके माने यह नहीं है, जैसा कि कुछ लोग गलतफहमी फैलाने की कोशिश करते हैं, कि मैं हर प्रकार की योजनाओं का विरोधी हूं। नियोजन के विरोधी हम नहीं हैं, योजनाओं के विरोधी हम नहीं हैं। लेकिन ये अधिनायकवादी योजनायें जो रूस और चीन की नकल कर के बनायी गयी हैं, जो हमारे देश और कालावधि के प्रतिकूल हैं जिससे अधिनायकवादी सरकार या टोटैलिटेरियनिज्म कायम होता हो उस पद्धति के हम विरुद्ध हैं चूंकि उस पद्धति का परिणाम यह होता है कि ये योजनायें अव्यावहारिक भी हैं और अवास्तविक भी हैं। यदि ऐसा न होता तो दो पंचवर्षीय योजनायें अब तक हमारे प्रदेश की जनता को, वित्त मंत्री के शब्दों में लाभ पहुंचाने में क्यों असफल रहतीं?

अब मैं अव्यावहारिकता का थोड़ा सा उदाहरण भी दे दूं। कोयले की कमी है न आपको मुख्य मंत्री जी? (श्री चन्द्रभानु गुप्त ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया)। जितना कोयला आपको चाहिये उतना नहीं मिलता है न? आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ५० हजार वैगन्स की आवश्यकता है जिसमें से बड़ी मुश्किल से केवल १३ हजार वैगन्स मिले।

[श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल]

तो भाषणों से तो आप इस कमी को पूरा कर नहीं लेंगे और न पार्टी के स्लोगन्स से पूरा कर लेंगे। जब आपको सीमेंट, स्टील और कोयला नहीं मिलेगा तो फिर कैसे उसको पूरा कर लेंगे और ट्रांसपोर्ट की कठिनाई को आप कैसे दूर कर लेंगे ? और विदेशी विनिमय की कठिनायी के बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वह तो वहां से जो होगा वही होगा। तो इन सब कारणों से चूंकि हमारे साधनों से बाहर की यें बातें हैं इसलिये हम इनको पूरा नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री ने माना है कि जो जो साधन मैंने बताये हैं वे नहीं हैं और आप भी कई दफा मान चुके हैं। तो यह मानी हुई बात है कि ये योजनायें अव्यावहारिक हैं।

अब अवास्तविक क्यों हैं यह भी मैं जरा बता दूं। चुनाव की राय इसमें फिर आ गयी और जो योजनायें हमारी प्रदेशीय सरकार ने बनायी हैं, वह मनुष्य हैं, मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र हैं, बुन्देलखंड है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वी जिले हैं और भी पिछड़े हुये इलाके हैं, स्वभावतः उन क्षेत्रों की मांगें आती हैं तो मंत्रिमंडल के सामने सवाल यह आता है कि इन मांगों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो मुश्किल पड़ेगी, इसलिये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाये जाते हैं उन क्षेत्रों की भलाई के लिये, और, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा, ७–८ अरब की मांग की जाती है तो मुश्किल से आधा रुपया मिलता है। नतीजा यह होता है कि जो यह बजट बनाया जाता है उन क्षेत्रों को खुश करने के लिये वह अवास्तविक होता है और केन्द्र रुपये की उतनी मांग को पूरा नहीं करता और जब केन्द्र पूरा नहीं करता तो आप रुपया कहां से लायेंगे। इसलिये आप भी पूरा नहीं कर पायेंगे।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं बजट के बारे में कि जो ये बड़ी बड़ी योजनायें बना लेते हैं और अगर रुपया मिल भी जाता है तो उसको खर्च नहीं कर पाते, अभी हाल में केन्द्रीय सरकार की ओर से यह मान लिया गया है कि केवल दो प्रदेशों—बम्बई और मद्रास—को छोड़कर किसी प्रदेश में पूरा रुपया खर्च नहीं हो पाया। उसमें यह भी कहा गया है कि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो जितना रुपया उनको मिला उसका आधा ही खर्च कर पाये। हमारे प्रदेश में भी कम ही रुपया खर्च हो पाया। तो सरकार की तरफ से जो बजट बनाया जाता है उसमें खर्च ज्यादा कूता जाता है और आमदनी कम लेकिन आखिर में खर्च लाजिमी तौर पर कम होता है और आमदनी लाजिमी तौर पर ज्यादा होती है और इसी कारण तीन वर्ष से लगातार घाटे का बजट बचत का बजट हो जाता है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह योजनायें अवास्तविक, अव्यावहारिक और देश के लिये मंगलकारी न होकर अमंगलकारी हैं और देश को हानि पहुंचाने वाली हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों का यह आरोप कि सरकार की करनी और कथनी में अन्तर है, यह सत्य ही है। मैं प्रमाण दे चुका हूं लेकिन इस समय उनको देकर सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय नहीं है। शहरों में पानी के प्रबन्ध के लिये जलकर योजनायें हैं लेकिन गांवों में रत्ती भर भी योजना नहीं है। शहरों में भवन निर्माण की योजना है लेकिन गांवों में कोई योजना नहीं है अपितु इसका नाम लेने तक की सरकार की हिम्मत नहीं होती है। यह सब इसी तरह से है जैसे "मुंह में राम बगल में छुरी" यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समाजवाद शहरों में है और पूंजीवाद गांवों में है। मैं इतना ही कह कर इसको छोड़े देता हूं।

अंतिम बात यह है कि सरकार की नीति न केवल बर्ताव में बल्कि स्पष्ट रूप से गांव के किसानों और मध्यम वर्ग को नष्ट करने के लिये है। मार्क्सवाद के विकास के सिद्धान्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाजवादी सरकार के लिये यह आवश्यक है कि पूंजीवाद का विकास किया जाय और कायम किया जाय और देश में केवल दो वर्ग ही रहने चाहिये–(१) पूंजीवाद और (२) मजदूर। इसलिये किसान वर्ग को नष्ट कर दिया जाता है। इसी आधार पर हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को नष्ट करने के लिये राज्य व्यापार योजनायें चलाई हैं और किसानों को नष्ट करने के लिये सामूहिक खेती की योजना चलाई है। यह गवर्नमेंट मध्यम

वर्ग और किसानों के विरुद्ध है और इसी तरह से उनके विरुद्ध हृदय में घृणा पैदा करती है जिस तरह से साम्राज्यवादी किया करते थे। पूंजीपतियों से वह रुपया लेती है जिससे वह वोट ले सके। यह जो सरकार की नीति है इसका मैं घोर विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जब किसान जाग जायंगे और जनता इस सरकार का असली रूप जान जायगी तो जिस तरह से १९३६ में उस समय की सरकार को आश्चर्य हुआ था क्योंकि वह कहा करती थी कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा ६० या ८० सदस्य भी नहीं आयंगे तो यह सम्भव है कि १९६२ के बाद देखें कि जिस तरह से उसको निराशा हुई थी उसी तरह से इनको भी होगी।

कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके बजट भाषण पर बधाई देती हूं। वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत बजट में कई नवीन और महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की है। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् योजनाबद्ध विकास के द्वितीय चरण को समाप्त करके हम तृतीय में प्रवेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने साढ़े आठ करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है परन्तु मैं उसे ४ करोड़ ९१ लाख रुपये का सरप्लस बजट समझती हूं। हमारी वास्तविक आय १३१ करोड़ ६३ लाख रुपये है, व्यय १२६ करोड़ ७२ लाख रुपये है, इस तरह से ४ करोड़ ९१ लाख रुपये की शुद्ध बचत इस बजट में है। हां तृतीय पंचवर्षीय योजना के कारण २७ करोड़ ४१ लाख रुपये का खर्चा और बढ़ गया है। इसके लिये हमको केन्द्र से १४ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी और १९५९-६०, १९६०-६१ की बचत के अनुभव से यह आशा की जाती है कि आगामी वित्तीय वर्ष की आय की अनुमानित बजट की आय भी कहीं अधिक होगी और जो साढ़े ६ करोड़ का घाटा है वह पूरा हो सकेगा इसके लिये कोई अन्य कर लगाने की सम्भावना सम्भवतः न हो।

आदरणीया, आबादी की दृष्टि से हमारा प्रदेश राष्ट्रीय संघ में सबसे महान है, सबसे उच्च है। लेकिन यह कैसे दुख, दुर्भाग्य और बिडम्बना का विषय है कि हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे निर्धन ही नहीं अपितु प्रगति की दौड़ में सभी प्रगतिशील प्रान्तों में पिछड़े हुये है। इसलिये यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वास्तव में इस आबादी का सदुपयोग किया गया होता, हमारे इन हाथों का प्रयोग किया गया होता, तो वास्तव में हमारी कुछ आय बढ़ी होती और उससे कुछ बेकारी अवश्य दूर हुयी होती, राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हुयी होती। इन सब कमियों को दृष्टि से में रखते हुये वर्तमान सरकार ने ४९७ करोड़ रुपये की तृतीय पंचवर्षीय योजना बनायी है। आदरणीया, जब मैं यह कल्पना करती हूं कि हमारी भावी संतति अन्य प्रदेशों की संतति के मुकाबले में खड़ी होगी तो उसको स्थान सबसे नीचा और उसकी स्थिति सबसे निर्धन होगी। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुये इस संतति के कल्याण की दृष्टि से वर्तमान मंत्रिमंडल ने १४७ करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने का संकल्प किया है। मैं आशा करती हूं कि जनता और सभी समाजवादी दल इसका स्वागत करेंगे।

आदरणीया, समाजवादी इकनामी और पूंजीवादी इकनामी के बजटों में एक मूलभूत अन्तर होता है। समाजवादी इकनामी में जैसे २ सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है उसी भांति वैसे २ जनता की आय देय अंश भी उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। समाजवादी अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में, जनता पर कर का भार होना अवश्यम्भावी है। इस तथ्य से कोई भी सामजवादी व्यक्ति या पार्टी इनकार नहीं कर सकती। परन्तु हमारी सरकार ने यह समझा कि हमारी परिस्थितियां असाधारण है। इस असाधारण परिस्थितियों पर काबू पाने के लिये हमारे साधन भी असाधारण होने चाहिये। अब जनता तो करों का अधिक भार वहन नहीं कर सकती। इस चीज को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने एक नया मार्ग निकाला है वह है मितव्ययिता का। मितव्ययिता की आलोचना की गयी है, ठीक है, अभी राजनारायण जी ने बताया कि प्रशासन पर भारी खर्चा होता है। लेकिन उस खर्च को मितव्ययिता करने से बचाया जा सकता है। इसकी थोड़ी सी अगर प्रशंसा की गयी होती तो अच्छा था। ठीक है, एकदम से सारी क्रान्तिकारी चीजें सरकार नहीं कर सकती, न कोई भी सरकार जो आने वाली है वह कर सकती है। लेकिन उन्होंने एक अच्छा मार्ग ढूंढ़ा है। वह वास्तव में प्रशस्त है।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

इसके लिये आवश्यकता है तन्मयता त्याग और देशभक्ति की। मैं समझती हूं कि जो अधिकारी और जो जन ऐसा मार्ग ढूंढ़ते हैं उनका समाज से मान होना चाहिये। वास्तव में समाजवादी पार्टियों को उनका ध्यान करना चाहिये, कोई त्याग करता है तो उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिये। जब समाज में धन का मान कम होगा और त्याग तथा कर्मशीलता और श्रम का मान बढ़ेगा तभी समाजवाद या प्रजातन्त्र पनप सकता है। इसलिये इस मार्ग को अपनाने के लिये सरकार का कदम प्रशंसनीय है।

आदरणीया, मैं आरम्भ से ही इस विषय पर बराबर जोर देती आयी हूं। हमारी कृषि और आर्थिक योजना का ऐसा सम्बन्ध है जैसा शरीर और छाया का। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। इसमें जब तक किसान की आय में जाहिरा वृद्धि नहीं होती, उसे सब साधनों की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सरकार की आर्थिक योजनायें विफल होंगी। हमारे प्रदेश के उद्योग धंधे कृषि की अतिरिक्त पैदावार पर आश्रित हैं। सरकार के सभी समाज कल्याणकारी कार्य कृषि की अतिरिक्त पैदावार पर आधारित हैं। पैदावार जिस २ तरह से बढ़ाने के आंकड़े दिये जाते हैं, मैं कृषि के बजट पर उसे सिद्ध करूंगी कि मैं उनसे न कभी सहमत थी और न आज हूं। लेकिन कृषि की समस्या हल करने की पूरी कोशिश वर्तमान सरकार को करनी चाहिये। कृषि की समस्या बिलकुल सीधी सादी है। वह है कि किसान के पास जल का अभाव है, किसान के पास धन का अभाव है। माननीया, मेरे जिले से तीन मील की दूरी पर पंजाब के गांव २ में बिजली और ट्यूबवेलों की शृंखलायें बंधी हैं। वहां के किसानों को हमारे पश्चिमी जिले के किसानों से कहीं अधिक सुविधायें प्राप्त हैं और वह हमसे कहीं ज्यादा सम्पन्न और सुखी हैं। उसके विपरीत हमारे प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति अपने साधनों से ट्यूबवेल लगाते रहे हैं उनको बिजली मिलने में अनेकानेक बाधायें पैदा होती रही हैं। इस विषय में मेरा अपना सुझाव यह है कि सरकार ट्यूबवेल लगाने के लिये जो ४० एकड़ भूमि की शर्त है उसे अविलम्ब हटाये। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ट्यूबवेल के देने में सरकार की कोई शर्त न हो। तीसरा मेरा सुझाव है कि ट्यूबवेल जैसे ही लग कर तैयार हो उस तारीख से एक निश्चित तारीख के भीतर उसे बिजली मिल जानी चाहिये। यदि बिजली नहीं मिलती तो उसकी असावधानी की जिम्मदारी अधिकारियों और सरकार पर होनी चाहिये कि क्यों नहीं मिली। आदरणीया, मेरा चौथा निवेदन इस विषय में यह है कि सरकार राजकीय ट्यूबवेल न लगाये। राजकीय ट्यूबवेल न लगाकर सरकार जनता को किसानों को दीर्घकालीन ऋण थोड़े ब्याज पर दे और किसानों को छोटे छोटे ट्यूबवेल लगाने के लिये प्रोत्साहित करे।

दूसरी किसान की समस्या है धन का अभाव। सरकार ने दोनों पंचवर्षीय योजना कालों में उद्योगों को बढ़ाने के लिये, उन्हें पनपाने के लिये इंडियन फाइनेंस कारपोरेशन, यू० पी० फाइनेंस कारपोरेशन और अन्य उनको सहायता देने वाली संस्थायें स्थापित की हैं। इसी भांति किसानों को कर्ज देने वाली संस्थायें जिले के स्तर पर और तहसील के स्तर पर होनी चाहिये। आदरणीया, आप जानती हैं और सदन के सभी आदरणीय सदस्य जानते हैं कि किसानों को कर्जा देने की जो प्रक्रिया है वह बिलकुल गलत है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस प्रक्रिया को बिलकुल बदल देना चाहिये। वह प्रक्रिया है हैसियत के आधार पर किसान को कर्जा देना। इस केटेगरी में बड़े बड़े किसान आते हैं, न मध्य श्रेणी का आता है और बेचारा छोटी श्रेणी का किसान तो आता ही नहीं है। इसलिये किसानों की हैसियत पर कर्जा न दिया जाय। उनकी आवश्यकता पर कर्जा दिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि दीर्घकालीन कर्जा उनको सस्ते ब्याज पर दिया जाय। तीसरा निवेदन मेरा यह है कि योजना काल में जो छोटे २ किसान हैं उनके लिये एक अतिरिक्त योजना बने और उनको एन्टेन्सिव खेती के लिये प्रोत्साहित किया जाय। उनके लिये दीर्घकालीन कर्जे सस्ते ब्याज पर दिये जायं। जो किसान इन्टेन्सिव खेती करें और उसमें प्रथम आयें, अतिरिक्त उत्पादन करें उनका जो कर्जा है, दीर्घकालीन कर्जा वह सबसिडी में बदल

लिया जाय। मैं समझती हूं कि किसान को यह सबसिडी देना कोई किसान के ऊपर एहसान नहीं होगा। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह कृषक जो अन्नदाता है और जो प्राणदाता है, जो मूल आधार है जीवन का सरकार उसकी कृषि संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की सर्वप्रथम योजना बनाये। मैं समझती हूं कि वर्तमान सरकार उसे पूरा करेगी, उसे प्राथमिकता देगी ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं कि जो अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि वह जिले जो अतिरिक्त उत्पादन करते हैं जिनके कारण सरकार के उद्योग धन्धे व जनहितकारी कार्य चलते हैं और जो विपत्ति काल में सरकार के काम आते हैं, जो विपत्तिकाल में सरकार को तथा विपद ग्रस्त जनता को जिन्दा रखने के आधार हैं उन जिलों को इस योजना काल में सरकार सिंचाई कर्जा और बिजली आदि में सेचुरेट करेगी।

आदरणीया, मुझे खेद है कि अमेरिका से गत वर्ष कई करोड़ रुपये की सहायता अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने में प्रथम आने वाले के वास्ते मिली परन्तु जो जिले में अतिरिक्त अन्न पैदा करने में प्रथम हैं वह सहायता उनको न देकर अन्य जिलों को दी गयी। यह उनके साथ अन्याय व पक्षपात हुआ। आशा है सरकार भविष्य में उन्हीं जिलों को सहायता देकर जनहित करेगी।

आदरणीया, पश्चिमी जिलों में बड़ा भारी क्षेत्र है। सन् १९४६ में जमुना जल विद्युत् योजना का आरम्भ किया गया, लेकिन आज तक वह विद्युत योजना पूरी नहीं की गयी जबकि प्रदेश के अन्य अंचलों में कई योजनाएं पूरी हो गयीं और पश्चिमी जिले के किसानों की बिजली की इससे बड़ी मांग होने पर भी पश्चिमी जिलों में ही बिजली का भयंकर अकाल है। यौंतो सभी जगह पर अकाल है, लेकिन वहां पर विशेष अकाल है। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि जमुना जल विद्युत योजना, हरदुआगंज एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट और रामगंगा योजना सरकार शीघ्र ही पूरी करे ताकि खाद्यान्न के उत्पादन में उससे सहायता मिले। जो अतिरिक्त उत्पादन करने वाले जिले हैं उनके ऊपर भी सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही उद्योग धन्धों को भी यदि पनपाना है तो उसके लिये बिजली की आवश्यकता होगी। तभी हमारे प्रदेश का उद्योग पनप सकता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार ने यथाशक्ति शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। गत वर्षों में अध्यापकों की सेवा को सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने विशेष नियम बनाये हैं। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने प्रस्तुत बजट में ४ रुपया मासिक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वृद्धि दी है। और माध्यमिक विद्यालयों के मंहगाई भत्ते में ४ रु० मासिक की वृद्धि की है। सरकार का यह कदम प्रशंसनीय है और स्तुत्य है। साथ ही मेरा सुझाव है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों के लिये शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये और वह हाई स्कूल तक निःशुल्क होनी चाहिये। इस पर सरकार का विशेष खर्चा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश शिक्षा का भार शिक्षा प्रेमी जनता ही वहन करेगी। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा संबंधी सुविधायें इसी योजना काल में मिलनी चाहिये। मैं यह भी आशा करती हूं कि इसी योजना काल में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन १०० रुपया तक करने का शुभ संकल्प सरकार ने अवश्य ही किया होगा।

प्रस्तुत बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने महिला शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने बड़ी नारी वर्ग पर कृपा की है। उन्होंने बालिकाओं की कक्षा ८ तक निःशुक शिक्षा, गावों के अन्दर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में १००० जूनियर बेसिक प्राइमरी कन्या पाठशाला, ग्रामीण क्षेत्रों नें जाने वाली अध्यापिकाओं के लिये ग्रामीण मंहगाई भत्ता, १४०० ग्रामीण महिला अध्यापिकाओं के लिये निवास स्थान की सुविधायें, ५०० विद्यालय मातृकायें आदि की व्यवस्था करके महिला वर्ग का मान किया है। प्रदेश की मातृ शक्ति नारी वर्ग की ओर प्रदेश के भविष्य की आशा नन्हीं मुन्नी बालाओं की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

और आशा करती हूं कि सरकार महलिाओं के विषय में एक कृपा और करेगी। यहां पर उपनेता सदन भी विराजमान हैं, इस समय मेरा उनसे निवेदन है। पहाड़ी प्रदेशों में मैं अभी चुनाव के सिलसिले में गई थी। हमारे यहां तो किसी भी व्याधिग्रस्त बहन को गाड़ी में डालकर या मोटर में डालकर चिकित्सालय तक ले जाया जा सकता है लेकिन मैंने पर्वतीय कई बहनों की इतनी दर्दनाक दशा देखी है कि उन्हें मौत का सामना करना पड़ रहा था, उनके सामने सिवाय भगवान व भाग्य के अतिरिक्त कोई आधार न था उनका, मार्गों की दुर्गमता के कारण असम्भव था, वहां पर दूर दूर तक अस्पताल नहीं। मेरा उनसे पर्वतीय प्रदेश के लिये निवेदन है कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र जच्चा-बच्चा के कल्याण के लिये अस्पताल का प्रबन्ध सर्वप्रथम होना जरूरी है। वैसे तो सभी पिछड़े क्षेत्रों के लिये होना चाहिये।

दूसरी बात वहां के लिये यह है कि १०-१० वर्ष विद्यालयों को लिखा-पढ़ी करते हो गये लेकिन अब तक उनको मान्यता नहीं मिल सकी। मान्यता के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि यह भवन उच्च विशाल की ५ हजार या १५ हजार रुपये की कंडीशन नहीं होनी चाहिये, नहीं होनी चाहिये। जहां तक मुझे याद है इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री ने नागपुर कांग्रेस सेशन में जो कहा था वह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता देने के लिये उच्च भवन व रुपये के इस प्रकार के प्रबन्ध नहीं होना चाहिये, उसके लिये आवश्यकता है योग्यतम प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अनुशासनप्रिय शिष्य के बीच हार्दिक संबंध की।

आदरणीया, हमारे देश व प्रदेश में सरस्वती का अभिवादन तपस्वियों के आश्रमों में, जर्जरित कुटियों में, सघन वन वृक्षों की शीतल छाया में तथा लता वल्लरियों के पुञ्जों में हुआ है। जहां से बड़े-बड़े अवतार तथा युग प्रवर्तक अवतार व राजनैतिक नेताओं को जन्म मिला है। इस का ज्वलन्त उदाहरण शान्ति निकेतन विश्वविद्यालय है जहां आज भी वृक्षों के नीचे ऊंची से ऊंची शिक्षा अनेकानेक विद्यार्थी पाते हैं। मैं आशा करती हूं कि सरकार भवन तथा रुपयों की शर्त को शीघ्र हटा लेगी तथा निस्वार्थ शिक्षा प्रेमियों को शिक्षा प्रचार का अनावरुद्ध अवसर देगी ताकि पर्वतीय प्रदेश तथा अन्य पिछड़े निर्धन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार निर्विघ्न रहे। तो मेरा निवेदन है कि माननीय उपनेता सदन इस चीज पर ध्यान दें। यह जो मान्यतायें शिक्षा के प्रसार में बाधक हैं इनको अविलम्ब हटाया जाय ताकि पहाड़ी प्रदेशों में जो लोग शिक्षा प्रसार करना चाहते हैं उनको अधिक सुविधा मिल सके।

अन्त में मितव्ययिता की जो नीति सरकार ने अपनायी अनुत्पादक योजनाओं के स्थान पर उत्पादक योजनाओं को लेने का संकल्प, कर्मचारियों के व्यय में कमी का संकल्प, वेतन भत्ते में कमी का संकल्प, एअर कन्डीशन में यात्रा को समाप्त करने का संकल्प, मंत्रियों उपमंत्रियों के वेतन, सुख सुविधाओं और आवास में कमी करने का संकल्प, जो सरकार ने किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

अन्त में मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे जो दो-तीन विभाग हैं उनका या तो सरकार विलीनीकरण करदे अथवा उनके लिये कुछ करे। एक तो समाज कल्याण योजना है, प्लानिंग में, दूसरी महिला मंगल की योजना है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे शिक्षा विभाग को दे दिया जाय। सरकार के पास प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा की भी बहुत बड़ी सेवा है सूचना विभाग की। सूचना देने के लिये। यह काम प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को थोड़ा-सा आनरेरियम देकर लिया जा सकता है जैसा कि डाक तार विभाग करता है। इसी प्रकार एम्पलायमेन्ट एक्सेन्ज भी जो हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्थान के लिये सैकड़ों प्रार्थना-पत्र आते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि अगर एक जगह के लिये २५ पर्जियां आती हैं तो उन पच्चीसों से पैसा लिया जाता है। इन सब बातों के आधार पर मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं।

श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)—मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो बजट पेश किया गया है उसके लिये मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और उनके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट बनाया है।

इसमें मास्टरों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, लेकिन मुझे डर है कि शायद रामपुर में मास्टरों की तनख्वाहें न बढ़ाई जायं। इसलिये कि अभी तक रामपुर में मास्टरों को महंगाई एलाउन्स १२ साल से आज तक नहीं मिला है जबकि इसके लिये वह अपनी आवाज बराबर गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे और रामपुर के लिये मैं समझता हूं कि शायद कोई नया कानून ही होगा कि वहां उनको यह महंगाई न दी जाय। होना यह चाहिये कि बराबर के जिलों में जो तनख्वाहें मास्टरों को दी जाती हैं, जो इजाफा उनको मिलता है, वही रामपुर जिले के मास्टरों को भी दिया जाय। उन्होंने क्या कसूर किया है कि जो आज तक उनको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ तवज्जेह दे और उन मास्टरों की परेशानी को दूर करे।

मैं गुप्ता जी को एक फौलादी आदमी समझता हूं और मुख्य मंत्री जी को यह भी समझता हूं कि जो वह कहते हैं वह करते भी हैं। मगर हमारी बदकिस्मती है कि रामपुर वह कई मर्तबा तशरीफ ले गये और हर दफ़ा वायदा करके आये कि रामपुर की बेरोजगारी दूर की जायगी और वहां के बन्द कारखाने चालू किये जायेंगे, लेकिन आज तक १२ साल होने को आये, कोई कारखाना रामपुर का जो बन्द हो गया, खोला नहीं जा सका। मुझे अभी मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री जी १५ अप्रैल को नुमाइश के सिलसिले में रामपुर तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं उनसे निहायत अदब से कहूंगा कि अगर वे रामपुर जायं तो वहां के लिये कुछ ले कर भी जायं। वहां के लोग इस कदर परेशान हैं कि जो बयान के बाहर है। स्टेट के वक्त में तो मैं छोटी-सी बात पर आवाज उठाता था, छोटी-सी बात पर भी आवाज उठती थी और एजीटेशन होता था, जेल चला जाता था, लेकिन आज बड़ी से बड़ी बातों पर आवाज नहीं उठा पाता हूं। रोजाना सब कुछ होता है लेकिन मैं चुप बैठा देखा करता हूं। मुझे तकलीफ है। मुझे गवर्नमेंट से शिकायत है। अपनी गवर्नमेंट है। मुझे शिकायत है कि आज १२ साल के बाद भी वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई। मैं मुख्य मंत्री जी से तथा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से, निहायत अदब के साथ, यह गुजारिश करूंगा कि वे मेरी हर बात का कल अपने भाषण में जवाब दें। जब वहां पर स्टेट का राज्य था तो वहां पर मुख्य मंत्री और उसकी पूरी केबिनेट भी थी वहां हाई कोर्ट थी, आई० जी० पुलिस भी रहता था, जो आफिसर्स होते थे वे सभी आई० सी० एस० और तजुर्बेकार लोग होते थे। मगर आज यह सब चीजें वहां से हटा ली गई हैं। उस पहले वाले इन्तजाम को हम भी पसन्द नहीं करते थे, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्टेट का जो इन्तजाम था वह अच्छा इन्तजाम था। आज गैर जिम्मेदार लोगों को वहां ट्रेनिंग के लिये भेज दिया जाता है। वे लोग वहां जाकर मनमानी करते हैं।

पहले जब रामपुर में नुमाइश होती थी, वह स्टेट की तरफ से होती थी। आज जो हो रही है उसमें किसानों से चन्दा वसूल किया जा रहा है। उसके टिकट जबरदस्ती बेचे जा रहे हैं। और एक एक जगह से नहीं कई कई जगह से बेचे जा रहे हैं। उस समय स्टेट ही सारा खर्च करती थी। अदालत में किसान जाता है, वहां उसको टिकट खरीदना होता है, तहसील में जाता है, वहां टिकट खरीदना होता है, पुलिस में जाता है वहां टिकट खरीदता होता है, गन्ना ले कर जाता वहां टिकट खरीदना होता है, हर विभाग में उसको टिकट खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है। तो ऐसी नुमाइश के मैं खिलाफ हूं। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि वह ऐसी नुमाइश को बन्द कर दे। अगर नुमाइश होती है तो उस तरह की हो जिस तरह से लखनऊ में होती है। इस तरह से टिकट बेच कर नुमाइश कराने से कोई फायदा नहीं।

मैं माननीय गुप्ता जी से यह कहूंगा कि जब वे इस नुमाइश को देखने जायं तो वे उसको इस निगाह से देखें कि उसको एक इन्डस्ट्रियल एरिया बनाया जाय। इन्डस्ट्रियल एरिया से मेरा मतलब यह है कि वहां पर आप इन्डस्ट्री बनाइये, वहां के लोगों को रोजगार दीजिये। यू० पी०

[श्री महमूद अली खां]

यें इन्डस्ट्री के लिये वह एरिया सबसे अच्छा एरिया है । इसलिये वे जब जायं तो केवल तफरीह के लिये ही न जायं । उसको इस निगाह से देखें कि वहां पर कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज कायम की जायं ।

मैंने तवारीख में यह पढ़ा था कि बाप को बेटा मारे मगर रामपुर में आज भी नादिरशाही मौजूद है । अभी कुछ दिनों की बात है कि वहां पर हरिजनों ने एक जलसा किया । उस जलसे में एक भाई ने जो मेरे दोस्त भी हैं, हरिजनों की कुछ परेशानियों को बतलाया । उसका एक भाई वहां की म्यूनिसिपैलिटी में कार्य करता था । वह वहां मुलाजिम था । तो वहां के अधिकारियों ने उस आदमी को इस कारण नौकरी से अलग कर दिया क्योंकि उसके भाई ने उस जलसे में हरिजनों की कुछ कठिनाइयों को कह दिया था । तो वहां आज भी नादिरशाही मौजूद है ।

मेरे हल्के में ४ टाउन एरियाज हैं—टांडा, सुआर, बिलासपुर और केमरी । टांडा में तो बिजली पहले से ही लगी हुई है । दो और तहसीलों में सुआर और बिलासपुर में गवर्नमेंट ने करेन्ट पहुंचा दिया है । एक टाउन केमरी बाकी रहा है । मेरी यह गुजारिश है कि वहां पर भी सरकार जल्दी से जल्दी करेन्ट पहुंचाने की कोशिश करे ।

मैं काश्तकार के वोटों से चुनकर आया हूं और मुझको काश्तकारों की कठिनाइयों का पूरा पूरा इल्म है । काश्तकारों पर लगान तिगुना और चौगुना है । आबपाशी भी वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा है । जब उसकी शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि वह तो वही है जो स्टेट के वक्त म थी । स्टेट के वक्त में तो और भी बहुत सी चीजें थीं, जिनको आज आपने खत्म कर दिया । इसलिये मैं यह गुजारिश करूंगा कि बरेली, मुरादाबाद तथा और जगहों पर जो लगान है वही रामपुर में भी कर दिया जाय । जो रेट आपने दूसरी जगहों पर लगा रखा है वही आप रामपुर में भी रखें । वहां आबपाशी का शरह ज्यादा है, उसको कम करना चाहिये और जितनी और जगहों पर हैं, वही वहां भी होना चाहिये । बराबर के जिलों में काश्तकारों को जो सहूलियतें मिलती हैं वही रामपुर के काश्तकारों को भी मिलनी चाहिये ।

रामपुर में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है । यह मसला बड़ी आसानी से तय हो सकता है अगर गवर्नमेंट यह आर्डर निकाल दे कि जिनके पेन्शन के कागाज पड़े हुये हैं उनको एक महीने के अन्दर पेंशन द दी जाय । दस दस बारह बारह साल से पेंशन के काजगात पड़े हुये हैं लेकिन आज तक पेंशन नहीं मिल सकी है । अगर लोगों को पेंशन मिल जाय तो काफी हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है । इसी तरह से बांड का भी मसला है । अगर लोगों को बांड मिल जांय तो बेरोजगारी दूर हो सकती है । इसके अलावा जो कारखानें बन्द हैं उनको अगर चालू कर दिया जाय तो बेरोजगारी दूर होगी ।

जनाबेवाला, रामपुर में सिर्फ दो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं । मुकदमों की हालत यह है कि दो महीनों तक तारीखें नहीं पड़तीं । मैं निहायत अदब से कहूंगा कि या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स बढ़ाये जायं या आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स बढ़ाये जायं या फिर तहसीलदारों को ऐसे अधिकार दे दिये जायं कि वह फैसला कर सकें ।

मुझे मालूम हुआ है कि इस साल गवर्नमेंट नैनीताल नहीं जायगी क्योंकि मसारिफ बेजा होते हैं । मैं निहायत अदब से कहना चाहूंगा कि कोई मसारिफ बेजा नहीं होते । वहां के गरीब लोगों को रुपया मिलता है । वहां के कुली, कश्ती वाले, रिक्शे वाले, दुकानदार, होटल वाले, इन लोगों के पास बड़े आदमियों की जेब से पैसा निकल कर जाता है । जहां आप करोड़ों रुपया प्लानिंग पर खर्च कर रहे हैं वहां अगर पहाड़ी इलाके के गरीब मजदूर चन्द महीनों में कुछ कमा लेते हैं तो उसको फिजूलखर्ची क्यों कहा जाता है । मेरी राय में कतई गवर्नमेंट को नैनीताल जाना चाहये । अगर वहां गवर्नमेंट नहीं गई और किसी किस्म की वहां भुखमरी फैली तो उसकी

जिम्मेदारी किस पर आयेगी। वहां पर जब गवर्नमेंट जाती है तो उसकी वजह से और भी बहुत से आदमी जाते हैं। इसलिये मेरी राय है कि वहां गवर्नमेंट को जरूर जाना चाहिये।

आपके जरिये मुझे यह भी अर्ज करनी है कि हमारे यहां तहसील बिलासपुर से तहसील देवार तक जो सड़क जाती है उस पर मिट्टी पड़ी और मालूम हुआ कि पक्की बनेगी लेकिन आज उस सड़क का निशान तक मिट गया। उससे लोगों को बहुत परेशानी है। उसकी तरफ सरकार को जरूर तवज्जह देनी चाहिये।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है, मर्जर एग्रीमेन्ट में यह शर्त थी कि तालीम बरकरार रखी जायगी। वहां पर हर साल लड़कों के दाखले में बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन इस वक्त तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि या तो स्कूल बढ़ाये जायं या दर्जे बढ़ाये जांय जिससे दाखिले में आसानी हो।

हमारे यहां होली का त्योहार आया वह खरियत से गुजर गया, ईद का त्योहार आया वह भी खैरियत से गुजर गया। लेकिन जब त्योहार आता है तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई जंग आ रही हो। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि ईद में या किसी और त्योहार में दफा १४४ लगाई जाय। चीन से जंग हो जाय तो सब लड़ जायेंगे और उसको भगा देंगे, लेकिन हर साल ६ मर्तबा यू० पी० में या हिन्दुस्तान में यह जंग होती है, इसकी तरफ गवर्नमेंट अपनी तवज्जह दे और कोशिश करे कि जिस तरह से त्योहार आते थे कि हिन्दू मुसलमान मिल रहे हैं कोई भेद भाव नहीं होता था, कोई फर्क नहीं मालूम होता था फिर आज यह हालत क्यों हो गई है कि त्योहार आता है तो मालूम होता है कि जंग आ रही है, किसी मुसीबत का सामना करना है। मैं इतना और कह कर खत्म करूंगा कि रामपुर की परेशानी को गुप्ता जी दूर करेंगे, मुझे यह उम्मीद है चूंकि मैं उनको लोहे का आदमी समझता हूं और फिर दोहराता हूं कि जिस बात को वह कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं।

मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, यह ६१-६२ का बजट ऐसा ही है जैसे कि पहले हुआ करते थे। इसमें कोई खास तब्दीली नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि गोया किसी लकीर के फकीर ने बजट बनाया है। इसमें बैकवर्ड और हरिजनों के अनुदान को कम कर दिया गया है और आबपाशी की दर बढ़ा दी है। प्रदेश में कत्ल, चोरियां डकैतियां और बुरे फेल बढ़ते जा रहे हैं। इस ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। वह समझती है कि अगर अमन होगा तो मालूम नहीं लोग किसको वोट देदें। पुलिस का काम अमन कायम करने का नहीं है बल्कि राजनैतिक पार्टियों पर सी०आई०डी० का काम करना है। वह अपनी आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जह देती है। इसलिये अमन कायम नहीं हो सकता है।

देहात की ओर सरकार उदासीन रही है। देहात में वह इसलिये विकास नहीं चाहती है कि अगर गरीब किसान और मजदूर तरक्की कर जावेंगे तो यह सरमायेदारों की सरकार खत्म हो जायगी। सरकार सरमायेदारों के आराम के लिये शहरों में ही बिजली देती है। लेकिन सिंचाई को बिजली नहीं दी जाती है। हिन्दुस्तान की आबादी ९० फीसदी देहात में रहती है मगर उनके ऊपर केवल १० फीसदी खर्च होता है और शहरों की १० फीसदी जनता पर ९० फीसदी रुपया खर्च होता है। देहातों में फूस और मिट्टी के मकान नौनी खा कर गिरते जा रहे हैं मगर मकान बनाने का रुपया शहरों में ही दिया जाता है।

सरकार का यह दावा बिलकुल गलत है कि कृषि की पैदावार बढ़ गई है। पैदावार प्रति एकड़ बढ़ी नहीं है बल्कि पैदावार बढ़ने का कारण जोती हुई जमीन का रकबा बढ़ना है। देहात की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। किसान के बैल ताकतवर हों और खेती में लगाने के लिये माली हालत किसान की अच्छी हो, तभी पैदावार बढ़ सकती है।

[श्री भूपकिशोर]

इस प्रांत में शिक्षा का आधार बहुत कीमती रखा गया है जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। देहातों में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें तक नहीं हैं, वे टूटी-फूटी पड़ी हैं। सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर जाना चाहिये। अगर शिक्षा नहीं दी गई तो सरकार का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है।

दाखिल-खारिज के लिये १० परसेंट रुपया लेखपाल को देना पड़ता है और नायब तहसीलदारों के यहां भी दाखिल-खारिज तभी होता है जबकि बंधी हुई रकम मिल जाती है वरना वर्षों तक मुकदमों की तारीखें बढ़ती रहती हैं।

आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका ध्यान इस प्रदेश की अछूत और बैकवर्ड जातियों की ओर दिलाना चाहता हूं। इनकी ओर सदा से यह सरकार उदासीन रही है और इनकी तरक्की में हायल रही है। इस सरकार ने जाति-पांति का राज्य कायम कर रखा है। सवर्णों की आबादी १० परसेंट है लेकिन ये ९० फीसदी नौकरियों पर कब्जा किये हुये हैं। बैकवर्ड और अछूतों की आबादी ९० फीसदी होते हुये भी केवल १० फीसदी नौकरियां उनके हाथ में हैं और वे भी छोटी छोटी। गवर्नर विदेशी राजदूत और कमिश्नर आदि में एक बैकवर्ड या अछूत नहीं है। गजेटेड अफसरों की संख्या अंग्रेजी जमाने के मुकाबिले में दुगुनी हो गई है। मगर बैकवर्ड जाति वालों की तादाद एक-तिहाई कम हो गई है। यह सरकार का जाति-पांति का नमूना है। फौज में एक भी आदमी अछूत तथा बैकवर्ड जाति का नहीं है। कहा जाता है कि यह बहादुर नहीं होते। यह बिलकुल गलत बात है। ऋगवेद को पढ़िए कि श्वम्भर बैकवर्ड और अछूत जाति का था और हिन्दुस्तान में १०० किले उसके थे और अनार्यों की ६०,००० स्त्रियां लड़ाई के मैदान में आर्यों से लड़कर मारी गई थीं। और सवा लाख आदमी भी अनार्यों के लड़कर लड़ाई के मैदान में काम आये थे। इनको मौका दीजिये। दूसरे मुल्क वाले जानते हैं कि ये सवर्ण योग्य हैं और बाकी कमजोर हैं इसलिये उनकी हिम्मत होती है कि हमारे देश की ओर वे आंख उठावें।

मेरे हाथ में एक पुस्तक 'भारत का चित्रमय इतिहास' है। मैं आपकी आज्ञा से इसमें से पढ़कर सुनाता हूं। "अछूतों को समाज का नीचतम मनुष्य माना जाता था। यदि किसी ब्राह्मण पर अछूत की छाया पड़ जाती थी तो उस पर कोड़ों की मार पड़ती थी। जाति के कठोर नियमों को थोड़ी सी उपेक्षा करने पर लोग इस नारकीय जीवन में फेंक दिये जाते थे। कर्म द्वारा श्रेष्ठ जातियों में पहुंचने की व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। अछूतों को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अछूत महापुरुषों को चांडाल कहकर पत्थर इत्यादि भी मारे जाते थे। अछूतों का जीवन अवर्णनीय यंत्रणाओं का शिकार हो उठा था।" क्या देश में वही भावना आज भी काम कर रही है ?

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैंने माननीय मित्रों के भाषणों को बड़े गौर से सुना और मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं। आज इस बजट के द्वारा हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने जा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने इस बात का भी निश्चय किया है कि १४७ करोड़ रुपया टैक्सेज के द्वारा इकट्ठा करेंगे और तभी तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बना सकेंगे। इसके पहले हम टैक्सेशन की बातें करें हमें दो बातों को जरूर देखना होगा।

(इस समय २ बजकर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

पहली बात तो यह है कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं से हमारे प्रदेश पर क्या असर हुआ। पिछली दो योजनाओं से जबकि भारत की आबादी १३२·१ प्रतिशत बढ़ी वहां हमारे

प्रदेश की आमदनी केवल १३.८ प्रतिशत ही बढ़ी है। इसके माने ये हैं कि हमारे प्रदेश ने और देश के मुकाबिले में कम तरक्की की है। इतना ही नहीं हमें यह भी देखना होगा कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज कृषि की पैदावार का क्या हाल है? उसकी पैदावार का औसत भारत में ५८-५९ में अगर १२८.६ रहा है तो हमारे प्रदेश में केवल ११५ ही रहा है। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि दोनों पंचवर्षीय योजनायें हमारे प्रदेश में सफल नहीं रहीं बल्कि असफल रही हैं।

अब जब कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना का बजट पेश करने जा रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से हम उसको सफल बना सकते हैं। इस बजट को जब मैं देखता हूं तो मैं अपने आपको यह विश्वास करा सकने में असमर्थ पाता हूं कि इसके द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना में कोई कदम हम आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि जब भी हम समाजवादी समाज की स्थापना की बात करते हैं तो हमारे सामने दो, तीन बातें आती हैं। पहली यह कि क्या उसके द्वारा गरीबी और अमीरी का अन्तर मिटता है? दूसरी यह कि क्या उसके द्वारा गांवों और शहरों का फर्क कम हो रहा है?

आज हमारे प्रदेश में ८० प्रतिशत आदमी कृषि पर निर्भर हैं और मेरा यह विश्वास है कि जमीन का मामला गांव वालों से संबंधित है। हो सकता है कुछ कृषि करने वाले शहरों में भी रहते हों लेकिन कुछ आदमियों के शहरों में रह कर खेती करने से कृषि का सम्बन्ध शहरों से नहीं हो सकता, अतः जमीन का मामला सोलहों आने गांव वालों से संबंधित है। और जब यह मामला गांव वालों से संबंधित है तो हमको यह देखना होगा कि गांवों की हालत क्या है? लेकिन गांवों और शहरों की आमदनी में १ और साढ़े तीन का अन्तर है। यदि आप पिछले दस वर्षों के आंकड़ों को देखें तो आप इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि हमारे प्रदेश में शहरों के रहने वालों की आय बढ़ी है और गांवों में रहने वालों की आय करीब करीब ज्यों की त्यों रही है।

आज इस सरकार ने टैक्स लगाने की बात कह कर, सन् ५४ में जो आबपाशी में रिबेट दिया गया था उसको समाप्त कर दिया है। जरा सरकार ही इस बात पर सोचे कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना को कामयाब करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो क्या उस अवस्था में रिबेट को वापस लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित है? बहुत विचार करने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि आज गांव के रहने वालों की आमदनी कम है। आबपाशी की दर जो बढ़ायी जा रही है, इसके माने तो यह हुये कि आप गरीब किसानों के ऊपर कुछ टैक्सेशन लागू करना चाहते हैं। आज भी शहर और गांव के रहने वालों की आमदनी में साढ़े ३ और १ का अनुपात है, फिर भी आप गांव के रहने वाले गरीब किसानों पर ही टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। इससे तो गरीब और अमीर की आमदनी में फर्क घटने के बजाय बढ़ेगा ही। मैं नहीं समझता कि इससे समाजवादी समाज की स्थापना होगी या ऐसा करने से समाजवाद उससे दूर हो जायगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से हम उससे दूर चले जायेंगे और किसी भी माने में हम समाजवादी समाज के नजदीक नहीं जायेंगे।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि गल्ले का भाव बढ़ गया है इसलिये उस बढ़ी हुई कीमत में से सरकार को किसानों से भी अपनी योजना के लिये कुछ न कुछ लेना है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी यह सिद्ध कर दें कि किसानों की आमदनी बढ़ी है तो किसानों से अवश्य कोई न कोई टैक्स लेना चाहिये। परन्तु मेरा यह निश्चित विश्वास है कि जब किसान अपनी पैदा की हुई कोई चीज बेचने के लिये बाजार में जाता है तो उसे होल सेल में बेचता है और जब कंज्यूमर्स गुड्स खरीदने जाता है तो रिटेल भाव में लेता है। अगर आप पिछले १०-१५ साल के किसानों के प्रोडक्शन के होलसेल प्राइस और कंज्यूमर्स गुड्स के रिटेल प्राइस की पैरिटी को देखें, और अगर पैरिटी घटी हो, तब तो किसानों की अच्छी हालत हुई और अगर पैरिटी बढ़ती ही गयी है तो यह कहना कि किसान मालदार हो गये हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरा विश्वास यह है कि किसानों की हालत पहले से किसी भी माने में अच्छी नहीं हुई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आप किस स्टेज से बोल रहे हैं ?

श्री जगवीरसिंह—यह तो आप स्वयं समझ लेंगे वही किसानों का ....

श्री उपाध्यक्ष—यहां पर हर माननीय सदस्य को आजादी है अपनी बात व्यक्त करने की और मैं समझता हूं कि इस किस्म का सवाल यहां नहीं उठाना चाहिये ।

श्री जगवीरसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि किसी भी आर्गूमेंट से देखा जाय, किसानों की हालत अच्छी नहीं हुई है क्योंकि उनकी आमदनी का अनुपात बराबर कम ही होता गया है । इसलिये हर दृष्टिकोण से देखने पर किसानों पर आबपाशी की दर बढ़ा देना उचित नहीं मालूम होता । एक तरफ तो हमारे प्रदेश में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी, ३,००० रु० होने पर भी उन पर कोई टैक्स नहीं है और दूसरी तरफ वे किसान जिनकी पर कैपिटा इनकम २०० रु० साल से भी कम है उन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो किसी भी दृष्टिकोण से यह आर्गूमेन्ट समझ में नहीं आता कि किसानों पर आबपाशी की दर बढ़ानी चाहिये । आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इस पर ध्यान दें और किसानों पर टैक्स बढ़ाने की बात न सोचें ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के सम्बन्ध में कुछ बातें मैं आपके द्वारा और भी कहना चाहता हूं । आज जब किसानों की जमीन किसी कारखाने के लिये या किसी अन्य सरकारी कार्य के लिये ली जाती है तो जो उसको कीमत दी जाती है वह बहुत ही कम यानी मामूली कीमत होती है । उस जमीन से किसान की रोजी चलती है, तथा उसके बाल बच्चों की रोजी का जरिया भी वह जमीन ही होती है, इसलिये जब उनकी जमीन ली जाय तो उसकी पूरी कीमत और मारकेट वैल्यू जो हो उसके हिसाब से मिलनी चाहिये । जब इंडस्ट्रीज में बहुत काफी पैसा लगाया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि गरीब किसानों की जमीन थोड़ी कीमत में क्यों ले ली जाती है जिससे वे कहीं रिहैबिलिटेट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं । तो इसलिये मैं चाहता हूं कि किसानों को उचित कीमत मिलनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर सरकार को किसान की हालत को सुधारना है तो उसको २–४ निश्चित कदम उठाने होंगे । मिनिमम फेयर इकोनामिक प्राइसेज उस की पैदा की हुई चीजों की निश्चित करना होगा । आज किसान पर टैक्सेज बढ़ते चले जायं और उस को यह विश्वास न हो कि उस का गेहूं किस दाम पर बाजार में बिकेगा । उसको उसके पैदावार की सही और ठीक कीमत मिलना चाहिये और वह तभी सम्भव हो सकता है कि जब कि फेयर प्राइस जो न्यूनतम हो वह निश्चित की जाय । जहां पर कि मिल एरिया में गन्ने के दाम मुकर्रर हैं वहां भी गन्ने के उत्पादकों की हालत यह है, मैं अपने जिले की हालत बताता हूं कि हमारे यहां का इस वर्ष में लगभग दस लाख रुपया कीमत जो गन्ने की है उसका बकाया है और उस को कोई दिलाने वाला नहीं है, काफी शोर मचाया जाता है, सरकार तक बात पहुंचती है लेकिन कुछ नहीं होता । पिछले साल हमारी मांग थी कि जहां पर रेलवे सैंटर हों वहां पर मिलमालिक किसी तरीके से भी गन्ना ले किसान को रेलवे सैंटर की कीमत मिलना चाहिये और सरकार ने व केन कमिश्नर ने इस बात को माना था । लेकिन कुछ नहीं हुआ । करीब ३०–४० हजार रुपया हमारे जिले का मिलमालिकों की तरफ बकाया है लेकिन उस की वसूली नहीं होती, कोई दिलाने वाला नहीं है । इसके लिये सरकार कोई सख्त कदम शीघ्र उठावे । वहां पर १ रुपया आठ आना के नाम पर एक रुपया ४३ नये पैसे दिये जाते हैं जब कि उनको १ रुपया ५० नये पैसे मिलना चाहिये । यह चीज एक ही सैंटर की नहीं है बल्कि मेरा ख्याल है कि प्रदेश के हर जिले में यही समस्या है । जहां भी इस तरह की समस्या है उस को हल करने के लिये सरकार को ठीक तौर से उचित कदम शीघ्र उठाना चाहिये ।

इसके अलावा गन्ने वालों की एक और मुसीबत है और वह यह है कि जिस वक्त किसान गन्ना लेकर जाता है, आपने दो, तीन दिन हुये अखबारों में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से तौल पर कांटे में गड़बड़ होती है और दो, तीन मन गन्ना कम तौलना तो मामूली बात है । इस तरह की चोरी

दिन बहाड़े इस सरकार के कार्य काल में होती है और किसानों का गन्ना कम तौला जाता है और अगर ऐसे मामले पकड़ भी लिये जाते हैं तो सब पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। मैं चाहता हूं कि इस चीज को रोकने के लिये किन्हीं निश्चित तरीके के आटोमेटिक बैलेन्सेज प्रयोग में लाये ताकि किसानों को उन के गन्ने की उचित कीमत मिल सके। अगर इतना सरकार कर दे तो किसानों का बड़ा उपकार होगा।

एक बात मैं आप के द्वारा और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि एक चीज हमारे पड़ोस के सूबे में आरम्भ हो गई है वह यहां भी आरम्भ की जाय। हमारे सूबे में भी क्राप इन्श्योरेंस की बहुत आवश्यकता है। दैवी आपदाओं से बचने के लिये किसान को राहत देने के लिये वह एक उत्तम उपाय है। अतिवृष्टि, सूखा, ओला आदि आपदाओं से बचने के लिये क्राप इंश्योरेंस को स्कीम यहां भी लागू की जाय ताकि ऐसे समय में कम से कम उसके बच्चों के लिये रोटी कपड़े का प्रबंध हो जाय और वह जिन्दा रह सके।

अब मैं बजट के उन कदमों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जिन को अच्छा कदम कहा जा सकता है और उनके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। प्राइमरी टीचर्स के वेतन में जो ४ रुपया मासिक बढ़ोत्तरी है उसको मैं काफी नहीं समझता, यह कदम ठीक दिशा में जरूर उठा है लेकिन उन का वेतन कम से कम १०० रुपया अवश्य होना चाहिये और जितनी जल्दी सरकार इस चीज को कार्यान्वित कर सके उतना ही अच्छा है।

जहां तक ८ वीं क्लास तक की लड़कियों की निशुल्क शिक्षा की बात है वह भी एक अच्छा कदम है। सरकार का यह तो पहले से ही निश्चय था कि ८ वीं क्लास तक सब की ही शिक्षा निःशुल्क की जायगी परन्तु वह सरकार ने नहीं किया। अच्छा हो कि सब की ही ८ वीं क्लास तक की फीस माफ की जाय।

जहां तक पी०एम०एस० २ के डाक्टर्स के स्केल में वृद्धि की बात है वह भी एक सुन्दर कदम है लेकिन उस के साथ अगर यह भी होता कि जिस तरह से गांवों में जाने पर महिलाओं के लिये एलाउन्स दिया जाता है उसी तरह से पी० एम० एस० २ के डाक्टरों को भी गांवों की डिसपेंसरीज में काम करने के लिये कुछ अलाउन्स दिया जाय तो गांवों की डिसपेंसरीज बगैर डाक्टरों के खाली नहीं रहेंगी। तो उससे गांव में रहने वालों को काफी फायदा होता। इन शब्दों के साथ में यह चाहूंगा कि जो किसान के भले के कदम हैं सरकार जल्दी से जल्दी उनको उठावे।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित है सन् ६१-६२ का उससे संबंधित साहित्य को देखने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई और केवल मुझे ही नहीं बल्कि मेरा यह अनुमान है और विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय भी उस सम्बन्ध में विशेष आशावादी नहीं हैं। जिस समय उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ा उस समय जितना निरुत्साह झलक रहा था उनके मुख पर उससे मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री, जिन पर भार है आगामी वर्ष में आय-व्ययक इस सदन में पेश करने का कि इस प्रकार से प्रदेश की आय होगी और इन इन योजनाओं पर रुपया खर्च किया जायगा, वह भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भी अपनी नीति पर अथवा उसके कार्यान्वयन पर अधिक विश्वास नहीं था।

श्रीमन्, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के साथ-साथ इस बजट का कार्यान्वयन इस प्रदेश में शुरू करेंगे। योजना का जो लक्ष्य बार-बार पिछले दस वर्षों से बताया जा रहा है और जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उस कसौटी पर इस बजट को अगर कसें तो मालूम होगा कि कुछ भी इस प्रदेश के रहने वालों को इसने नहीं दिया सिवाय उन दो-चार सामान्य बातों के जिनको कि सुधारात्मक कह सकते हैं। योजना को तो सदैव निश्चित होना चाहिये और साधनों तथा परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये और अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार वैद्य]

ठीक है, इसमें दो–तीन सुविधायें दी गई हैं। जो कम वेतन पाने वाले अध्यापक हैं उनके लिये चार रुपये की वृद्धि की गई है। बालिकाओं की शिक्षा के लिये आठवीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन अगर हम दूसरे प्रान्तों से मुकाबला करें तो यह स्पष्ट है कि हम दूसरे प्रांतों से बहुत पिछड़े हुये हैं। मुझे आश्चर्य होता है, हमारा सारा देश आज कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत है और सारे देश में एक साथ योजना चल रही है और लगभग एक ही प्रकार के लक्ष्य समस्त देश में निर्धारित किये गये हैं, तो उत्तर प्रदेश में यदिदो–तीन सुधारवादी कार्य किसी एक निश्चित वर्ष में किये जायं और उस पर बधाई दी जाय जैसा कि इस सदन में मैंने बार–बार सुना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बधाई की बात है। इसके विपरीत हम इस स्थिति को देखें कि कितना बड़ा भार हम आगामी वर्ष में वहन करने जा रहे हैं। लगभग १५४ करोड़ की धनराशि इस बजट में उल्लिखित है जिसको हम खर्च करेंगे। स्थिति यह है कि जब कभी सरकार अपनी ओर से कोई प्रस्ताव लाती है और उसका समर्थन सदन से चाहती है तो उस समय योजना के बड़े–बड़े लक्ष्यों का हवाला दिया जाता है लेकिन जब उन्हीं कार्यों को कार्य रूप में परिणत करने की बात आती है तो स्थिति बिलकुल दूसरी होती है।

योजना के सम्बन्ध में इस बार भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हम अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमन्, स्थिति यह है कि हमारी सरकार के पास अन्नोत्पादन के बारे में कोई निश्चित, कोई ठोस योजना वास्तव में है नहीं। सन् १९३५ से कांग्रेस सरकार के जमाने में जो रूरल डेवलपमेन्ट प्लान चली उसी में कुछ रूपान्तर करके हमारी सरकार ने अन्नोत्पादन की वृद्धि की योजना का उसे नाम दिया है। उसमें हमारे देश और प्रदेश की स्थिति का मूल्यांकन विशेष रूप से नहीं किया गया है। हमारे जो योजना के निर्माता हैं वह बारबार कहते हैं, प्रदेशीय सरकार भी कहती है कि जो भी साधन हमारी शक्ति के अन्तर्गत हैं अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये उन्हें हम देहातों के लिये सुलभ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता देखेंगे तो यह स्वीकार करेंगे, और सरकार भी इस बात को स्वीकार करेगी, कि सिंचाई के लिये पानी की आवश्यकता है और बगैर पानी के हम साधारण फसलें भी नहीं पैदा कर सकते, अधिक अन्न उत्पादन की बात तो दूर रही। कहा जाता है कि सघन खेती की जाय जबकि सिंचाई की क्षमता कम है, किसी जिले में १५ प्रतिशत, किसी में २० और किसी में २५ प्रतिशत है तो यह कैसे संभव हो सकता है? थोड़े से पश्चिमी दो–तीन जिलों को छोड़कर जहां कि सिंचन क्षमता दूसरी योजना के अन्त में ५०, ५१ प्रतिशत तक पहुंच गई है, सारे प्रदेश का हाल यह है कि सिंचाई की योजनाओं का अभाव है। हमारी सरकार ने नहरें बढ़ायीं। जैसा नेता विरोधी दल ने कहा उन नहरों का आकार तो बन गया लेकिन पानी का अभाव है, सरकारी ट्यूब वेल बनाये गये लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें बिजली नहीं मिल पायी है और बेकार पड़े हैं। हमारे प्रदेश का रुपया तो लग जाता है लेकिन उपयोग बहुत दिन के बाद हो पाता है।

जहां तक बाढ़ से नुकसान का सम्बन्ध है उसको भी नियोजित कर सकते थे यदि उस बाढ़ से आने वाले पानी को कहीं पर बांध दिया जाता। एक तो उससे सिंचाई बढ़ायी जा सकती थी और दूसर जो बाढ़ के पानी से नुकसान होता है वह भी बच सकता था। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और न होने का कारण यह है कि हमारे सामने योजना के नाम पर वास्तविक योजना नहीं है।

उन्नत बीज की बात कही जाती है, उन्नत बीज और खाद बांटी जाती है और जहां जहां यह काम चल रहा है सरकारी गोदामों द्वारा या सरकारी संस्थाओं द्वारा उसमें सफलता कितनी हुई है? पिछले १० सालों में, जिस सीड स्टोर पर जितना बीज बांटा जाता था उतना ही बांटा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम किसान को उन्नत बीज के मामले में स्वावलम्बी नहीं बना सके ताकि वह अपना पैदा किये हुए अनाज में से उन्नत बीज बोने के लिये रख सके। यह भी सरकार का एक व्यापार बन गया है।

इसके साथ साथ कुछ प्रतियोगितायें इस प्रान्त में प्रारम्भ हुई । वह कितनी हास्यास्पद हैं। प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि ऐसी हैं जिसमें १ बीघे में कम से कम एक, डेढ़ मन गेहूं पैदा होना चाहिये लेकिन उसका चौथाई भी पैदा नहीं हो पाता है। एक ओर हम इस प्रकार की प्रतियोगितायें चलायें और उसके फलों से लोगों को अवगत करायें कि अमुक फ़ार्म पर अमुक व्यक्ति ने इतने बीघे में इतना पैदा कर लिया इसका परिणाम यही होता है कि जो लोगों में पहले से स्वाभाविक आस्था है वह भी नष्ट हो जाती है। एक स्थान पर सारे साधन जुटा दें और सारी उन्नति विद्या कृषि की केन्द्रित हो तो निश्चित रूप से उसका परिणाम यही होगा कि इन प्रतियोगिताओं से जिस तरह की प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिये कि वह अच्छा बीज दें, उपयोगी खाद जुटायें उस तरह का कोई परिणाम नहीं निकलता।

इंटेंसिव कल्टीवेशन किस प्रकार का है ? दिनों दिन गांवों के किसानों के अन्दर उत्साह गिरता जा रहा है, वह अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहा है।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि लोग गेहूं का क्षेत्रफल निरंतर घटाते जा रहे हैं और गन्ने का कृषि क्षेत्रफल बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की स्थिति यह है कि लगभग १११ करोड़ मन गन्ना प्रदेश में इस साल आंका गया है। लेकिन उसके पेरने का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। गन्ने का सीजन दो तिहाई से ज्यादा समाप्त हो चुका है और थोड़े ही दिनों बाद मिलें बन्द हो जायंगी और केवल एक तिहाई गन्ना ही मिलें पेर पायेंगी। तो शेष गन्ने का क्या होने वाला है ? इसमें भी किसानों को कोई विशेष राहत मिलती है या मिलेगी, मैं नहीं समझता हूं। इसका विशेष कारण यही है कि योजना का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। अगर देश में योजना कार्यान्वित की जा रही है तो सिर्फ़ विशेष प्रकार के नारे देने के लिये, जनमत को अपने साथ लाने के लिये ही ऐसा किया जा रहा है। इसका परिणाम बहुत ही खराब यह निकलता है कि लोगों में योजना के लिये जो उत्साह पैदा होता है वह इन असफल योजनाओं के कार्यान्वयन से नष्ट हो जाता है, लोगों को योजना से ही, जो वास्तविक योजना कोई हो सकती है, उस पर से ही विश्वास हट जाता है और जिस जन-सहयोग के न मिलने की शिकायत सरकार की ओर से की जाती है वह जन-सहयोग हटता जा रहा है। एक नियोजित प्रदेश में और देश में यह आवश्यक है कि जो भी साधन उपलब्ध हों उनका हम समुचित रूप से उपयोग करें और हम उन सब साधनों का विकास करें जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को उन्नत करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो रायें नहीं हैं कि प्रदेश और देश में अन्न उत्पादन के अलावा मार्गों के विकास की भी आवश्यकता है। तीसरी योजना के लिये प्रत्येक जिले में कई स्तरों पर विकास खंड स्तर पर, जिला परिषद् स्तर पर, कमेटियां हुईं। जिला परिषदों ने मांग की कि कम से कम इस समय जिलों के प्रत्येक भाग में आवागमन और मुक्त यातायात की सुविधायें देने के लिये इन-इन जगहों पर सड़कों की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी हुई शुरू में यह देख कर कि मुरादाबाद जिले की ७२ मील सड़क बनाने का अगली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था, उसे हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन आखिर में परिणाम यह हुआ कि मेरे जिले में वह सड़क आगामी आने वाले ५ वर्षों में केवल ९ मील बनाई जायगी। तो यह स्थिति है हमारे मार्गों के विकास की।

इसके साथ ही साथ जहां तक उद्योगों का सवाल है उद्योगों का कुछ जिलों पर केन्द्रीयकरण हो रहा है और शेष प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से अर्द्ध विकसित और पिछड़ा हुआ रह गया है। १८ लाख मुरादाबाद जिले की जनसंख्या है लेकिन सरकार की ओर से कोई भी उद्योग वहां नहीं खोला जा रहा है।

जहां तक जन सुविधाओं के विस्तार की बात है उसमें भी विषम वितरण तथा विभाजन हुआ है। मुरादाबाद जिला नैनीताल से दिल्ली को मिलाता है। नैनीताल और अल्मोड़े के उत्तरी भाग का बड़ा महत्व हो गया है लेकिन नैनीताल से आने वाले तथा दिल्ली से जाने वाले जो सार्वजनिक सामग्री पहुंचाते हैं उसके लिये बीच में बड़ी बाधा है। मुरादाबाद में रामगंगा

[श्री रामकुमार वैद्य]

पर कोई पुल नहीं है और रेल के पुल पर ही निर्भर करना पड़ता है। १० वर्ष से योजनान्तर्गत हम विकास के साधन बना रहे हैं और तीसरी योजना के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम उपेक्षा करते हैं। इससे समय तथा शक्ति का दुरुपयोग होता है और नियोजित व्यवस्था नगरों तथा गांवों में विकसित नहीं हो पाती।

एक और भी कारण है जिससे हम अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे जो सरकार के विभाग हैं उनमें एक नये विभाग ने जन्म लिया है। वह है नियोजन विभाग। मैं समझता हूं कि नियोजन का अर्थ यह है कि सरकार के उत्तरदायी प्रतिनिधि, मंत्रिमंडल या उनके ऊपर योजना आयोग यह देखें कि हमारे विभाग किस तरह से कार्य करें जिससे हम निश्चित सामग्री, निश्चित साधनों से निश्चित समय के अन्दर निश्चित विकास कर सकें। लेकिन उसके ऊपर एक और विभाग ने जन्म ले लिया और नियोजन हमारे देश में किस अर्थ में हुआ है, इस अर्थ में कि नियोजन विभाग एक नियोजन मंत्री के अन्तर्गत स्थापित हो गया है। इसी को कदाचित् वह नियोजन समझते हैं। इससे कितनी बड़ी भ्रान्ति होती है और कितनी हास्यजनक बातें यह हैं कि गांव गांव में आप जाइये, लोग समझ नहीं पाते कि योजना क्या है? इसके पीछे एक ही भावना और एक ही प्रचार कार्य कर रहा है कि योजना भी एक विभाग है लेकिन यह कि विशेष प्रकार की योजना का सम्बन्ध देश और प्रदेश की उन्नति से है, उसके भावी जीवन और भावी ढांचे के निर्माण से है, यह अर्थ हमारी जनता की समझ में नहीं आता। परस्पर विभागों के कार्यान्वयन में कोई समन्वय नहीं है और न एक विभाग, जिसका सम्बन्ध दूसरे विभाग से है, एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन ही करता है। इस तरह अपार धनराशि खर्च कर के, और करों का भार वहन करके प्रान्त की जनता वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रही है जिस लक्ष्य को हमने योजनान्तर्गत निर्धारित किया है।

इस प्रकार हमारी सरकार की जो दैनिक कार्य प्रणाली है, इतना व्यय होगा, इतना तनख्वाहों पर व्यय होगा, इतना व्यय इस प्रकार होगा और इतना व्यय इस प्रकार होगा उसे हमें नियंत्रित करना होगा। यदि योजनाओं से देश को चलाना है, पिछड़ी जनता में आत्म सम्मान और आत्म रक्षा की भावना पैदा करनी है, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कराना है और योजना आयोग जैसा कहता है कि हमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से निश्चित समय के अन्दर देश व प्रदेश की आय बढ़ाना है तो सरकार को निश्चय कर लेना चाहिये कि एक नियंत्रित, सुनियोजित तथा सुनिश्चित ढंग से व्यय करने से वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेगी। मैं आशा करता हूं कि अगर इस प्रकार किया जायगा तो जन सहयोग की जो बात कही जाती है वह भी अवश्य मिलेगा। जनता का सहयोग तो मिलता है लेकिन आप की नीति तानाशाही है। आप विवेक और विचार से काम नहीं लेते और जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते तो जन उत्साह के अभाव में ही यह योजना निश्चित रूप से विफल हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार सावधान होगी और अपनी नीतियों का कार्यान्वयन भली प्रकार करने की ओर आवश्यक कदम उठायेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। गत तीन दिनों से मैंने इस बजट पर लोगों के विचार सुने भी हैं। मैं इस बजट में बहुत कुछ अच्छा तो नहीं पाता, सब इसमें अच्छा है, ऐसा तो मेरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा है। उन्हीं विषयों पर, और जितना अच्छा नहीं है, उन विषयों पर मैं अपने विचार, श्रीमन्, आप की आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह बजट मेरी मिसाल के अन्तर्गत आता है कि जिस प्रकार सबेरे सूर्योदय होता है, प्रकाश की किरणें आसमान में फैलती हैं, अन्धेरे का नाश होता है, मैं समझता हूं कि यह बजट बिलकुल इसी मिसाल के अन्दर घटित होता है। जो लोग भी इस बजट में बहुत ज्यादा निराशा पाते हैं क्या वे यह भूल जाते हैं कि गत वर्ष में जिस प्रकार नौकरशाही ने हमारे ऊपर राज्य किया

आज भी तो वही लोग इस बजट के बनाने वाले हैं । इस लिये यह बजट बिलकुल अच्छा होगा या इसमें कोई कमियां होंगी ही नहीं, ऐसा यदि विचार किन्हीं ने किया है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने आशा के विपरीत एक आशा लगा रखी थी और वह आशा इतनी जल्दी फैलेगी, फूलेगी, ऐसा उन लोगों को नहीं सोचना चाहिये। जो कुछ भी समय मिला उस समय में इस बजट के अन्तर्गत फिर भी एक नयी झलक हम को दिखायी देती है, जैसे प्राइमरी अध्यापकों के वेतन को चाहे थोड़ा ही बढ़ाया गया लेकिन उस तरफ़ एक कदम उठाया तो गया, भावना तो वह आयी कि हमें नीचे से तरक्की करनी है। इसी तरह से मेडिकल सर्विसेज़ का मामला है। देहातों में अक्सर यह शिकायत रही है कि डाक्टर वहां नहीं जाते। उनकी तनख्वाहों में आकर्षण पैदा किया गया। एक भाई ने कहा कि अगर उन को कुछ और भत्ते का लालच दिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लालच देने की लाइन पर चलने की कोशिश सरकार न करे। उसने तनख्वाहों में जो कुछ भी तरक्की की है उसके ऊपर मेडिकल आफ़िसर्स को इस बात के लिये यह विवश करें कि वे देहातों में जा कर जनता की सेवा करें। इसी तरह से इस बजट में पुलिस के उन बहादुर सिपाहियों के लिये भी जो डाकुओं से मुठभेड़ के समय वीर गति को प्राप्त होते हैं कुछ ज्यादा पारितोषिक देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भी एक अच्छी बात है। इसी तरह से मैं इस बजट के अन्तर्गत यह भी पाता हूं, जिसे मैं कह सकता हूं कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, कि नियोजन को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारी होंगे उनका श्रमालनामा भरा जायगा, उनकी कार्यप्रगति पर।

इसी तरह से मितव्ययिता का भी इसमें जिक्र है । ५२ लाख रुपये की धनराशि कोई बड़ी भारी धनराशि नहीं है। जहां अरबों का बजट हो वहां इतनी बचत समुद्र में एक बूंद के बराबर है लेकिन फिर भी यह वह भावना है जिसके अन्तर्गत नया मंत्रिमंडल चलने का प्रयास कर रहा है। एक भावना इसी सदन में यह भी थी कि हमारी तनख्वाहें बढ़ जायं, हमारे भत्ते बढ़ें, हमको पासेज मिलें, उस भावना को यदि नष्ट करके हमने मितव्ययिता की तरफ़ पहल की है तो यह एक सराहनीय कदम है। हां, एक बात और है कि तीन करोड़ कितने लाख रुपये का घाटा है इस बजट में लेकिन वित्त मंत्री ने नये करों का केवल संकेत मात्र किया है लगाने की बात नहीं की है। चाहे तो मैं यों कहूं कि आने वाले चुनाव की छाया है इसलिये वित्त मंत्री जी चुप हैं या यों कहिये कि पुराना तर्जुबा उनका रहा है और उस तर्जुबे के आधार पर वे स्वयं महसूस कर रहे हैं कि यह डेफीसिट बजट सरप्लस में बदल जायगा। इसलिये नये करों की बात कह कर वातारण क्यों खराब किया जाय।

हां, नहर के सिंचाई के रेट में जो छूट दी गई थी उसकी चर्चा बहुत हुई है और मैं भी महसूस करता हूं कि यदि नहर की सिंचाई में छट वापस न ली गई होती तो बहुत अच्छा था। लेकिन मैं यह कदापि कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसके वापस लेने से प्रलय हो जायगी। ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मैंने पहले भी यह बात कही थी कि नहर के सिंचाई के रेट को बढ़ा दिया जाय, जब सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आन्दोलन किया गया था, लेकिन नहर से पानी समय पर मिलने की व्यवस्था कर दी जाय तो किसान आने, दो आने की परवाह नहीं करता है। लेकिन वास्तव में कठिनाई यह है कि जितना पानी उपलब्ध है वह समय पर नहीं मिल पाता है। इस तरफ़ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि वह इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकें तो नहर की बढ़ी हुई सिंचाई किसानों को तकलीफदेह नहीं होगी।

श्रीमन्, हमारे एक दोस्त ने कहा था कि प्रजातंत्र को खतरा है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उस तरफ के भाई माननीय पालीवाल जी ने भी इसका जिक्र किया और इस तरफ के भी एक साथी ने उसको बयान किया। अपनी पार्टी में मैंने इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये थे और सदन में भी उनको रखना चाहता हूं। यह हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को, जब तक कुर्सी प्राप्त रहती है तब तक तो प्रजातंत्र खतरे में दिखाई नहीं देता है लेकिन जब कुर्सी छिन जाती है तो उसका आभास होने लगता है । लेकिन, श्रीमन्, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातंत्र को न तब खतरा था और न आज है और प्रजातंत्र हमेशा

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

जीवित रहेगा। यदि इसको बचाना है तो हमें और आप को इस सदन में मिल कर कुछ परम्परायें बनानी पड़ेंगी और हम और आप जब अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रजातंत्र को सोचने लगते हैं तब खतरे में पड़ता है।

श्रीमन्, मैं माननीय पालीवाल जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इस सरकार के वित्त मंत्री रहे ह और जब थे तो उन्होंने कौन सा क्रान्तिकारी काम किया था और जिन बातों की आज वह आलोचना करते हैं क्या वही बातें उन्होंने बजट में पेश नहीं की थीं ? और यदि की थीं तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हम और आप सब एक जगह बैठकर सोचें कि यदि कुर्सी पर जाने के बाद सोचने का ढंग और काम करने का ढंग इतना बदल जाता है कि जिसके हटते ही आभास होने लगता है कि हम आसमान से गिर कर जमीन पर आ गये तो इसको विचार करें और इसको दुरुस्त करने का कोई उपाय निकालें। यदि प्रजातंत्र के माने अपनी कुर्सी तक ही सीमित हैं और रखे जायंगे तो, श्रीमन्, प्रजातंत्र बचने वाला नहीं है। मैं भी इस खयाल का हूं कि आज वाकई में ब्यूरोक्रेसी छाती चली जा रही है। क्या इसका कारण केवल भ्रष्टाचार है या सरकारी अफसरों को गाली देने से यह चीज मिट सकती है ? आज में जब इन बातों को सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने अपने विचार इतनी जल्दी पलट कैसे लिये ? यह विचार पहले भी जाहिर किये जा सकते थे और, श्रीमन्, जाहिर किये गये हैं। अगर उस समय की स्पीचेज को देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि आज जिन विचारों से ओत-प्रोत हो कर विचार प्रकट किये जा रहे हैं तो इससे पहले तो इससे भी अधिक विषमता थी तब उनको प्रकट क्यों नहीं किया गया ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट और पतित हैं तो हम में से अधिकांश भ्रष्ट और पतित हैं। जब तक हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते तब तक हम सरकारी कर्मचारियों पर अपना असर नहीं डाल सकते हैं। क्या हममें से लोग इस तरह के नहीं हैं कि जब सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस के बंगले पर विधान सभा के सदस्यों की मीटिंग होती है तो अगर एक सदस्य किसी थानेदार की शिकायत करता है तो दूसरा सदस्य उसी दारोगा की तारीफ़ करने लगता है। क्या इस तरह से हम भ्रष्टाचार को मिटाने वाले हैं, क्या इस तरह से प्रजातंत्र को जिन्दा रख सकते हैं ? इस पर शान्तिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। न हम बिलकुल देश-भक्ति के ठेकेदार हैं, न सरकारी कर्मचारी ही बिलकुल बेईमान हैं। प्रजातंत्र के बढ़ते हुए भार को बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने अच्छी तरह से उठाने की हिम्मत दिखलायी है। यह बात भी सही है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी उस प्रजातन्त्र की परिपाटी को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उस तरफ विचार करना ही चाहिये।

कल भाई गंगा प्रसाद जी ने मेरे नाम की चर्चा की में। बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस विषय को भाई गंगा प्रसाद जी ने रखा, मैं डेढ़ साल पहले उन सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस से अपने जिले में जरायम स्थित के कारण लड़ाई लड़ता रहा, मैंने सवाल पर सवाल किये। मैं अपनी जगह पर इतना लड़ रहा था कि एक समय ऐसा भी आ गया था शायद मेरा कत्ल निश्चित था। लेकिन समय ने पलटा खाया। क्या मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस को हमारे जिले से हटा कर एक बड़ा जिला दे दिया गया ? मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है कि मेरे नाम को भाई गंगा प्रसाद जी ने घसीटा ? उन्हें होम मिनिस्टर से जा कर मिलना चाहिये था। हां, मैं उनको आगाह जरूर किये देता हूं। जिस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से उनका पाला पड़ा है वह कम होशियार नहीं है। इसलिए उन्हें बहुत होशियारी से चलना चाहिए।

एक भाई ने कल एक इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कोई प्रेसीडेंट रहे हैं, इसलिये वहां पर सड़क बनी, हमारे यहां नहीं बनी। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि हमारी अन्तरिम जिला परिषद् ने प्राथमिकता दी तीसरी पंच वर्षीय योजना में महमूदाबाद से तम्बौर की सड़क को और मैं यह प्रश्न १९५२ से रख रहा हूं लेकिन जब मैं बजट में देखता हूं तो उसका नामोनिशान तक नहीं है। तो किस तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस वालों के यहां सड़कें

बनती हैं ? अगर कांग्रेस वालों के यहां बनती हैं तो गैर कांग्रेस वालों के यहां भी बनती होंगी। मेरी एक जरूर शिकायत है। उस पर माननीय मंत्री जो ध्यान दें। वह गांजर का इलाका है। अगर वहां एक सड़क का निर्माण हो जाय, जिसके लिए मैं १९५२ से प्रयत्नशील हूं, तो यातायात की सुविधा हो जायगी और वह गांजर का क्षेत्र लहलहा जायगा।

बिजली के लिये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। मेरे पास विपिन बिहारी जी का २७ फरवरी, १९६१ का पत्र आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सिधौली में बिजली इसलिये नहीं लगायी जा सकती कि वहां पर आबादी बहुत कम है। बिजली लगायी जाय या न लगायी जाय लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि १९५६ में ८ मार्च को विद्युत् मंत्री ने एक आश्वासन दिया था कि वहां बिजली लगेगी। सम्भव है कि उन्होंने बिना समझे बूझे वह आश्वासन दे दिया हो, यह मैं कैसे कह सकता हूं ? उस आश्वासन को इस बिना पर न कार्यान्वित करना कि वहां पर आबादी अधिक नहीं है, ठीक नहीं है। आबादी अधिक हो या न हो लेकिन देखना यह है कि बिजली के ग्राहक कितने हैं। वहां इंडस्ट्री कायम हो सकती है। वहां रेलवे स्टेशन हैं, व्यापारिक मंडी है। अगर बिजली लगाने पर जितना व्यय हो उससे अधिक पैदा हो जाय तो वहां बिजली लगानी चाहिए।

मैं नशाबन्दी की भी बात कहना चाहता हूं। मुझे यह बड़ा ताज्जुब है कि उसी अफसर से, सरकार की नीति है, मद्य-निषेध कराती है और उसी अफसर से यह कहती है कि ठेकों के नीलाम में कमी न पड़े। अगर सरकार रुपयों का मोह नहीं छोड़ सकती है तो सरकार को इस नीति को वापस ले लेना चाहिए। सिधौली में, बस्ती के भीतर, सड़क पर शराब की दूकान है। वर्षों से वहां दंगे होते हैं। मैंने आबकारी मिनिस्टर साहब की सेवा में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। आबकारी मिनिस्टर ने जांच के लिये भेज दिया। वहां जांच गई या नहीं गई, लेकिन उसकी नीलामी हो गई। अब वहां जो इंसपेक्टर है आबकारी का वह मेरे पास आकर कहता है कि मेरी बदनामी हो जायगी। वह मेरे गले पड़ गया। मैंने आखिर उससे कहा कि जाओ जो तुम्हारे मन में आये करो। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पाप की कमाई बड़ी सस्ती हो तो क्या पाप की गठरी सिर पर लाद ली जायगी ? इसलिये इस तरह से इस प्रश्न पर विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक भाई ने कहा कि प्रतिक्रियावादी तत्व कांग्रेस में हैं और यह कांग्रेस प्रतिक्रियावादिता से प्रगतिशीलता की तरफ नहीं चल सकती। श्रीमन्, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि प्रतिक्रियावादी तत्व कांग्रेस में हैं, कैबिनेट में हैं और सक्रिय हैं, यह भी मैं कहना चाहता हूं। और किस तरह से सक्रिय हैं इसकी मिसाल भी मुझसे मांगी जायगी तो वह मिसाल भी मैं सामने प्रस्तुत करूंगा। यहां पर बैठकर कांग्रेस की पोजीशन का लोग फायदा उठाते हैं और यहां से उन नीतियों का संचालन करते हैं और उन व्यक्तियों को फायदा पहुंचाते हैं जो कांग्रेस की नीतियों के घोर दुश्मन हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के ऊपर से कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। बजट वास्तव में घाटे का बनाया गया है और वह घाटा साढ़े आठ करोड़ का दिखाया गया है। उस घाटे की पूर्ति के लिये कुछ तो पहले ही अधिनियम बनाकर और और कुछ सिंचाई की छूट को काटकर और कुछ बचत की योजनाएं चलाकर उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। मैं जहां तक समझता हूं अच्छा ही प्रयास है, लेकिन इसमें कहां तक सफलता मिलेगी यह एक विचारणीय विषय है। जहां तक बचत की योजनाओं का सवाल है शुरू शुरू में जब यह मंत्रिमंडल आया बड़े धूमधाम के साथ यह बातें कही गईं कैबिनेट मीटिंग में और बाहर के भाषणों में यह बार बार सुनाई दिया और आशा हो चली थी कि सचमुच कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जायगा

[श्री पब्बरराम]

जिससे कि बचत होगी। जो प्रयास किया गया है ५२ लाख रुपये की बचत करने का वह प्रयास अच्छा है, उसको मैं दाद देता हूं। लेकिन सही मानों में जो जनता की आशा और आकांक्षा है, जिस रूप में बचत वह चाहती है उस तरफ प्रयास नहीं हुआ। क्या हम इस चीज की तरफ अपना ध्यान नहीं दे सकते कि कुछ अनावश्यक रूप से पद रखे गये, विभाग बढ़ाये गये हैं। विभागों की संख्या अब इतनी अधिक हो गई है उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत से लोगों को तो अपने जिलों में सब विभागों के नाम भी याद नहीं हो पाते हैं और उनका काम घूम फिरकर के देखा जाय तो एक ही किस्म का दिखलाई देता है। उन अनावश्यक विभागों को खत्म किया जाय और ऐसे कामों की तरफ ध्यान दिया जाय जिससे कि अधिक से अधिक जनता को फायदा पहुंच सके। क्या यह संभव नहीं है कि बहुत से विभागों को तोड़कर, खत्म करके उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे जो कि जिले के अन्दर पड़े हुये हैं कुछ ऐसे कार्य दे दिये जायं जिससे कि जनता को अधिक से अधिक फायदा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सेक्रेटेरियट में भी कुछ स्टाफ इस तरह से बढ़ा हुआ है कि जिसको सुनकर और देखकर हैरत होती है। जहां तक इस प्रदेश के सेक्रेटेरियट का ताल्लुक है उसमें सेक्रटरी के ९ स्थान हैं। मैं समझता हूं इस प्रदेश को छोड़कर शायद हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रदेश में इस किस्म के सेक्रेटरी के विभाग नहीं होंगे। जहां तक सेक्रेटरी का पद है उसके साथ स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एडीशनल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अन्डर सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है। इसी तरीके से मुझे तो पूरे नाम याद नहीं लेकिन जहां तक सुनने में आया है ९ इस तरीके से सेक्रेटरी के स्थान हैं। इनका काम क्या है बस यही कि एक जगह से लाल फीता दूसरी जगह पहुंचा देना। एक ही रिपोर्ट को घूम घुमाकर सब के पास पहुंचाकर फिर किसी एक स्थान तक पहुंचा देना। इसके सिवाय इनकी और कोई विशेष उपयोगिता नहीं है।

इसी तरीके से कमिश्नर का पद है। जब जिला मजिस्ट्रेट है और यहां से कोई भी फरमान जाता है कि वह सीधे जिला मजिस्ट्रेट के पास जाय तो क्या नुक्सान है? उसी तरीके से कम्पलेंट आफिसर का जिलों में पद है। अगर सीधे सीधे पुलिस सुपरिंटेंडेंट काम नहीं कर सकता तो मैं समझता हूं कि कम्पलेंट आफिसर कोई काम नहीं कर सकता।

उसी तरीके से इस तरह के काम हैं जैसे मोटर गाड़ियां बहुत सी जिलों के अन्दर दी गई हैं। ८,१०,१२ किस्म के बड़े बड़े मुहकमें बना दिये गये हैं जो कि इतने छोटे हैं लेकिन फिर भी जीप उनको दी गई है और जीप पर वह भ्रमण करते हैं। उनके लड़के स्कूल जाते हैं। सब्जी खरीदी जाती है। उनके दोस्त मोटर में गश्त करते हैं। पैट्रोल का खर्चा पड़ता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिलों के अन्दर एक सेंटर बना दिया जाय और उस सेंटर पर ४,६,८ जीपें रखी जायं और जिस डिपार्टमेंट के अफसर को जरूरत हो वह वहां से लिखकर मंगा ले और तब सफर करे? इसत रह से कुछ कदम उठाया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उससे सही माने में बचत हो सकती है और साथ ही हमारी जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को सान्त्वना मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं विकास की योजनाओं पर आता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना बीत गई और दूसरी योजना भी समाप्त होने को है और तीसरी योजना की ओर हम कदम उठाने जा रहे हैं। दो योजनाओं का तजुर्बा है कि जनता को कोई भी उत्साह इन योजनाओं से नहीं प्राप्त हुआ। जनता के अन्दर इन योजनाओं के प्रति जैसी निष्ठा होनी चाहिये, जैसी इन योजनाओं को पूरा करने के लिये एक भावना होनी चाहिये उस तरह की भावना पैदा नहीं हुई है। जब इस बात की तरफ ध्यान खींचा गया इस हाउस के अन्दर और बाहर भी यह सवाल जब उठा और सरकार का ध्यान भी गया तो मूल में इस बात को पाया गया कि वे योजनायें जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर, उन कर्मचारियों के द्वारा बनती हैं, जो इंग्लैन्ड और अमेरिका या विदेश से पढ़कर आते हैं और लखनऊ से नीचे उतरने की कोशिश नहीं करते और दिल्ली से नीचे उतरने की कोशिश नहीं करते, उन योजनाओं को लेकर सही उत्साह जनता में पैदा नहीं

हो सकता। उन क्षेत्रों में जाया जाय, वहां लोगों को इकट्ठा किया जाय, समझाया जाय, उन योजनाओं के विषय में जनता से पूछा जाय कि कौन-सा कार्य वह करना चाहते हैं जिससे उनकी खेती की तरक्की हो सके, कौन से ऐसे कार्य जरूरी हैं जिनसे यातायात के साधन उपलब्ध हो सकें, कौन-सी वे योजनायें हैं जिनसे पूरा-पूरा लाभ हो सके. यदि इस प्रकार से किया जाय तो वह योजनायें कामयाब हो सकती हैं। पिछले साल सरकार का ध्यान गया था और जिला अन्तरिम परिषद् या कमिश्नर के आर्डर द्वारा विधायकों को बुलाकर उनसे योजना के बारे में पूछा गया था लेकिन उनके सुझाव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जिला अन्तरिम परिषद् या कमिश्नर के यहां जो सुझाव आये उन सुझावों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी हालत में यदि यह उम्मीद की जाय कि इन योजनाओं के प्रति जनता में एक नैतिक भावना उठेगी और वह इन योजनाओं को पूरा करने की तरफ बढ़ेगी ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती है।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में चन्द बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन् के द्वारा मैं अपने वित्त मंत्री और पूरे हाउस का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। पूर्वी अंचल में गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के कुछ इलाके ऐसे पिछड़े हुये हैं कि जिनमें दो पंचवर्षीय योजनायें बीत जाने के बाद भी कोई जीवन नहीं आया है। न तो कोई बड़े उद्योग-धंधे वहां स्थापित हुये हैं और न यातायात के साधनों का विकास ही वहां हो पाया है। जब कभी भी यह सवाल उठाया गया कि बड़े उद्योगों का वहां विकास किया जाय तो बतलाया गया कि वहां साधन उपलब्ध नहीं हैं। यातायात के साधनों के अभाव में वह उद्योग के कार्य ठप कर दिये गये और वे कारखाने ऐसे स्थानों में ले जाये गये जहां यातायात के साधन पहले से उपलब्ध हैं। तो श्रीमन् के द्वारा मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे जिले इसी प्रकार से उपेक्षित रहेंगे? क्या यह अंचल इसी प्रकार से पड़ा रहेगा या उनकी तरफ भी ध्यान जायगा? माना कि आज उत्तराखंड की समस्या इस किस्म की है कि उधर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और वहां निर्माण-कार्य हो रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों में हूं कि जो चाहते हैं कि बार्डर का इश्यू जिस तरह से उलझा हुआ है उस उलझन को देखते हुये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जितना भी अधिक से अधिक हो सके, उधर ध्यान दिया जाय, यह अच्छा ही है, लेकिन इसके नाम पर इस अंचल को उपेक्षित किया जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मैं अपने जिले को लेता हूं। गाजीपुर जिले की १२ लाख की आबादी है। इसके सदर मुकाम गाजीपुर शहर को देखा जाय तो वह खंडहरों का ढेर है। (लाल बत्ती होने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे दो, तीन मिनट और दे दिये जायं। जिस सवाल पर उस पूर्वी अंचल का विकास निर्भर करता है वह वहां पर गंगा नदी पर रेल-कम-रोड पुल का है। इसकी आवश्यकता इतनी अधिक है कि जिस की ओर बराबर ध्यान खींचा गया है और कमिश्नरी सम्मेलन में भी यह चीज सामने आयी। दोहरी घाट पर जो रेल-कम-रोड पुल बनाया जा रहा है वह तो बनाया जाय लेकिन उस के साथ ही गाजीपुर में भी एक ऐसा ही पुल बनाया जाना चाहिये और वहां से गाजीपुर होते हुये लाइन गोरखपुर तक ले जायी जाय देवरिया होते हुये। इस लाइन के इस प्रकार बन जाने से विकास के काम में बड़ी आसानी होगी, पूर्व और दक्षिण से आने वाले पदार्थ---मसलन लोहा, सीमेंट, कोयला, पेट्रोल आदि जो लोड और अनलोड के नाम पर दो-दो, तीन-तीन महीने तक मडुआडीह में पड़े रहते हैं वह सीधे-सीधे गोरखपुर तक पहुंच सकते हैं और इन बातों को लेकर जो अनावश्यक रूप से समय और पैसा बरबाद होता है वह बच सकता है। आप को सुन कर हैरत होगी कि हमारे यहां ईंट का भाव ४० रुपये हजार का है और उसमें भी हमको ईंट प्राप्त नहीं होती है। ऐसी सूरत में यदि यह पुल बन जाता है तो उस पूरे इलाके को हम विकसित कर सकते हैं।

दूसरा सवाल पुलों का है। घाघरा पर दोहरीघाट में पुल बन रहा है। इसी तरीके से गांगी नदी पर, परमेट और बहादुरगंज में भैंसही नदी पर और बरहपुर में गांगी पुल बनना चाहिये। इसी तरह से गाजीपुर-बलिया रोड पर भी पुल नहीं है जिसके कारण वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं। सड़कों में गाजीपुर से शादियाबाद और धम्मरपुर से सैदपुर अवश्य बननी चाहिये।

[श्री पब्बरराम]

अस्पतालों के बारे में भी आप देखें कि वहां पर १०-१० और १२-१२ मील तक कोई अस्पताल नहीं है। बहादुरगंज और करेंडा में कोई अस्पताल नहीं है। वहां का इलाका चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। अस्पतालों की वहां पर उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया। मैंने इस हाउस में अपने सभी साथियों की तकरीरों को सुना, इस पक्ष के सदस्यों की तथा उस पक्ष के सदस्यों की, और सभी ने यही कहा कि यह बजट समाजवादी बजट नहीं है। यह बजट किसानों का बजट नहीं है। उन्होंने इसकी वजह क्या बतलाई? वजह उन्होंने यह बतलाई कि प्रदेश में अन्न की कमी है, बेरोजगारी बढ़ गयी है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिये उन्होंने इसको समाजवादी बजट नहीं बताया। यहां जितनी भी पार्टियां हैं वे सभी अपने को समाजवादी होने का दावा करती हैं। कांग्रेसी कहते हैं हम समाजवादी, जनसंघी कहते हैं हम समाजवादी, स्वतंत्र पार्टी के लोग कहते हैं हम समाजवादी, जो उधर कोने में बैठे हुये हैं, वे भी समाजवादी कहते हैं, यह सभी समाजवादी हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर समाजवाद है क्या चीज? इन लोगों का तो समाजवाद जहां तक मैं समझ पाया हूं, यही है कि किसी भी तरह से कांग्रेसियों की आलोचना करो, इस सरकार की निन्दा करो। यह विरोधी लोग जो अच्छा काम होता है उसकी भी आलोचना करते हैं और जो बुरा काम होता है उसकी तो खैर करनी ही चाहिये। लेकिन कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से पेश नहीं किया गया।

आप देखेंगे कि समाजवादी एक तो वह है कि जिसे रूस वालों ने कायम किया और उसके ऊपर उन्होंने डिक्टेटरशिप कायम की और दुनिया को यह बताया कि यह है समाजवाद। इस तरह से उन्होंने उनके हुक्कों को गासिब कर दिया। अब यह जो कम्युनिस्ट हैं और जो कम्युनिज्म का प्रचार करते हैं यह भी अपने को समाजवादी कहकर यह दावा करते हैं कि हमारा ही राज्य होना चाहिये। स्वतंत्र पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो वह बजट पेश किया है जैसे कि रूस वाले पेश किया करते हैं। और खुद नहीं जानते कि यह जो स्वतंत्र पार्टी बनी है इसकी बुनियाद क्या है। जितने पूंजीवादी इस देश के हैं सब उसके पीछे हैं। इन्होंने पूंजीवाद का एक प्लेटफार्म तैयार किया लेकिन इनका भी नारा यही है कि हम गरीब आदमियों के लिये और आम जनता के लिये हैं और जब हमारी हुकूमत होगी तो आपको इससे फायदा होगा। प्रजा सोशलिस्ट वाले जो हैं उनके लिये मैं कुछ नहीं कहता। यह जरूर कहता हूं कि इनकी नीति वही है जो कांग्रेस की है। हां कुछ एतराज उस पार्टी के ऊपर जरूर है जो कि निरे सोशलिस्ट हैं। आज उनके नेता ने कुछ अच्छी बातें भी कहीं लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपके समाजवाद का मयार क्या है, वह नहीं बतलाया।

हमारे समाजवाद का मेयार यह है कि हम इंसान की हयात के लिये और उसकी गुर्बत को दूर करने के लिये ऐसा मौका दें कि वह अपने रहायश, खाने-पीने और पहनने और तालीम में तरक्की कर के एक अच्छा मयार कायम रख सके। इस हिसाब से यह बजट समाजवादी है, इसको आप पढ़िये तो। कहते हैं कि कुछ नहीं बना। पहली योजना हो चुकी, कुछ नहीं हुआ, दूसरी योजना में भी कुछ नहीं हुआ और तीसरी होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा खयाल कीजिये कि जब अंग्रेज इस मुल्क से गये तब हमारे पास क्या छोड़ गये? अगर मैं गुजिश्ता हालात की तरफ ध्यान दिलाऊं तो मुझे कहना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार ही थी जो इन हालात की तहत में काम करके देश को जिन्दा रख सकी। आपको याद है कि बटवारे में किस तरह से पाकिस्तान बना और क्या-क्या हालात हुये। इस देश में लाखों नहीं बल्कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज आये। राजे-महाराजे और जमींदार हमारे सामने थे, उनको हमने खत्म किया। राजे महाराजों की हमने सल्तनत खत्म की और समाजवादी राज्य कायम किया। आज राजे-महाराजे कहां हैं, यह आज यहां बैठे हुये हैं और कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, जनता के फायदे की बात करते हैं। वह जख्म खाये हुये हैं, इसलिये ऐसी बात करते हैं। हमने उनको सबक दिया कि इंसान की इंसानियत क्या होती है। हमने समाजवादी व्यवस्था कायम करके देश के स्तर को ऊंचा किया। जो किसान वर्षों से गुलामी में खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं वह आज मालिक हैं। मैंने बाज राजाओं को देखा है जोकि पहले सल्तनत और ऐयाशी करते थे, आज हल जोतते हैं और खेती-बाड़ी करते हैं। हमने उनको किसान बनाया है या नहीं। कांग्रेस सरकार ने उनको किसान बनाया। यह समाजवादी मयार हुआ या नही ?

कहा जाता है कि अनाज की पैदावार कम हो गई। इस योजना में हमने जितना कहा उतना अनाज बढ़ा लेकिन इन्सान की पैदावार भी बढ़ी। डेढ़-डेढ़ साल में दो-दो बच्चे हुये। इस पैदावार को कौन रोक सकता है ? कुदरत में रुकावट नहीं होती। अगर हम फसल उगाते हैं तो तूफान और बारिश आ जाती है वह सारी फसल को ले जाती है। यह हमारी कांग्रेस सरकार का कसूर नहीं है लेकिन वे लोग कहते हैं कि कांग्रेसी सरकार का कसूर है। किसी देश की इक्तसादी हालत उसकी खेतीबारी, उसकी इन्डस्ट्री पर मबनी है। क्या हमने इन्डस्ट्रीज को बढ़ाया नहीं है ? क्या कारखानों में काम नहीं हो रहा है ? मैं ही नहीं दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे देश में खेती-बारी और इन्डस्ट्रीज में तरक्की हुई है और एशिया के जितने मुल्क आजाद हुये हैं उनमें हिन्दोस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। यह ठीक है कि जितना हमारा मकसद था उतना हम नहीं कर पाये। लेकिन जरा अपने सीने पर भी तो हाथ रख कर देखिये कि आप देश की तरक्की के लिये कितने ईमानदार रहे हैं। अगर सब लोग ईमानदारी से चले होते तो आज यह देश यूरोप के देशों से कदम ब कदम चलता होता। हमने माना कि सरकार में खामियां हैं और उन खामियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको देखिये कि इनकी जिन्दगी का भी कोई मयार है या नहीं। काम करेंगे नहीं और जनता को उभारेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस सरकार निकम्मी है, जरा आंखें खोलो।

मैं भाई राजनारायण से कहूंगा कि वे बहुत अच्छे हैं, सुशील हैं, काम करने वाले आदमी हैं लेकिन जरा अंधेरे में पड़े हुये हैं। उनको अंधेरा हटा देना चाहिये फिर वे देखें। आप यहां इसलिये हैं कि देश की, प्रदेश की तरक्की के काम करें। लोगों की जिन्दगी के मयार को ऊंचा करने के लिये हम यहां हैं। अगर हमने अपने कैरेक्टर को ऊंचा नहीं किया तो कोई सही बात नहीं की, उससे देश की भलाई नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस सरकार कुछ गलत काम करती है तो उसकी खामी को बताइये लेकिन साथ ही साथ कान्स्ट्रक्टिव चीज कीजिये। लेकिन आजकल मालूम पड़ता है कि सोशलिस्टों के पास कोई काम रह नहीं गया है सिवाय इसके कि अंग्रेजी के साइन बोर्डों को देखा और पोतने लगे।

मैं राज नारायण जी की इस बात से मुत्तफिक हूं कि हरिजनों को और अक्लियतों को मुलाजिमत में कुछ नहीं मिला। हम लोग सफरर हैं, लेकिन हम उफ नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि जब दूसरा बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। लेकिन उनकी अदा ही कुछ और है :—

इस सादगी पै कौन न मर जाय ऐ खुदा,
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं !
न तलवार उठेगी न उठेगा खंजर,
ये बाजू मेरे आजमाये हुये हैं !

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में प्रस्तुत हो रहा है। माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हुये बजट पर, उसके संबंध में उनके विचार सुनने का अवसर मुझे मिला। प्रदेश की कोटि-कोटि जनता को इस बात की आशा थी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले बजट में माननीय वित्तमंत्री जी इस बात का संकेत अवश्य प्रस्तुत करेंगे जिससे वह इस बात की आशा करे कि वह सुखी और सम्पन्न होगी। लेकिन मुझे दुख है कि वे ऐसा नहीं कर सके और प्रदेश की जनता को आशा के बजाय निराशा की भावना मिली।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट को प्रस्तुत करते हुये और उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुये आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को यह सलाह दी थी कि वे बजट का ब्योरा निस्पक्ष भाव से अध्ययन करें। मैं उनसे यह शिकायत करता हूं कि उन्होंने जो बजट का ब्योरा प्रस्तुत किया, उस ब्योरे को तैयार करने में उन्होंने प्रदेश की और प्रदेश की कोटि-कोटि जनता की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष भाव से अध्ययन नहीं किया, और इसलिये मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने यह बतलाया है कि इस प्रदेश की उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है वहां मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की उन्नति नहीं हुई है।

मान्यवर, जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उस बजट में उन्होंने करीब साढ़े ८ करोड़ रुपये के घाटे की बात बतलाई, जिसमें से ५ करोड़ २१ लाख रुपये तो दूसरी चीजों पर टैक्स लगा कर वे वसूल कर लेंगे और फिर भी ३ करोड़ २९ लाख रुपये का घाटा रहेगा। मान्यवर, जिस समय किसी अविकसित देश या प्रदेश में निर्माण का कार्य हो रहा हो तो उस समय घाटे का बजट प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर कोई दवा का इन्तजाम नहीं है और न अन्न या दूसरी चीजों के मिलने की व्यवस्था है। स्कूलों में फटे टाट, तक नहीं मिल पाते हैं और उसके बाद भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो धनराशि स्वीकृत की गई थी उसको भी यह सरकार पूर्ण रूप से व्यय नहीं कर पायी।

मान्यवर, २५३ करोड़ रुपये का बजट जो सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था उसमें से केवल २३० करोड़ रुपया ही इस सरकार ने व्यय किया। यह २५३ करोड़ रुपये का शार्टफाल यानी ९ प्रतिशत रुपये का प्रयोग न किया जाना जब कि निर्माण और विकास का कार्य हो रहा हो, मेरी समझ में नहीं आता।

मान्यवर, यह कहा गया है कि हमारे प्रदेश में हर तरह की उन्नति हो रही है लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५१ में सारे हिन्दुस्तान की परकैपिटा इनकम २४६ थी जब कि हमारे प्रदेश की २५८ थी यानी हमारा प्रदेश ५ प्रतिशत आगे था और १९५९-६० में जब सारे हिन्दुस्तान की परकैपिटा इनकम २९३ रु० हुई तो हमारे प्रदेश की परकैपिटा इनकम २५५ ही रही यानी हम १६ फी सदी पीछे रह गये। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी का कहना है कि हमारी उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। मान्यवर, १९५१-५२ में टोटल इनकम १,६३२ करोड़ रही और १९६०-६१ में जाकर वह १,९२० करोड़ हो गयी, इससे यह सिद्ध होता है कि लगभग साढ़े १७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ जनसंख्या में भी साढ़े १७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई और इस प्रकार हम जहां पर पहले थे वहीं पर स्थिर रहेंगे। इस के लिए कहा गया था कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मैं निवेदन करूंगा कि आबादी की ग्रोथ को तो वह किसी तरह से भी रोक नहीं सकते चाहे वह कितने ही आर्टिफिशियल तरीके इस के लिये अपनावें, कितनी ही कोशिश करें लेकिन मानव स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिये हमारे सूबे में अगले ५ साल में ८ करोड़ और फिर अगले ५ साल में ९ करोड़ आबादी का होना निश्चित है। जब माननीय वित्त मंत्री जी प्लान बनाते हैं तो वह वल वर्तमान

आबादी को ही सन्तुष्ट करना चाहते हैं और आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही वह बजट तैयार करते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि आगे की आबादी जो बढ़ने वाली है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी इस का भी ध्यान वह बजट और प्लान बनाते वक्त रखा करें ।

डेमोक्रेसी की बड़ी चर्चा है और कहा गया कि हमारे यहां पूर्णरूप से जनतन्त्र स्थापित है । टाप लेविल पर डेमोक्रेसी और बिलो लेविल पर आटोक्रेसी यह इस सरकार के जनतन्त्र का स्वरूप है । एक बार मि० एन्डरसन ने इंग्लैंड में कहा था कि भारत मंत्री वही काम लन्दन में करता है जो काम जिले के स्तर पर जिलाधीश भारत में करता है और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिलाधीश एक मिनियेचर वाइसराय है लेकिन इस सरकार ने उन्हें बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है और संसार में आज उससे ज्यादा शक्तिशाली अधिकारी कहीं नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह प्रजातन्त्र की रक्षा चाहते हैं तो वह जिलाधीशों के पदों को समाप्त करें, उन को केवल रेवेन्यू कलेक्टर बनाया जाय, इतने अधिकार उन को क्यों दिये गये हैं ? वह सब काम दूसरे लोगों के हाथ में आना चाहिये ।

इस बात की भी चर्चा हुई कि हमारे यहां जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव प्रथक हैं । जिस परिभाषा से वह उनको अलग मानते हैं वह उन की नई परिभाषा है लेकिन जिस तरह से कि उन दोनों को प्रथक माना जाना चाहिये उस तरह से आजतक यहां एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का प्रथक्कीकरण नहीं है । इस के लिये आवश्यकता इस बात की है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अब तक की परम्परा बनाई है उसको तोड़ें और सुधारें और सही मानों में जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करें ।

आज हमारे यहां न्याय कितना मंहगा है इसके विषय में केवल एक ही बात निवेदन करूंगा । आप जानते हैं कि इस समय हाईकोर्ट में १२ साल तक की अपीलें पेंडिंग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और लिटिगेन्ट जनता तबाह है और उनके केसेज की कोई गति नहीं हो रही है । सरकार की ओर से कहा जाता है कि हाईकोर्ट के जज काम में सुस्ती और ढील दिखाते हैं । मैं बड़ा नम्र निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट के जजों को बड़े इतमिनान के साथ काम करना चाहिये क्योंकि उनके एक फैसले का असर एक केस पर ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश के अनेकों केसेज पर पड़ता है । अच्छा हो कि सरकार उन केसेज के फैसले के लिये रिटायर्ड जजों को रिएम्पलाय करे और उनसे फैसले करावें ।

हमारे सूबे की जो बढ़ी हुई जनशक्ति या मेन पोटेन्शियलटी है वह इतनी अधिक है कि उसका सही प्रयोग आवश्यक है । इस बजट के अनुसार ३ लाख व्यक्तियों को भी यहां काम नहीं मिलेगा जब कि यहां १९ लाख पुरुष और ५-६ लाख महिलायें बेकार हैं । इन २५ लाख व्यक्तियों को शीघ्र काम मिलना चाहिये । सरकार की ओर से कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया है ।

जहां ठीक से जनशक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है वहां बिजली की शक्ति की बड़ी चर्चा है । पिछले सालों में कहा गया था कि हम यहां बिजली की शक्ति को इतना बढ़ा देंगे । १९५५-५६ में ३७० मेगावाट बिजली का उत्पादन था । १९६०-६१ में केवल ४३८ मेगावाट उत्पादन हुआ । जबकि इनका प्लान टार्गेट ६१५ मेगावाट था । इस प्रकार ३० फीसदी उत्पादन में शार्ट फाल रहा है । जो टार्गेट था उसको किसी तरह से पूरा नहीं कर सके । तो यह कहना कि बिजली की शक्ति बढ़ेगी नितान्त भ्रम की बात है । सौभाग्यवश अब एक ही वर्ष रह गया है इस सरकार के पास रुपया बर्बाद करने के लिये । जिस प्रकार प्रदेश की जनता को सुखी बनाने में यह सरकार असफल रही है और किसानों पर टैक्स लगाये गये हैं इसका सही उत्तर प्रदेश की जनता देगी और उनको अपदस्थ करेगी ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---मान्यवर, इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद इस १४ साल की अवधि में प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है । यह बात दूसरी है कि सरकार आंकड़ों के जरिये यह बात जाहिर करती है कि प्रदेश की जनता का स्तर ऊंचा उठा है । वास्तव में जब हम गरीब जनता के पास

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

जायेंगे तभी हमको वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने देहात में रहने वाले किसान और खेतिहर मजदूर की तरफ, उस गरीब और मेहनतकश जनता की तरफ आज तक कोई तवज्जह नहीं दी। इस सदन में चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वस्तुस्थिति को छिपाया नहीं है। इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रदेश की जनता की क्या दशा है इस समय।

मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आजकल देहात के अन्दर किसान और खेतिहर मजदूरों की ८० प्रतिशत से भी अधिक की हालत यह है कि बदन पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिये घर नहीं है और खाने के लियें मौसम के मुताबिक अन्न नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री महोदय से कि वह जब कभी दौरे पर जांय तो मेहरबानी करके उस इंटीरीयर में, देहातों में जाकर देखें जहां कि बाढ़, रेह जैसी अनेक दैवी विपत्तियां हर साल आती रहतीं है और जहां उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं है, वहां जाकर वे उनकी दशा को देखें। वह शहरों में जाते हैं। सर्किट हाउस में जाकर ठहरते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहां दावत खाते हैं और लौट आते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र को खतरा पहुंचने में कोई अंदेशा नहीं है। कुछ ही वर्षों में पता चल जायगा।

किसानों से संबंध रखने वाली कुछ बातों का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। एक जिले की घटना है। एक सहकारी संघ ने ४ हजार मन से कुछ ऊपर सनई का बीज अप्रैल और मई में खरीदा। उसका भाव उस वक्त १६ रुपये से १९ रुपये तक था, जब कि जनवरी में यही बीज तीन-चार रुपये कम भाव पर खरीदा जा सकता था। तो उससे १९ हजार रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी तरह से एक दूसरे सहकारी बीज गोदाम का जिक्र है। उन्होंने २ हजार मन गेहूं खरीदा और....

श्री उपाध्यक्ष—आप नाम और जगह बता दीजिये तो अच्छा है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—मैं नाम बाद में बताऊंगा, नाम मंत्री जी को मालूम होना चाहिये। तो उन्होंने २ हजार मन गेहूं खरीदा, २ हजार ३२५ मन मटर खरीदा और १५० मन जौ खरीदा। यह जुलाई-अगस्त में खरीदा। उस समय इनके भाव थे २२ रुपये और १५ रुपये। अगर फसल के टाइम पर खरीदा जाता तो उस वक्त भाव थे साढ़े १८ रुपये और १३ रुपये। इस तरह इसमें भी करीब १३ हजार रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। बुवाई के टाइम पर जब यह बीज दिया गया तो उस टाइम तक २ हजार ३७८ रुपये का सूख का नुकसान इसमें पहुंचा। तो, श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ऐसी मिसालें एक नहीं हजारों हैं जिनमें करोड़ों रुपये का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है और उसका बोझ उसके सर पर पड़ रहा है। जब किसान को बीज दिया जायगा तो उसकी कीमत किसान को देनी पड़ेगी या किसी और को ?

दूसरी चीज यह है नहर विभाग के जरिये एक नहर के लिये १२९ लाख रुपया मंजूर किया गया १९५५ में और १९५८ में जब ऐस्टीमेट रिवाइज किया गया तो बढ़कर १७५ लाख रुपया हो गया, जब कि नहर की लम्बाई ४४१ मील से घटकर २८५ मील कर दी गई। तो ऐस्टीमेट बढ़ने की क्या वजह थी ? ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रदेश की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसकी वजह से जनता का स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा है।

प्लानिंग विभाग की सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जिनमें रुपये का अपव्यय हुआ है। इस्टैब्लिशमेन्ट पर ज्यादा जनता का रुपया खर्च होता है और जनता के हित के कार्यों में उतना रुपया नहीं लगाया जाता है जितना कि अपेक्षित था। इसमें कोई शक नहीं है।

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार देहात की जनता पर तवज्जह नहीं देगी तब तक गरीब जनता का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता।

प्रदेश में पचासों लाख एकड़ जमीन वाटर लागिंग, बाढ़ और गरकी से बरबाद होती है और इतनी ही जमीन रेह से बरबाद हो गई है जिसका कि किसान को लगान भी देना पड़ता है और उससे उसका बीज भी वापस नहीं होता। सरकार ऐसी जमीन का लगान, मालगुजारी और आबपाशी छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। कोई भी उपाय सरकार ने इस जमीन के रिक्लेमेशन का नहीं किया है। पिछले चार साल से मैं वाटर लागिंग और रेह की समस्या पर मंत्री जी का ध्यान दिला रहा हूं। एक बार मंत्री जी ने जवाब दिया कि इस काम के लिये किसान को खुद दरख्वास्त देनी चाहिये, हमारा काम नहीं है। तब से किसान बराबर दरख्वास्त दे रहें हैं, फिर भी कोई तवज्जह नहीं है। सरकार जब तक गरकी और बाढ़ की समस्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं सोचेगी शीघ्र से शीघ्र, तब तक गरीब जनता का स्तर नहीं उठ पायेगा।

बजट में हर साल हम देखते हैं कि ८, १० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया जाता है जो कि अन्त में सरप्लस में परिवर्तित हो जाता है। प्लानिंग, कृषि विभागों में करोड़ों की बचत हो जाती है। कर्मचारियों की लापरवाही से योजनायें कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। अगर उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाय तो कोई वजह नहीं है कि उनसे उत्पादन न बढ़े। अगर इतनी जमीन को पानी और रेह से निकाला जाय तो पैदावार जरूर होगी। लेकिन इधर १०-१२ साल से सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर काम हुआ भी है तो न के बराबर है।

दूसरे कामों पर सरकार रुपया खर्च करती है, बड़े-बड़े बांध, नहरें बन रही हैं जो कि आज तक अधूरे हैं और उन पर पचासों करोड़ रुपये की लागत लगती है, कहीं पर गबन है, कहीं पर कोई गड़बड़ घोटाला है, कहीं पर बांध टूट गया। ऐसे कामों में तो मैं अंग्रेजों की तारीफ करूंगा उनके जो काम आज तक बने हुए हैं कहीं भी जुम्बिश नहीं आयी। लेकिन इस सरकार के जमाने में जितने काम हुए हैं सब में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। अगर ईमानदारी से काम होता है तो कोई वजह नहीं है कि प्रदेश के अन्दर पैदावार न बढ़ती और जनता का स्तर ऊंचा न उठता और उस पर इतना आर्थिक बोझ भी न पड़ता।

दत्ता साहब ने कहा इधर के बैठने वाले लोग बेकार बकते हैं। हमने तो बहुत तरक्की की है, जनता का स्तर ऊंचा उठा है। मैं इसको कभी नहीं मान सकता, यह सरासर झूठ है और सरासर चापलूसी की बात है। आंख से देखने से पता चलता है कि वास्तव में जनता की हालत कितनी बुरी है। जब तक सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है कि किसानों को लम्बे अर्से के लिये कर्जा उसकी खेती की उन्नति के लिये, मकान बनाने के लिये कम सूद पर नहीं दिया जाता तब तक किसानों की उन्नति नहीं हो सकती। बराबर सरकार से यह मांग की जाती रही है। जब तक सरकार इन मंडियों को रेगुलेट नहीं करती तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। सहकारी समितियां हैं लेकिन मार्केटिंग सुपरवाइजर तथा इंस्पेक्टर यह कहते हैं कि व्यापारियों के भरोसे पर हमको रहना पड़ता है, किसान जो पैदा करता है फसल के टाइम पर पूरे तौर से उसे लूटा जाता है और जब उसे फसल बोनी होती है उस वक्त भी वह कितनी बुरी तरह से लुटता है, इसका ठिकाना नहीं। जब तक किसान को उसकी पैदावार की संतुलित कीमत नहीं मिलती तब तक उसे लाभ नहीं हो सकता। जिस भाव पर बाजार से किसान अपनी जरूरियात की चीजें खरीद कर लाता है उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो किसान का कोई भला होने वाला नहीं है।

अभी सिंचाई का जिक्र आया। पिछली गर्मियों में दो-दो महीने तक नहर से पानी नहीं मिला और आबपाशी के लिये जो तीन आने का रिबेट दिया था उसे छीन लिया। नहरों से आज किसान को समय पर और आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिलता। चाहे सरकार उन्हें ट्यूबवेल से फीड करे या कहीं से पानी लाये, उसे पानी का प्रबन्ध करना चाहिये जब कि करोड़ों रुपये का वेस्टेज हो रहा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल का यह बजट है। योजनाओं के सम्बन्ध में कोई विशेष बात मिले ऐसी कोई संभावना नहीं दीखती। ऐसी स्थिति में जो विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा विशेष व्यवस्था की चर्चा की गयी है मैं उसे संभव नहीं पाता। १५३ करोड़ रुपये का बजट और ४९७ करोड़ का सारा खर्चा तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। इसमें आधे के करीब धन योजनाओं से आता है और बाकी आधे में राज्य की आय का व्यय है।

इसमें दो-तीन मुख्य बातें हैं जिनकी तरफ मैं आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट की जिन अच्छाइयों की तरफ ध्यान दिलाया गया है उनसे मेरी सहमति है। एक चीज तो यह है कि अध्यापकों के वेतन में चार रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में। एक तरफ तो यह ४ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है लेकिन दूसरी तरफ ५८ से ५५ वर्ष रिटायरमेंट एज होने जा रही है तो उनको एक तरह से घाटा ही हुआ है। इस तरह से अन्त में उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर ४ रुपये की बढ़ोत्तरी कोई श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होती जबकि हम देखते हैं कि पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में ९३–९४ रुपये वेतन प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को मिलता है।

माध्यमिक स्कूलों की तो कहीं चर्चा ही नहीं है। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों ने मंहगाई के सम्बन्ध में मांग की थी कि उनको राजकीय विद्यालयों के बराबर दी जाय। श्रीमन्, संविधान में लिखा है 'समान काम के लिये समान वेतन'। ५२, ५३ जिले हैं—इनमें ५४, ५५ सरकारी हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कालेजेज हैं और गैर सरकारी संस्थायें १,५०० के करीब हैं। लेकिन जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें मंहगाई की जो व्यवस्था है वह गैर-सरकारी विद्यालयों में नहीं है।

एक बात अध्यापकों की सुरक्षा की की गयी थी। सन् ५८ में एक विधेयक भी आया। उसमें कुछ सुविधायें भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने रखी थीं। कुछ व्यवस्थापकों ने कहा है कि जो माननीय सदन के सदस्य हैं वे कहते हैं कि मैनेजरों के अधिकार तो छीन लिये गये हैं। यह तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो भी सुरक्षा दी गयी उसमें जो फैसले आर्बिट्रेशन बोर्ड और रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर के हैं वे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। तो जो फैसले हुये वह भी कार्यान्वित नहीं हुये फिर भी व्यवस्थापकों की ओर से यह मांग होने लगी कि इसमें अधिक सुविधा दी गयी है। मुझे बहुत आश्चर्य तब हुआ जब माननीय शिक्षा मंत्री ने कानपुर में यह कहा जो समाचार-पत्रों में भी निकला कि अधिक सुविधायें दे दी गयी हैं। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जो सुविधा दी गयी उसका पूरा-पूरा लाभ तो अध्यापक को मिला नहीं था और माननीय शिक्षा मंत्री ने इस तरह की चर्चा की। तो मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो डी० ए० की बराबरी की मांग है इस तरफ उनको ध्यान देना चाहिये।

एक बात और है। महामहिम राज्यपाल ने जो ६ फरवरी को अभिभाषण दिया उसमें पेज ३ पर यह कहा गया है—

"राज्य आयोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसा सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण उत्पन्न किया जाय जिससे लोगों को निजी धन के विनियोजन के निमित्त आवश्यक प्रेरणा मिले। इस प्रकार कृषि संबंधी उत्पादन के बाद, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने पर जोर दिया गया है जिनसे राज्य का शीघ्र गति से औद्योगीकरण हो सके, विशेषतः विद्युत् विकास की दिशा में, जिसमें कि दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तृतीय आयोजना के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय शिक्षा, विशेषतः प्रारम्भिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पिछड़े होने का भी ध्यान रखा गया है।"

मुझे बड़ी निराशा हुई यह देख कर कि इस बजट में ऐसा कोई संकेत नहीं है। इसमें अध्यापकों की उपेक्षा की गयी है और उनके मंहगाई भत्ते की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया

गया। यूनिवर्सिटी टीचर्स की मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखायी दिया कि एक नयी दिशा की तरफ संकेत हो।

अब मैं थोड़ा-सा एग्रीकल्चर के विषय में कहना चाहता हूं। इस प्रदेश की ९४–९५ फीसदी जनता कृषि पर आधारित है। बलिया आदि जिलों में तो एक हजार फी स्क्वायर मील की आबादी है। इसमें पिछड़े जिलों के लिये, मैं पूर्वी जिले नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें लोगों को आपत्ति होगी कि पूर्वी और पश्चिमी की बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रदेश के पिछड़े जिले हैं, चाहे वे पूर्व के हों, चाहे मध्य के हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे बुन्देलखंड हो, उनके लिये क्या कोई विशेष योजना इस बजट में है ? नहीं है, वह होनी चाहिये। हमने सुना है और किताबों द्वारा जाना है कि चीन में जब उन्होंने योजना चलायी तो पहले उन्होंने एक रीजनल प्लानिंग की और विशेष धन इकट्ठा करके पहले पिछड़े हुये इलाकों को और इलाकों के बराबर कर लिया और फिर सारे देश में एक योजना चलायी। हमारे यहां तो सब धान सवा सोलह पसेरी के हैं। सभी जिलों में एक समान योजना चला दी गयी जिसका नतीजा यह हुआ कि जो प्रगति हुई उस प्रगति में भी पिछड़े हुये जिले दस कदम पिछड़े ही रहे। तो जरूरत इस बात की है कि एक विशेष योजना पिछड़े हुये जिलों के लिये बनायी जाय।

एक बात कृषि के सम्बन्ध में मैं और कहना चाहता हूं। कृषि के लिये हमारे बजट में कुछ नहीं है। हमारे यहां माननीय पंत जी के समय से सिंचाई की दर में तीन आना रुपया छूट मिलती थी। अब वह भी खत्म की जा रही है। तो जो कृषि प्रधान देश है और जहां कृषि को प्रधानता दी जा रही है वहां जो तीन आने की छूट दी जा रही थी वह भी वापस ली जा रही है। कृषि में सिंचाई एक मुख्य साधन है और इस बजट में जब वह छूट वापस ले ली गयी है तो क्या यह एक नयी दिशा है ? यह दिशा तो ऐसी है कि जो एक गलत ढंग की ओर जा रही है। तो बताइये कि क्या कारण है कि एक तरफ तो कृषि को विशेष रूप से प्रधानता दी जा रही है और दूसरी तरफ सिंचाई में छूट वापस ली जा रही है। यह वास्तव में नहीं होना चाहिये। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि ऐसी स्थिति में यह वापस नहीं होनी चाहिये थी। सिंचाई के लिये ट्यूबवेल बनाये हैं, कुयें बनाये हैं और एक एकड़ की सिंचाई में करीब ८–१० रुपया लगता है और तीन-चार पानी देने पड़ते हैं तो हमारा काश्तकार २५–३० रुपये प्रति एकड़ की सिंचाई नहीं कर पाता है तो छूट लेने से उसको बड़ी दिक्कत हो जायगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यह अनुदारता क्यों बरती गई है ?

एक बात और कहना चाहता हूं कि उद्योगों के बारे में सभी चाहते हैं और इस सिद्धान्त को सभी मानते हैं कि कृषि के साथ साथ जब छोटे और बड़े उद्योग आयेंगे तभी देश की आर्थिक स्थिति ऊपर उठेगी। श्रीमन्, देवरिया में ५ लाख रुपया छोटे उद्योगों के लिये कर्ज दिया जा चुका है और वह लोग बिचारे बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको कभी लोहा नहीं मिलता और कभी कोयला नहीं मिलता। तीन-चार वर्ष के इंतजार के बाद जब लोहा मिलता है तो कोयला नहीं मिल पाता और अगर कोयले का परमिट मिल जाता है तो उसके आने का प्रबन्ध नहीं हो पाता है। यह कहा जाता है कि बलिया, देवरिया आदि स्थानों पर ब्राड गेज नहीं है, मीटर गेज है, इसलिये वहां विकास नहीं हो सकता है। श्रीमन्, किसी न किसी तरह से इन जिलों का विकास होना चाहिये। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार इस मसले को उठाये और अगर ब्राड गेज बनाने की जरूरत हो तो बनाये। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे यहां गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री दी गई है। लेकिन इसका उपयोग उसी समय हो सकेगा जब वहां पर ब्राड गेज लाइन फैजाबाद से मिला दी जायगी और कोयले का जो अभाव है उसमें भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

श्रीमन्, हम लोगों को उद्योग विभाग की ओर से एक पुस्तिका दी गई है जिसमें उद्योग के बारे में चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि १९५९–६० में १,१४,१०,८७ हजार यूनिट बिजली पैदा होती है। इसमें से उद्योगों के लिये ४७,३४,३० हजार यूनिट उद्योग में खर्च होती है और ४२,०२,४६ हजार यूनिट बिजली अन्य कामों में खर्च होती है। इसके माने यह

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

हुये कि उद्योगों में तथा अन्य कार्यों में बराबर बिजली खर्च हुई। लेकिन उद्योगों के लिये ज्यादा बिजली दी जानी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण करना है तो बिजली की दर सस्ती करें और अधिक बिजली उद्योगों को दें। तभी हमारे प्रदेश का कल्याण हो सकेगा। वरना कृषि के ऊपर प्रदेश को आधारित करने से कठिनाई पैदा हो जायगी।

श्रीमन्, मैं एक बात और राज्य की आय के बारे में कहना चाहता हूं। यह आंकड़ा है कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय शहरों में ६६५ रुपये है और गांवों में १९१ रुपये है। इसके माने यह हुये कि शहरों में देहाती क्षेत्रों की अपेक्षा चौगुनी आय है। मान्यवर, ९५ फीसदी लोग गांवों में रहते हैं तो ऐसी दशा में कल्याणकारी राज्य की कल्पना कैसे हो सकेगी? आज देहात से बहुत से लोग भागकर शहरों में जा रहे हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को विकेन्द्रीकरण की नीति अपनानी चाहिये और जब हमारे यहां विकास खंड चल रहे हैं और योजना चल रही है तो इन विकास खंडों का संचालन ठीक ढंग से किया जाय। एक बात मैंने देखी है कि आज विकास कागज पर ज्यादा होने लगा है। मैंने दो-चार विकास खंडों को जा कर देखा। स्वयं वहां के अधिकारियों ने कहा कि कागज इत्यादि बनने में बहुत समय लगता है और खेतों में काम करने का वक्त नहीं मिलता है। कागजी आंकड़ों से हमारा काम बनने वाला नहीं है। योजना को जो लोग चलाने वाले हैं उनको अपना अधिक समय खेतों में लगाना चाहिए। कागज के लिए चाहे दो-चार क्लर्क और बढ़ा लिये जायं लेकिन योजना को कार्यान्वित करने वाले जो बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० आदि हैं इनको खेतों में काम करने के लिये अधिक समय मिलना चाहिए। दूसरी योजना में हमारा २३ करोड़ रुपया बच गया। एक-एक पैसे का ठीक से व्यय होना चाहिए। २३ करोड़ रुपये के बचने का मतलब यह है कि कोई प्रोसीजरल मिस्टेक है। मैं आशा करता था कि इस बजट में ऐसी कोई रूपरेखा आयेगी जिससे कि कागज पर तो काम कम हो लेकिन एक-एक पैसे का ठीक से उपयोग हो सके। अगर ये योजनाएं इसी तरह से चलती रहेंगी तो किसानों को लाभ नहीं होगा। जिस ढंग से आज काम हो रहे हैं उनमें इतने काम्प्लीकेशंस हैं, कि अगर हम चाहें कि हरिजनों के लिए एक कुआं बन जाय तो साल छः महीने में भी नहीं बन पाता। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे सारे तौर तरीके हैं उनको सिम्प्लीफाई करें, नहीं तो कठिनाई रहेगी।

एक बात शिक्षा के बारे में कह कर मैं समाप्त करूंगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय उस क्षेत्र (पूर्वी उत्तर प्रदेश) का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उसमें ग्रामीण विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी थी। लेकिन उसमें कोई कृषि कालेज नहीं है। सरकार कहती है कि हमारे पास धन नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक आदर्श रूप में स्थापित किया गया है। राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट थी कि रीजनल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १४–१५ जिले लिये गये हैं। उसमें कृषि कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज की व्यवस्था की जाय। तो इस तरह से उस रीजन में इसकी उपयोगिता ठीक से विकसित हो सकेगी वरना बी० एज० और एम० एज० जो नान-टेकनिकल आदमी हैं उनकी समस्या गम्भीर होती जायगी।

बजट में जो ८ करोड़ का डेफीसिट दिखाया गया है लेकिन इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं रखी है। यह जो हमारी २३, २३ करोड़ की बचत होती है इसको देखते हुए अच्छा है कि टैक्स न लगाएं। जितना बजट है, उसमें एक-एक पैसा खर्च हो। तो जितना बजट है उसी में दूना काम हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसकी भूमिका में जो सदन के समक्ष भाषण दिया है उससे हम सब लोगों को जो समाजवादी तत्व हैं, बहुत धक्का लगा ।

श्रीमन्, सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये खर्च किये । दूसरी पंच-वर्षीय योजना सारे देश की ४,८०० करोड़ की थी । तीसरी अब १२ हजार करोड़ की होने जा रही है । लेकिन योजना के बावजूद हुआ क्या ? हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण की प्रति व्यक्ति आमदनी २१२ रुपये से घट कर १९१ रुपये हो गयी है । सैकड़ों, करोड़ों रुपया खर्च हुआ और परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण अंचल में रहने वाली आम जनता, जो ज्यादा संख्या में है, उसकी आमदनी प्रति व्यक्ति घट गयी ।

दूसरी बात क्या हुई ? ७५ फीसदी से भी अधिक लोग खेती पर मुनहसिर रहते हैं । आंकड़ो की पुस्तिका में देखा जाय खेती के क्षेत्रफल की क्या स्थिति रही---५८–५९ में ५२०.०५ लाख एकड़ जमीन पर खेती होती थी, मगर वही ५९–६० में ५१९.६ लाख एकड़ पर खेती रह गई । खेती के अन्दर जो जमीन आई उसमें भी काफी कमी हो गई और ५१–५२ में जितनी चोरी, डकैती, राहजनी आदि के मुकदमे होते थे, उस से दुगुनी, तिगुनी संख्या चोरियों, डकैतियों और राहजनी की बढ़ गई ।

जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है इसी सदन में बात आयी थी, आंकड़ों की पुस्तिका में छपा था, कि गत वर्ष से पहले वर्ष में केवल अतिसार से १५ हजार से ज्यादा आदमी इस प्रदेश में मर गए और इस बजट का केवल दो-ढाई प्रतिशत जनता के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए खर्च किया जा रहा है । तो स्वास्थ्य की श्रीमन्, यह हालत है । हमारे बाढ़ पीड़ित पूर्वी जनपद के अंचल में पिछड़े हुए क्षेत्रों में बीमार होने पर कुनैन की गोली भी नहीं मिलती और यहां पर मंत्रियों के कुत्तों को अस्पताल में इंजेक्शन लगते हैं ।

माननीय मंत्री जी ने इसमें कहा है कि यह तो योजना का क्रमिक विकास हो रहा है और इसमें एक बड़ा क्रुचक्र है जिसको पार करना है । तो यह कुचक्र कैसे टूटेगा ? राजा साहब मनकापुर के पास दस हजार एकड़ जमीन पड़ी है, सरदार साहब मजौठिया के पास १४ हजार एकड़ पड़ी है और बाबू साहेब कुड़वां,देवरिया के पास ५ हजार एकड़ जमीन पड़ी है । खसरा-खतौनी में जौ, गेहूं आदि लिख दिया जाता है, और जमीन वैसे ही पड़ी रहती है । इधर हमारे यहां देवरिया में २३ लाख की आबादी में ७ या ८ लाख भूमिहीन हैं जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है तो यह है आपकी योजना । श्रीमन्,मेरे पास एक किताब है । इसमें प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं । इसमें यह कहा है कि किसानों के पास जो खेत हैं उन खेतों का भी गलत कानून जो सारे हिन्दुस्तान के प्रदेशों में बने हुए हैं, हमारे यहां जो भूमि सुधार के कानून बन रहे हैं उसमें जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनकी वजह से बड़े व्यापक पैमाने पर एजेक्टमेंट हो रहा है । योजना कमीशन ने यह कहा था---

"The Planning Commission had accepted the first recommendation and said that the ejectment and surrenders which have taken place,say, in the past three years should be reviewed and restoration provided wherever considered necessary."

उनका यह कहना था कि गत तीन वर्षों से ५४, ५३ और ५२ के अन्दर सारे हिन्दुस्तान में जो बेदखलियां हुई हैं, उनको सुधार दिया जाय, उनको ठीक कर दिया जाय । माननीय राजस्व मंत्री जी विराजमान नहीं हैं । लेकिन क्या उनको नहीं मालूम है कि आज किस तरह से गरीब किसानों की बेदखलियां हो रही हैं । किसानों के पास एक तो वैसे ही भूमि नहीं है, एकाध कट्ठे जो भूमि है उसकी भी बेदखली होती जा रही है और बड़े-बड़े फार्मों का एरिया बढ़ता जा रहा है । आज छोटे-छोटे किसानों के पास एक इंच भी भूमि नहीं रही है । सरकार के अखबारों में यही छपता है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है । प्रति व्यक्ति आय तो घट

[श्री उग्रसेन]

गई, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान की आय बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि अन्न का उत्पादन ज्यादा हो गया है। लेकिन इधर अन्न का उत्पादन ज्यादा हो गया है और उधर पूर्वी जिलों के हम लोग भूखों मरते हैं, इस बात को माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो पहले राजस्व विभाग के मंत्री थे उन्होंने इसी सदन में यह माना था कि महाराजगंज तहसील की एक विधवा जब मर गई भूख से और उसके बाद उसकी जब जांच हुई तो एस० डी० एम० ने लिखा था कि मरने से पहले उसने गुठली की रोटी खाई थी। तो यह अन्न की उपज बढ़ रही है और यह आपकी योजना है। करोड़ों की आपकी दूसरी योजना थी और तारीफ यह है कि महज २० करोड़ रुपये का इस्तेमाल नहीं हो सका जब कि देवरिया, बलिया, फैजाबाद आदि जिलों में जब घाघरा आदि नदियों का कटाव रोकने के लिये कहा गया जिससे इतना भीषण नुकसान होता है, तो कहा गया पैसे की कमी है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर केवल २ करोड़ खर्च कर दिया जाय तो वहां का कटाव रोका जा सकता है। राप्ती की बाढ़ को रोका जा सकता है, नैपाल का बांध बनाया जा सकता है, रोहिणी की बाढ़ जो राप्ती की बाढ़ को बढ़ाती है उसको खत्म किया जा सकता है, छोटी गंडक से सिंचाई की जा सकती है। मगर वह पहले के सिंचाई मंत्री नहीं चाहते थे और वर्तमान सिंचाई मंत्री भी नहीं चाहते होंगे।

मंत्री जी ने आज कहा कि गांवों को ऊंचा कर रहे हैं। उसके लिये कुछ मिट्टी डाल दी जाती है लेकिन ड्रेनेज निकालने के लिये कोई नाली बनती नहीं है। जब पानी ऊपर से आता है तो वह मिट्टी बह जाती है और आखिर में वे गांव भी आसानी से बैठ जाते हैं। रुद्रपुर (देवरिया) में ५००, ६०० गावों को ऊंचा करने की स्कीम थी और उनके लिये १।। करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन उन गांवों की मिट्टी बह गई। नतीजा यह हुआ कि सब गांव बह गये। यह इस प्रकार की योजना है कि जिनको किस तरह से योजना कहा जाय। एक भी योजना इस तरह की नहीं है जो कम खर्चे से चलाई जा सके।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कहा गया कि रिहेन्ड डैम की बिजली से गोरखपुर और मऊ को कनेक्ट किया जायगा। जब यहां पर सवाल किया गया तो बतला दिया गया रिहेन्ड की बिजली, जो पूर्वी जिलों को दी जाने वाली थी, वह बिड़ला जी को दे दी गई। उनको भी नहीं बल्कि अमेरिका की कैसर कम्पनी को वह दे दी गई। जब हमने सवाल किया था तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री बौखला उठे थे। १५१ रुपये में प्रति हजार किलोवाट उनको दे दी गई। उस समय पूर्वी जिलों को बिजली नहीं दी गई। केन्द्रीय सरकार ने तब कह दिया कि हम ट्रान्समीशन का खर्चा नहीं देंगे क्योंकि जब पूर्वी जिलों को बिजली नहीं दी जा रही है तो यह खर्च भी नहीं दिया जायगा। उन्होंने ट्रान्समीशन लाइन का खर्चा काट दिया। अब सरकार को नये बजट में वह रुपया देना पड़ रहा है। जब पूर्वी जिलों को बिजली देने की बात थी तो रुपया नहीं दिया अब अलग से उस रुपये को भरना पड़ रहा है।

मजदूरों की हालत क्या है? कानपुर मे टैक्सटाइल मजदूरों की दशा खराब होते हुये भी उनके घंटों में वृद्धि की जा रही है। पहले ४८ घंटे का सप्ताह था अब उसको ५२ घंटे का किया जा रहा है। स्वदेशी मिल्स, कानपुर काटन मिल्स, एलगिन मिल्स, अथर्टन में ४८ घंटे से ५२ घंटे का किया जा रहा है। श्रीमन, रूस में इस वर्तमान योजना के बाद ६ घंटे का दिन हो जायगा और इसके बाद वाली योजना के समाप्त होने पर ४ घंटे का दिन हो जायगा लेकिन हमारे यहां मंत्री जी ४८ घंटे के स्थान पर ५२ घंटे का सप्ताह करने जा रहे। हैं रोडवेज में भी यही किया गया कि वहां पर ८ घंटे दिन के स्थान पर ९ घंटे का दिन कर दिया गया। रोडवेज में एक ड्राइवर को १३, १४ घंटे काम करना पड़ता है। इसका किसको लाभ होगा? इसका लाभ योजना कमीशन के बड़े-बड़े अफसरों को ही हो

सकता है। रिहेन्ड का अन्दाजा २५ करोड़ से ४५ करोड़ हो गया और माताटीला का कुछ करोड़ का अनुमान था लेकिन बाद को वह दुगुना हो गया मगर उससे झांसी को बिजली नहीं मिली। जो कुछ हुआ वह यह कि मजदूरों के घंटे बढ़ा दिये गये और उनके ऊपर वर्क लोड बढ़ रहा है। विन्ध्यवासिनी कमेटी बैठी। उसने कुछ सिफारिशें की थीं। जो सिफारिशें मिलमालिकों के फायदे की थीं। वह तो कार्यान्वित कर दी गईं और जो मजदूरों के लाभ की थीं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनमें से एक को भी लागू नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है कि कम से कम उस रपट की वह सिफारिशें जो मजदूरों के लाभ की थीं, उनको भी तो आप लागू करते। आज मिलों के अन्दर छटनी हो रही है। सरकार के विरोध के कारण वह योजना पूरी नहीं हो सकी। कानपुर में ४५ हजार मजदूरों के अन्दर ११ हजार मजदूर ऐसे हैं जो एवजीदार हैं। यह ११ हजार ऐसे मजदूर हैं जो अस्थायी हैं। उनको आज भी निकाला जा सकता है। सन् १९४७ से जितनी जगहें खाली हुईं उनको अब तक अस्थायी आदमी रखकर पूरा किया गया है। उन पर एक भी मजदूर को स्थायी नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में जस्टिस धावन ने भी फैसला दिया है। कानपुर में मजदूरों की दशा इतनी खराब है कि और जगह इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। कानपुर में कपड़ा मिलों में ४५ हजार में ११ हजार एवजीदार हैं चमड़े के तथा जूट के कारखानों में क्रम से २५,००० मजदूरों में १०,००० एवं १०,००० में ६,००० मजदूर एवजीदार हैं। और रोडवेज में भी आप मुलाहजा फरमायें। रोडवेज में २० हजार में १४ हजार एवजीदार हैं। उनकी यही हालत है कि वे आज हैं और कल नहीं हैं। उनको महीने में ४ दिन भी काम मिल गया तो बहुत है। प्राइवेट सेक्टर में तो यह बात थी ही लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी यही हालत है। एवजीदार रखने से सरकार भी अपना फायदा समझती है क्योंकि उसमें उनको पेन्शन वगैरा नहीं देनी पड़ती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम पब्लिक सेक्टर में तो जो मजदूर तीन महीने तक काम करे उसको स्थायी बना देना चाहिये और उसको एवजीदार नहीं रहना चाहिये। एवजीदारों के बारे में हाईकोर्ट में एक केस हुआ और उसमें जस्टिस धवन ने एक फैसला दिया। पहले वह मामला ट्रिब्यूनल में गया था और उस ने एवजीदारों के खिलाफ फैसला दिया था। उसके बाद जब यूनियन, हाई कोर्ट में उस केस को ले गयी तो उसमें जस्टिस धवन ने एक रूलिंग दी और उसकी एक लाइन मैं आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"It is noteworthy that in both the cases the Appellate Tribunal considered the negative but ingnored the positive aspect of the relationship between substitutes and the employer company ; it considered what a substitute is not, and ignored what he is. That is to say, they did not consider the positive elements of the actual legal relationship between the substitute and his employer." (PP. 340 of U. P. Labour Decisions, Vol. III, No. 4).

जस्टिस धवन ने कहा एवजीदार जो नहीं है उसे तो ट्रिब्यूनल ने देखा लेकिन जो है उसे नहीं देखा। उसका भी मिल मालिक और प्रबंधक से वही संबंध है जो स्थायी मजदूर का है और इसलिये ट्रिब्यूनल के विरुद्ध उन्होंने फैसला दिया। मैं कहता हूं कि सरकार कानून बनाती है कि मिलों में मजदूरों को स्थायी किया जाय लेकिन रोडवेज में, जो पब्लिक सेक्टर में है आज देखा जाय कि कितने मजदूर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

मेरे पास पूरी मिसल है। एक कम्पनी मिर्जापुर में ई० सेपटन एन्ड कम्पनी प्रा० लिमिटेड है जो कम्बल बनाती है। ९ रुपये का कम्बल तैयार होता है और उसे वह २२ रुपये पर आर्डिनेंस फैक्टरी को देती है। मोनोपाली है उनकी। माननीय राजनारायण जी ने दिखला दिया कि मिल वाले किस प्रकार रेयन में कचरा मिला दिया करते हैं और सूत जब टूटने लगता है तो मजदूर हैरान किया जाता है। पहले 'ले आफ' करते हैं फिर 'प्ले आफ'। पहले उन्होंने सात को अलग किया, फिर ७१ को मुअत्तल किया और फिर १७१ को 'प्ले

[श्री उग्रसेन]

आफ' और उस के बाद ४ मार्च को तालाबन्दी हो गयी। कानून है कि बिना शो काज नोटिस के अगर वे प्ले आफ करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जायगा और यूनियन अगर १४ दिन का नोटिस दिये बिना हड़ताल करे तो उस पर मुकदमा चलाया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? यह जो १ रुपया लगा कर ९ बनाते हैं, यह क्या है?

हमारे राजस्व मंत्री जी यहां नहीं हैं, दूसरी बात मैं खास तौर पर उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। टेस्ट वर्क हर साल चलते हैं और कहा जाता है कि बड़ा फायदा होता है उनसे। देवरिया में भी टेस्ट वर्क खुले हुए हैं और कलेक्टर साहब ने नोटिस दिया है कि हम ३१ मार्च से उनको बंद कर देंगे। मजदूर रहेंगे तब भी बंद कर देंगे। ओले से हम क्षतिग्रस्त हुए हैं और हमारी फसल मारी गयी है। ओले से सारे उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। पूर्वी जनपद में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती सुल्तानपुर, हर जगह ओले से नुकसान हुआ है। माननीय गेंदा सिंह जी यहां बैठे हैं। २१ मार्च की वह घटना है। पिपराघाट और राजपुर के अजमोहन और दुर्योधन के यहां नायब तहसीलदार जाते हैं, सिपाही अपने साथ ले जाते हैं और मार मार कर उनको ढेर कर देते हैं। उनका कहना है कि गांव सभा से गांव की मालगुजारी हम स्वयं वसूल करेंगे। १३ सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता वहां पर गिरफ्तार किये गये हैं। वहां देवरिया में डंडे के जोर से वसूली की जा रही है। सरकार कहती है कि हम ओलाग्रस्त किसानों की मालगुजारी स्थगित कर देंगे, लेकिन जो स्थगित की गयी है उसका नजारा देवरिया में देखा जा सकता है। विभागीय अधिकारी भी इस बात को सुनते होंगे और राजस्व मंत्री जी अगर कहीं चले गये हैं तो अन्य मंत्रिगण उन तक मेरी यह बात पहुंचा देने की कृपा करें। इस प्रकार का अन्याय देवरिया में नहीं होना चाहिये।

चीनी मिलों की कुछ बात सुनाऊं। देवरिया में साढ़े ९ करोड़ मन गन्ना उन मिलों को लेना है। ५० लाख मन गन्ना बलिया और आजमगढ़ से, कुछ बिहार की सीमा से भी उनको गन्ना लेना है सब मिलाकर ११ १/२ करोड़ मन लेना है। और अब तक कुल ५ करोड़ मन गन्ना लिया गया है दो महीने का सीजन अब कुल बाकी है और इसमें दो, ढाई करोड़ मन से ज्यादा गन्ना नहीं लिया जा सकेगा। तो यह जो चार करोड़ मन गन्ना पड़ा रहेगा उसका क्या होगा? इसके लिये जब जिलाधीश से कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि कोल्हू लगाइये। हमने कहा कि यहां तो कुल २५० कोल्हू के लिये तकावी आई, लेकिन मिली है केवल १४ को और बाकी के लिये मीटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चार करोड़ मन गन्ना हम कहां ले जायेंगे। इसकी क्या व्यवस्था होने वाली है। चीनी मिल मजदूरों को काशीनाथ पांडेय कहते हैं कि एक महीने की तनख्वाह दे दो, आई० एन० टी० यू० सी० ने वेज बोर्ड बैठा दिया है। देर आयद दुरुस्त आयद। श्रीमन्, वेज बोर्ड बना था, बड़े अरमानों को लेकर बना था, किन्तु जब उसकी सिफारिशें सामने आईं, तो यह कहा गया कि सरकार उनकी एक्जामिन कर रही है। उसमें जो कुछ भी मजदूरों के लाभ की बातें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उनको मान ले। टैक्सटाइल बोर्ड का भी जो फैसला है वह कानपुर में लागू है। जयपुरिया मिल वाराणसी में नहीं लागू है। उसमें लागू नहीं किया गया है। उसको वहां भी लागू करना चाहिये।

तो श्रीमन्, हमने भूमि सुधार की समस्या को देखा, हमने राजस्व की समस्या को देखा, हमने भ्रष्टाचार को देखा, पुलिस की समस्या को भी देखा, मगर कहीं भी सुधार नजर नहीं आया।

मुरादाबाद में दंगे का भी जिक्र हुआ। यहां यह भी कहा गया कि जनसंघ ने साम्प्रदायिकता की भावना को वहा भड़काया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इस प्रकार की भावना को भड़काना चाहते हैं। श्रीमन्, पड़रौना में दंगा हुआ। वहां पर कलेक्टर महोदय गये, उनके सामने दूकानों को लूटा गया उन्होंने

साम्प्रदायिकता की भावना को उभाड़ा, अपनी कमजोरी दिखाई और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। यह सब आफिसरों की साजिश से ही होता है। इसकी एक लम्बी चौड़ी कहानी है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का बजट उसकी नीतियों का दर्पण होता है। इस वर्ष का बजट, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं भी स्वीकार किया है, एक विशेष महत्व रखता है। पिछली बार, दो, तीन सालों में, जब बजट पेश हुआ था उस समय यह सुनने को मिला था कि उसमें कुछ नवीनता इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि उस वर्ष का बजट द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आंकड़ों में जकड़ा हुआ होता है। आज जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में पदार्पण कर रहे हैं, हम यह आशा करते थे कि जब बजट आयेगा तो हमें वह तस्वीर देखने को मिलेगी जिस तस्वीर को हम अगले ५ सालों में पूरा करना चाहते हैं। यद्यपि इस ओर कई प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं, परन्तु उसकी कोई तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली।

मान्यवर, किसी भी बजट को आंकने की एक ही कसौटी हुआ करती है यह कि हम यह देखें कि पिछले वर्षों के अनुपात में प्रदेश में प्रगति हुई है या नहीं। जैसा कि कई माननीय सदस्य कह चुके हैं, हमने अपने प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं की है। परकैपिटा इन्कम हमारी पहले से बढ़ी नहीं है, घटी ही है और जब परकैपिटा इन्कम घटती है तो यह चिन्ता का विषय होता है।

एक कसौटी यह भी हो सकती है कि हम यह देखें कि १४ वर्षों में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा हम आगे बढ़े हैं या पीछे गये हैं ? मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि हर दिशा में हमारा प्रदेश सबसे पीछे है। औद्योगीकरण किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होता है और इस क्षेत्र में भी हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पीछे रहे हैं। मान्यवर, इन्डस्ट्री के लिये जरूरत होती है पावर की। अगर किसी प्रदेश में इस क्षेत्र में उन्नति करना है तो उसके लिये जरूरत होती है रा मैटीरियल की। इसके लिये हमें पावर और रा मैटीरियल को जुटाना पड़ेगा। मैं देखकर चकित सा हुआ। यदि हम देखें कि उत्तर प्रदेश में बिजली का क्या अनुपात है दूसरे प्रदेश के मुकाबले में तो दुख होता है। जो सरकार द्वारा, नियोजन विभाग द्वारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं के नाम से एक पुस्तक बटी थी उसी के आधार पर मैं निवेदन करता हूं कि आज जो फी आदमी बिजली मिलती है वह बंगाल में ३३ किलोवाट, दिल्ली में ३६ किलोवाट, पंजाब में २० किलोवाट, मदरास में १७ किलोवाट, उड़ीसा में १७ किलीवाट और करीब करीब इसी अनुपात में और प्रदेशों में है जबकि उत्तर प्रदेश में फी आदमी ६ किलोवाट है। जब बिजली के मामले में हमारा प्रदेश इतना पीछे हो गया तो तब फिर हम कैसे आशा करें कि हमारा प्रदेश इन्डस्ट्रियली आगे बढ़ सकता है ?

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है जो कि बिजली के बाद एक दूसरा प्रबल माध्यम इन्डस्ट्रीज को चलाने का है उसमें भी हमने देखा कि हमारे प्रदेश में एक फेमिन सा चल रहा है। मैं बरेली नगर के बारे में जानता हूं कि वहां मार्टिन कम्पनी बार बार नोटिस देती रहती है कि हमारे पास कोयला नहीं है और उसकी वजह से छोटे छोटे उद्योगों को उनकी कैपेसिटी की आधी बिजली भी वह नहीं दे पाते हैं। यह एक बड़ी दुखद और खेदजनक स्थिति है। अगर इस स्थिति पर हमने काबू नहीं पाया तो जाहिर है कि हमारे यहां बेरोजगारी की भंयकर समस्या किसी तरह से भी हल नहीं हो सकेगी। हम प्रगति की ओर आगे बढ़ने के बजाय पीछे बढ़ने लगेंगे।

मान्यवर, मैंने उदाहरण के लिये इन्डस्ट्री की बात कही। किसी भी दिशा में अगर आप देख लें, पापुलेशन को छोड़कर हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में किसी तरफ उन्नति नहीं कर सका है। यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है, मनन का विषय है और इस सदन

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

के सभी दलों के लोगों को बिला इस बात का लिहाज किये कि वह किस पार्टी को बिलांग करते हैं--ग्रुप की बात तो बहुत दूर है--एकमत से उसके लिये कोई उपाय सोचने पड़ेंगे। जो ड्रास्टिक डिजीजेज होती हैं उनकी रेमेडीज भी ड्रास्टिक ही होती हैं। मैं आशा करता था कि इस बजट में ऐसी ड्रास्टिक डिजीजेज के लिये कोई ड्रास्टिक रेमेडिज होंगी लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें झिझकते हुये कदम उठाये गये हैं, हाफहार्टेड मेजर्स हैं जो हमें उस लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकते जोकि हमने निर्धारित किये हैं और जिन्हें प्राप्त करना हमने अपना लक्ष्य घोषित किया है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जहाज चल रहा हो लेकिन उस जहाज को चलाने वाले कदाचित यह निश्चय न कर पाये हों कि उनको कहां जाना है। चल तो वह रहा है लेकिन उसका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। आज कुछ कुछ ऐसी ही दशा हमारी हो रही है।

मान्यवर, एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि कन्द्र से हमारे प्रदेश को कोई बहुत न्याय नहीं मिला? हमारी जो थर्ड फाइव ईयर प्लान में मांग थी उसमें करीब २०० करोड़ रुपये कम कर दिये गये। इसके अतिरिक्त पिछली दो योजनाओं में इन्डस्ट्री में करीब ९०० करोड़ रुपये खर्च हुये लेकिन उसमें से हमारे प्रदेश को किसी अनुपात में, चाहे पापुलेशन का अनुपात ले लिया जाय, इनकम का अनुपात ले लिया जाय या कोई भी अनुपात हो, उचित हिस्सा नहीं मिला। हमारे यहां हैवी इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज, दोनों के एलाटमेंट में दूसरे सूबों के अनुपात में बहुत कम मिला। इस ओर भी इस सदन को और सरकार को ध्यान देना होगा। अगर केन्द्र ने उस एलाटमेंट में कमी की तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन हमारी खामियां हैं। क्या कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि हमने अपनी तरफ से ऐसी स्थिति पैदा कर दी हो जिससे हम केन्द्र की सहायता से वंचित रह गये। जहां तक इन्डस्ट्रीज का सम्बन्ध है, मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि दूसरे सारे प्रदेश हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। केन्द्र वालों से जब भी कभी चर्चा करने का अवसर मिलता है या किसी कमेटी में बैठने का मौका मिलता है तो उनका एक उलाहना रहता है। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इतनी रेड-टेपिज्म है कि जितना रुपया उसे एलाट किया जाता है वह भी खर्च नहीं हो पाता है। दूसरे प्रदेश अपनी योजनाओं को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करते हैं। यह गम्भीर चिन्तन की बात है। अगर इस प्रकार हम केन्द्र की सहायता से वंचित रहते हैं तो निश्चय ही हम अपने प्रदेश की जनता का अहित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में अभी भी करीब १,५०० करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज पर खर्च होने जा रहा है। पेपर मिल, शीशे की फैक्ट्री, हैवी इलीक्ट्रिकल्स, कम्प्रेसर्स वगैरह बहुत सारी फैक्ट्रीज लग सकती हैं। अगर अभी भी हमारी सरकार प्रयत्नशील रहे तो हम अपने हिस्से से बंचित नहीं रहेंगे।

काटेज इंडस्ट्रीज के लिये भी प्रदेशीय सरकार ने उतना बल नहीं दिया जितना वह मांगती है। अगर हम पिछले ४, ५ वर्ष की काटेज इंडस्ट्रीज की तालिका को उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि वही तालिकायें हमारे सामने आ जाती हैं थोड़े बहुत हेर फेर के साथ। उनमें कोई नयी नीति हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। काटेज इन्डस्ट्रीज के मामले में सिवाय इसके कि कुछ ग्रान्ट्स या लोन्स दे दिये, सरकार ने कोई दिशा नहीं बताई या डाइरेक्शन नहीं दिया उनके विकास के लिये। मैं श्री गेंदासिंह जी से सहमत हूं कि काटेज इंडस्ट्री में हमारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की बड़ी शक्ति है। गुड़ और खान्डसारी के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन उसमें इतना बड़ा एम्पलायमेंट पोटेंशियल है कि ५० करोड़ रूपये की आय इससे बढ़ सकती है और इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय। मेरा चार्ज है सरकार पर कि शकर की मिलों के साथ पक्षपात होता है। उनको सरकार रिआयत देती है और काटेज इंडस्ट्रीज या उसके समकक्ष गुड़ व खान्डसारी के तत्वों के हितों की अवहेलना होती है। इसका एक ही उदारण मैं दूंगा। अभी इस आडिट नोट के पेज २६ पर

मैंने पढ़ा एक शकर फैक्ट्री के बारे में, जिसका नाम मैं नहीं लेता हूं। इस फैक्ट्री पर १२, १५,५०९ रुपया कर्ज था। इसके रहते हुये १ लाख ३५ हजार के करीब कर्जा और दे दिया गया और उसके बाद उसमें से ४ लाख रुपये के करीब की माफी दे दी गई। बाकी ९ लाख रुपया आसान किस्तों में कम सूद पर लेने की छूट दी गई और वह भी समय पर न लेकर बहुत मौका दिया गया। गुड़ और खान्डसारी के बारे में सरकार की असीम अवहेलना है कि उसके सारे बजट में उसका कोई जिकर नहीं है, कोई प्लान नहीं है। एक जगह एक शब्द मिलता है कि खांडसारी एरियाज के डेवलपमेंट के लिये ९०,००० रुपया प्रोवाइडेड है। यह डिफाइन नहीं किया है कि वह एरिया है कौन-सा? इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश से गुड़ और खांडसारी का व्यवसाय हटता जा रहा है और दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आल इंडिया खादी कमीशन ने बजाय उत्तर प्रदेश के अपना हेड क्वार्टर साउथ में बनाया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि काटेज इंडस्ट्रीज में बड़ा भारी एमप्लायमेन्ट पोटेन्शियल है, उसकी रक्षा की जाय। यह खुशी की बात है कि यू०पी० खादी एन्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गयी है और एक इंडिपेंडेंट बाडी के रूप में उसकी स्थापना हुई है। उसको और भी बल देने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में सरकार डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास रखती है और वह जनता का हित करना चाहती है तो उसे इन तत्वों का संरक्षण करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मुझे एक बात और कहना है। आज हमारा माना हुआ लक्ष्य समाजवाद है। माननीय दत्ता जी के बराबर तो मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता लेकिन हम, समाजवाद को कम समझने वाले भी इतना तो जानते ही हैं कि अगर हम समाजवाद को स्वीकार करने जा रहे हैं तो हमें पब्लिक सेक्टर को स्वीकार करना होगा और उसको इतना मजबूत करना होगा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी आडिट रिपोर्ट में १६ आइटम ऐसे दिखाये गये हैं जो पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं लेकिन उसमें आप देखेंगे कि आधे से अधिक घाटे में चल रहे हैं और जो आधे से कम घाटे में नहीं चल रहे हैं उनको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है जो शोभनीय कहा जा सके।

जब समाजवाद का लक्ष्य हमने माना है तो पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री को अपनाना होगा। हमें इस तरह के उपाय सोचने पड़ेंगे कि हम इन कारखानों को इस तरह से चला सकें ताकि पब्लिक सेक्टर के जो विरोधी हैं उनको यह मौका न मिल सके कि सरकार पब्लिक सेक्टर को चलाने की क्षमता नहीं रखती। लेकिन आज वही स्थिति है। लोग यह समझते हैं कि सरकार किसी भी काम को करे लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो सकती।

इसके लिये मैं एक बात यह निवेदन करूंगा कि पब्लिक सेक्टर को सफल बनाने के लिये हमको एक सर्विस केडर मुकर्रर करना चाहिये जिसको व्यवसाय चलाने का अनुभव हो, जो उसका अच्छी तरह से संचालन कर सके। इसका श्रीगणेश केन्द्रीय सरकार ने किया है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके मैनेजमेंट में सदन के मेंम्बरों को एसोशियेट करें और उनकी एक विजिलेन्स कमेटी बनायी जाय जो उन व्यवसायों की देखभाल करती रहे। केन्द्र में भी ऐसा किया जा रहा है।

इसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। वैसे तो स्टेटिस्टिक्स के बारे में लोगों की तरह तरह की रायें हैं लेकिन नियोजन के समय में जब तक स्टैटिस्टिक्स सही न हों, तब तक काम नहीं चल सकता। अगर हमारे स्टेटिस्टिक्स गलत होंगे तो वह हमारी बुनियादी गलती हो जायगी और उसका नतीजा भी गलत होगा। इस विषय में एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक पुस्तिका बंटी है जिसमें ५७--५९ के आंकड़े हैं। इसके पहले पेज पर ही जब मैंने देखा तो ५७-५८ में इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की टोटल इनकम १७३८ करोड़ है और परकैपिटा इनकम २४६.८ है। इसके मुकाबिले में अगर आप पिछले साल की बांटी गयी किताब को देखें तो उसमें टोटल इनकम तो १६९२ करोड़ है और परकैपिटा इनकम २४८.८ रुपये है, तो मान्यवर मैं नहीं समझता कि इस कदर आंख

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मूंद कर आपके आंकड़े क्यों छपते हैं जबकि आपकी ही पिछली किताब में दूसरे आंकड़े दिये हुये हैं मैं इस जवाब की आशा कर रहा था कि आखिरी साल में ऐसे आंकड़े होते हैं जो सबजेक्ट टु चेंज होते हैं, लेकिन साथ ही बाद में इत्तिला आने पर मेथमेटिक्स का फार्मूला तो नहीं बदल सकता कि जब टोटल इनकम १६९२ करोड़ हो तब तो पर कैपिटा इनकम २४८.८ हो और जब टोटल इनकम १,७३८ करोड़ हो तो पर कैपिटा इनकम २४६.८ हो यह चीज नहीं हो सकती। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात को देखें कि जब इतनी प्रत्यक्ष गलती हो सकती है तो अप्रत्यक्ष गलती कितनी रहती होगी इसका केवल अनुमान किया जा सकता है।

मान्यवर, इकोनामी का भी बहुत जिक्र किया गया और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि मैं उनमें से हूं जिनका यह विश्वास है कि इकोनामी का क्लाइमेट पैदा करना चाहिये। मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है। अंग्रेजों ने जब लड़ाई के जमाने में आल्पीनों की जगह कांटों का इस्तेमाल करना शुरू किया या लाल रोशनाई की दावातें खाली कर दीं तो उसका मतलब यह नहीं था कि उसकी वजह से कुछ रुपया बच जायगा बल्कि लड़ाई के जमाने में वे ऐसी क्लाइमेट पैदा करना चाहते थे। तो इस तरह की क्लाइमेट का मैं स्वागत करता हूं और इस तरह का जो कदम उठाया गया है उसका अभिनन्दन है और स्वागत है। लेकिन मान्यवर; इस बात को भी देखना है कि कहीं ऐसा न हो कि 'पेनी वाइज पाउन्ड फुलिश' वाली पालिसी अपनायी जाय।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक उदाहरण केवल सेल्स टैक्स विभाग का देना चाहता हूं। वहां भी इकोनामी के नाम पर सेल्स विभाग के रूल्स में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। पहले सेल्स टैक्स विभाग में एक रिवीजन अधिकारी होता था जो सारे प्रदेश के सेल्स टैक्स सम्बन्धी रिवीजन के मामले को सुनता था और उनकी अपील को तय कर देता था लेकिन अब जज अपील हेड क्वार्टर पर ही रह कर सारी सेल्स टैक्स सम्बन्धी अपीलों को तय करेगा। श्रीमन्, पहले यह होता था कि बाहर जाने पर जज अपील या जज रिवीजन को जो टी०ए०या डी०ए० मिलता था उसमें कुछ इकोनामी हो गयी लेकिन १२ हजार और १५ हजार मामले जो यहां लखनऊ में आयेंगे तो उसमें १५ हजार आदमियों को अपने आने तथा वकील आदि लाने में जो पैसा खर्च होगा आखिर वह पैसा भी तो पब्लिक का ही होगा। आखिर इस सरकार के पास जो पैसा है वह भी तो पब्लिक का ही है। फिर इतने हजार आदमियों के इतने पैसे खर्च कराने के बाद कुछ थोड़ा सा पैसा बचा लेना तो वही 'पेनी वाइज पाउन्ड फुलिश' वाली इकोनामी हुई। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह की इकोनामी न की जाय।

जहां तक हिल एक्सोड्स की बात है, वह जरूर बन्द होना चाहिये और मैं इस तरह की इकोनामी के पक्ष में हूं लेकिन आज प्रातःकाल प्रश्नोत्तर काल में जिस तरह के जवाब सरकार की तरफ से मिले और जैसा कि अखबारों में भी छपा है कदाचित् हिल एक्सोड्स का बन्द होना मुश्किल और गलत साबित हो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस इकोनामी के सम्बन्ध में हिल एक्सोड्स को बन्द किया जाय और रिसेस के समय जो खर्च होता है वह बन्द हो। अब पहाड़ के रहने वाले लोगों का प्रश्न है, उन का नुकसान होगा लेकिन जो जनता पहाड़ की जलवायु और स्वास्थ्य लाभ से महरूम रहती है उसका तो लाभ होगा और मेरा विश्वास है कि फिर भी वहां टूरिस्ट इतने पहुंचेंगे कि उनको नुकसान न होगा।

आखिर में मैं यह भी कहूंगा कि आज हमारे यहां जो टैक्सेज में लीकेज होता है उसको रोकने की बहुत गुंजायश है। बजट में डेढ़ करोड़ टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन सदन को यह नहीं मालूम हो सका कि वह कहां बढ़ेगा। मेरा विचार है कि आज टैक्सेज में इतना अधिक लीकेज है कि अगर उस को रोका जाय तो कर बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगी और उसका फल यह होगा कि कुछ बेईमान लोग जो लीकेज का लाभ उठाते हैं वह वंचित न रहेंगे और ईमानदार आदमी कर से छूट जायेंगे।

मैंने सेल्स टैक्स के बारे में एक बात पहले भी कही थी और उसको फिर दोहराये देता हूं कि हमारी कर नीति ऐसी रहनी चाहिये कि जिस से हमारे करों का भार जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स का बोझ न पड़े और लग्जरी कही जाने वाली चीजों पर और बड़े लोगों पर वह भार बढ़े। इस बात का ध्यान डेढ़ करोड़ का कर लगाते वक्त रखा जाय।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट हमें बिलकुल ही निराशाजनक प्रतीत होता है क्योंकि इस बजट में ग्रामीण, गरीब मजदूर और किसान के लिये कोई व्यवस्था और सुविधा या योजना नहीं बताई गई है। योजना से संबंधित दो ही मुख्य बातें हैं एक तो कृषि और उद्योग धंधे। कृषि के सम्बन्ध में यहां जितने भी माननीय सदस्य बोले उन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों की दशा को देखते हुये और जनता में जो आजकल क्षोभ बढ़ा है उसको देखते हुये वस्तुस्थिति को रखने की कोशिश की है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में जो समस्यायें हैं जैसे गन्ने की समस्या है, गन्ना मिल में सप्लाई होता है, अपने प्रदेश में ७० मिल हैं और अब जो वहां ठेकेदारी सिस्टम चला है उससे मजदूर बेरोजगार रह जाते हैं और ठेकेदार काफी मुनाफा कमाते हैं। जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि मजदूरों को तीन मास तक काम कराके हटाया जाता है और इस तरह से उनका तीन मास के बाद स्थायी होने का अधिकार समाप्त हो जाता है और उनको बहाना बनाकर निकाल दिया जाता है। जिन सेंटर्स पर मजदूर तोल पर या भराई पर काम करते हैं उनको स्थायी करने के लिये कदम उठाया जाय और इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाय और मजदूर जो एक सीजन में गन्ना भरते हैं उनको भी मिल मजदूर माना जाय। उनको भी स्थायी मजदूरों के अधिकार प्राप्त होने चाहिये। जो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारी मजदूर हैं उन का यह हक है क्योंकि गृह उद्योग जो गुड़ खांडसारी का था उस को समाप्त कर के सरकार ने मिलें कायम कीं और उनको बेरोजगार बनाया इसलिये इन मजदूरों को इन शकर के कारखानों में स्थायी काम मिलना जरूरी है। उनके अधिकार वहां सुरक्षित रहने चाहिये।

दूसरे कृषि के सम्बन्ध में चकबंदी और कोआपरेटिव फार्मिग की बड़ी चर्चा है। इन योजनाओं से भी गरीब कृषक मजदूर सन्तुष्ट नहीं हैं और उनको लाभ नहीं हो रहा है और गांवों में ऐसे तथ्य पैदा हो रहे हैं कि उनसे निराशा ही दिखाई देती है। आज वहां ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि लोग सोचते हैं कि आगे हमारी और हमारे बच्चों की जीविका का साधन क्या होगा। आप ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक कृषक ने इस से व्याकुल होकर, जो पैदावार उस की चकबंदी से पहले होती थी उस के मुकाबिले में जब उसने देखा कि नये खेतों से, जो उस को मिले, पैदावार न होगी तो उसने अपने बच्चों को दीवार से देकर मार दिया। इस प्रकार की घटनायें इस बात की द्योतक हैं कि काश्तकार के लिये परेशानी पैदा की जा रही है, उनके लिये कोई सहूलियत नहीं पैदा की जा रही है। ऐसी दशा में यह सोचना पड़ेगा कि लाखों बीघा भूमि जो तराई भावर में पड़ी हुई है और वन विभाग के अन्तर्गत है और जो कुछ लोगों को दी भी गई है जो कि बड़े-बड़े लोग हैं लेकिन गरीब मजदूर जो एप्लीकेशन देते हैं उनकी सुनाई नहीं होती, है, तो जो गरीब मजदूर चाहते हैं कि उनको काश्तकारी के लिये जमीन मिले उनको वह जमीन दी जानी चाहिये जैसा कि सरकार कहती है कि जंगल का विकास करना है तो उससे खाद्य समस्या तो हल हो नहीं सकती।

श्रीमन्, मैंने तो देहरादून में यह भी देखा कि सरकारी राशन की दुकान पर जो गेहूं मिलता है उसमें कंकड़ी मिली रहती है। सुबह से लोग वहां जाकर राशन खरीदते हैं और शाम तक कंकड़ी बीनते रहते हैं। जहां इस प्रकार की मिलावट की चीजें हमें खाने को मिलें और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हम यह दुहाई दें कि स्वास्थ्य सुधर रहा है तो वह उचित नहीं है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां अक्सर शिकायत रहती है कि तारघर और डाकखाने की व्यवस्था नहीं है। पिछली दफा वहां हैजा फैला लेकिन डाक्टर नहीं मिल पाया। अभी तक वहां डाक्टर नहीं है। अस्पताल तो कायम कर दिये जाते हैं लेकिन डाक्टर नहीं पहुंचते। सरकार कहती है कि हम सिंचाई की योजना बना रहे हैं। उस क्षेत्र में कोई योजना नहीं है। एक

[श्री शिवराम]

रामगंगा की योजना बनाई गई। उस पर ३२ रुपये प्रति एकड़ की दर सिंचाई की ली जा रही है, वह कम होनी चाहिये। वहां एक फसल मुश्किल से गेहूं की पैदा हो पाती है। एक कालागढ़ की योजना थी वह बन्द पड़ी है। इसी तरह से देहरादून में यमुना की एक योजना थी जिसका सन् ४८ में पंडित जवाहरलाल जी ने पत्थर रखा था वह भी ऐसी ही पड़ी हुई है। इसी तरह से बिजली की एक योजना ७० मील थी, बहादुराबाद से मुरादाबाद तक की थी, वह भी अभी तक पड़ी है। अगर वह पूरी कर दी जाती तो उससे काटेज इंडस्ट्री को और दूसरी इंडस्ट्रीज को बिजली मिल सकती थी।

जहां तक काटेज इंडस्ट्री का ताल्लुक है, विभिन्न क्षेत्रों में टयूशनल क्लासेज (औद्योगिक शिक्षण शिविर) खुले हुये हैं। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि वहां जो इंस्ट्रक्टर है उनका भविष्य बिलकुल अंधकार में है। उसके लिये कोई फंड नहीं है, पैंशनेबिल पोस्ट नहीं। एफीशियेंसी बार नहीं क्रास कर पाते, ट्रांसफर कर दिया जाता है। टेहरी-गढ़वाल का रहने वाला आदमी है उसे देवरिया के इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ जिला उद्योग अधिकारियों को परमानेन्ट किया गया लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। वहां जो सेंटर्स होते हैं उनमें उत्पादन केन्द्र भी होते हैं। उस उत्पादन केन्द्र में यह दिक्कत रहती है कि उन्हें चीजें सस्ती नहीं मिल पातीं। अगर सस्ती चीज मिले तो उनकी बनी हुई चीजें भी सस्ती हों। तो इस तरह के जो काम हैं उनको रा मैटीरियल सस्ता नहीं मिल पाता है। कहीं कहीं चुंगी भी उन पर वसूल की जाती है। इस तरह से उनकी चीज मंहगी हो जाती हैं और वह इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। इसलिये इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिये सारी बातों की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जहां तक समाजवादी समाज की व्यवस्था का सवाल है देखने से पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। माननीय राजनारायण जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उनसे सिद्ध होता है कि सरकार १२ साल के शासन में बिलकुल असफल रही।

जहां तक हरिजनों का प्रश्न है १२,१३ साल में सवा दो फीसदी ही लोगों को सरकार नौकरी दिला पायी है। समानता कहां लायी गई? छुआछूत की मिसाल ज्यों की त्यों मौजूद है। लोगों को छात्रवृत्ति देने से या कुछ फीसदी नौकरी देने से ही अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो जाती है। गांधी जी जो थोड़ा बहुत कर गये थे वही है उसके बाद हरिजनों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ बावजूद इतना रुपया खर्च करने के। लोग आज भी कुयें से पानी नहीं भर पाते हैं। धर्मशालाओं में आज भी जाति का खाना है और अगर कोई कहता है कि मैं हरिजन हूं या पिछड़ी जाति का हूं तो उसको जगह नहीं मिलती। अतः वह खाना समाप्त होना चाहिये।

हरिजन एम०एल०एज० का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनके भलाई के लिये काम करें क्योंकि जनता जिसने चुन कर भेजा है उनसे पूछेगी कि आपने १२,१३ साल में हरिजनों के लिये क्या किया? कहा जाता है कि अच्छे योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं। वह मिलें कहां से? योग्यता ही नौकरी की ऐसी रखी जाती है जिस योग्यता के हरिजनों में लोग न मिल पायें और अगर मिल भी जाते हैं तो डिवीजन का झगड़ा खड़ा किया जाता है। हरिजनों का एक, दो मंत्री बना देने से ही उनका कल्याण नहीं होने वाला है। उनसे पूछा जाय कि हरिजनों के लिये क्या किया है उन्होंने जितने भी माननीय सदस्य चुन कर आये हैं वह जवाब देंगे जनता को कि उन्होंने उनके लिये क्या किया। गरीब, मजदूर काश्तकार पूछेगा हमारे वास्ते क्या योजनायें चालू की हैं? इस जवाब देही को निभाने के लिये जरूरी है कि सरकार इधर ध्यान दे। अरबों रुपया १०,१२ साल में भी खर्च करके समानता सरकार अभी नहीं ला सकी, अभी हरिजन यह नहीं सोच पा रहा है कि राज्य में उसका भी कोई हाथ है, प्रजातंत्र की पद्धति को सरकार अभी तक पनपा नहीं सकी है।

विभिन्न क्षेत्रों में हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग डंडे के जोर से वोट देते हैं। उनके अन्दर चेतना, जागृति और स्वतंत्र विचार नहीं पैदा हुये हैं जिससे अपने अधिकारों को पहचान

कर वोट दे। जहां यह हाल हो, इस तरह के अत्याचार हों वहां कैसे कहा जा सकता है कि समाजवादी पद्धति को सरकार अपना रही है। बहुत सारे भाइयों ने कहा, वह गलत नहीं कहते हैं, ठीक कहते हैं, मुझे अनुभव है कि १०, १० साल से लोगों के पास रजाई ओढ़ने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। गरीब मजदूर परेशान है।

विकास खंडों में यह हाल है कि अगर कोई हरिजन वी० एल० डब्लू० है तो उसको रहने के लिए मकान नहीं मिलता और जब कहीं काम से बाहर जाता है तो लोग उसको चारपाई पर नहीं बैठने देते। यह हरिजनों के साथ व्यवहार है। सरकार के पास क्या योजना है जिससे ऐसे लोगों को मकान मिल सके? अतः मैं कहूंगा कि उनके रहने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों को ले लिया जाय तो जो बेचारे हमारे चपरासी, चौकीदार हैं वे ४०, ५०, ६०, और ७० रुपया पाते हैं और उसी में अपनी गुजर कैसे कर सकते हैं जब तक कि १०० रुपये उन्हें न मिले।

इसी तरह से प्रत्येक जिले में केन्द्र तथा प्रदेश दोनों के चुनाव दफ्तर हैं और उनमें जो कर्मचारी हैं उनके वेतनों में बड़ा फर्क होता है। इस फ़र्क को दूर होना चाहिये। क्लकटेरेट के कर्मचारियों का वेतन समान लेकिन ट्रेजरी वालों को कोई अलाउन्स नहीं। औरों को अलाउन्स दिया जाता है जब कि ट्रेजरी वालों को छुट्टियां भी कम यह विषमता दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त। अब माननीय रामचन्द्र उनियाल अपना भाषण कल शुरू करेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२८ मार्च, १९६१।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १—२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९३ पर)

सूची

	विभाग	पद	कारण
१	सूचना (ख)..	जिला सूचना अधिकारी ..	लोक हित में।
२	चिकित्सा (क) ..	चिकित्सा अधिकारी, कुष्ठ चिकित्सालय ..	लोक हित में।
३	,, ..	सिविल सर्जन ..	लोक हित में।
४	चिकित्सा (ग) ..	चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ओयल	लोक हित में।
५	जन-स्वास्थ्य ..	जिला स्वास्थ्य अधिकारी ..	लोक हित में।
६	कृषि (ग) ..	उपनिवेशन अधिकारी, पीलीभीत उपनिवेश योजना, सदर मुकाम, सम्पूर्णनगर।	लोक हित में।
७	,, ..	तहसीलदार, पीलीभीत उपनिवेश योजना सदर मुकाम, सम्पूर्णनगर।	लोक हित में।
८	नियोजन (क) ..	ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर, ईसानगर ..	इन अधिकारियों का स्थानान्तरण ५ वर्ष बाद होता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

परगना कटेहर

१—बरथरा
२—सोनबरसा
३—चौबेपुर
४—नरायनपुर
५—परबतपुर
६—डुबकिया
७—बरसरा
८—चमुकनी
९—अजाव
१०—खौनपुर
११—तरैया
१२—छाहीं
१३—ऐली
१४—जैरामपुर
१५—अल्लुपुर
१६—करौली
१७—आयर
१८—कोहांसी
१९—तेवर
२०—राजापुर
२१—राम गांव
२२—गोसाईंपुर
२३—भोपापुर
२४—पुआरी खुर्द

परगना जालूपुर

१—गौराकलां
२—शंकरपुर
३—जालूपुर
४—रमना
५—उमराहा
६—खावपुर
७—दुल्हीपुर
८—सहजौर
९—कुडाकला
१०—कुरहना
११—रिमला

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०६ पर)

(सूची प्रश्न संख्या १ का उत्तर)

उत्तर

(१) बड़ी गंडक नहर का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने की आशा अप्रैल, १९६१ तक है।

(२) नहर का मार्ग सर्वेक्षण पूरा होने पर ही बताया जा सकता है।

(३) उत्तर प्रदेश में मुख्य गंडक नहर की लम्बाई लगभग ६८ मील होगी।

(४) यह आशा है कि बड़ी गंडक नहर योजना के पूर्ण रूप से विकसित होने पर लगभग ६,००,००० एकड़ भूमि की गोरखपुर व देवरिया जिले में सिंचाई होगी जिसका विवरण यह है :—

	एकड़
जिला गोरखपुर	२,००,०००
तथा देवरिया	४,००,०००
योग ..	६,००,०००

मुख्य नहर एवं शाखाओं के निर्माण में लगभग १५,६०० एकड़ भूमि ली जायगी।

(५) नहर की मुख्य शाखायें ५ होंगी उनके नाम व निकलने के प्रस्तावित स्थान इस प्रकार हैं :

क्रमांक	शाखा का नाम	मुख्य नहर से निकलने का स्थान		पटरी
		मील	फर्लांग	
१	मधुबनी शाखा	११	५	दाईं
२	नारायणी शाखा	१८	१	
३	मठिया शाखा	२७	०	बाईं
४	खजुरिया शाखा	३३	३	दाईं
५	पडरौना शाखा	५२	४	,,

(६) नहर का काम सन् १९६८ के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है। गंडक योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार का ११००.०० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४ एल० ए०—१९६१—८४५।